[2020] 10 एस सी आर 135

विनीता शर्मा

वी.

राकेश शर्मा और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 2018 की डायरी No.32601)

11 अगस्त, 2020

[अरुण मिश्रा, एस. अब्दुल नजीर और एम. आर. शाह, जे. जे.]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 – एस. 6 हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा यथा संशोधित–आयोजित की व्याख्याः प्रतिस्थापित एस में निहित प्रावधान। 6 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 संशोधन से पहले या बाद में पैदा हुई बेटी को उसी तरह सह–भागीदार का दर्जा प्रदान करता है जैसे बेटे को समान अधिकार और देनदारियां–संशोधन का प्रभाव यह है कि एक बेटी को सह–भागीदार बनाया जाता है, जो संशोधन की तारीख से प्रभावी होता है। और वह विभाजन का भी दावा कर सकती है, जो सह–पक्षीय एस का एक आवश्यक सहवर्ती है। 6 (1) एक संयुक्त हिंदू परिवार को मान्यता देता है मिताक्षर कानून द्वारा शासित–सह–भागीदार की बेटी को अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम बनाने के लिए सह–भागीदार को 09.09.2005 पर मौजूद होना चाहिए। उसे प्रदान किया गया–चूंकि अधिकार जन्म से है न कि विरासत से, इसलिए यह अप्रासंगिक है कि एक सह–भागीदार जिसकी बेटी को अधिकार प्रदान किए गए हैं वह जीवित है या नहीं–संयोजक किसी पिता या अन्य सह–भागीदार की मृत्यु पर आधारित नहीं है–जीवित सह–भागीदार के मामले में 09.09.2005 के बाद मृत्यु हो जाती है, विरासत उत्तरजीविता द्वारा नहीं बल्कि निर्वसीयत या वसीयती उत्तराधिकार द्वारा होती है जैसा कि प्रतिस्थापित s में प्रदान किया गया है। 6 (3) .

पूर्ण प्रभाव दिया जाना–इसके बावजूद कि एक प्रारंभिक आदेश पारित किया गया है, बेटियों को सह–वार्षिक में हिस्सा दिया जाना है। अंतिम डिक्री या अपील के लिए लंबित कार्यवाही में एक बेटे के बराबर।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 – धारा 6 हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा यथा संशोधित–धारा 6 का स्पष्टीकरण। 6 (5) – मौखिक विभाजन की याचिका आयोजितः प्रावधानों की कठोरता को देखते हुए एस को स्पष्टीकरण। 6 (5) 1956 के अधिनियम के अनुसार, मौखिक विभाजन की याचिका को पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत पूरी तरह से पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा प्रभावित विभाजन के वैधानिक मान्यता प्राप्त तरीके के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि, अपवादात्मक मामलों में जहां मौखिक विभाजन की याचिका को सार्वजनिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित किया जाता है और विभाजन को अंततः उसी तरीके से प्रकट किया जाता है जैसे कि यह किसी न्यायालय की डिक्री से प्रभावित हुआ हो, इसे स्वीकार किया जा सकता है–केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन की याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसे पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 – एस. 6 हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित–बेटी के अधिकारों का विस्तार–आयोजितः एस के परंतुक के तहत। 6 वर्ष 2005 में किए गए संशोधन

से पहले, यदि किसी सह–भागीदार की मृत्यु हो जाती है और वह अपने पीछे वर्ग–। की महिला रिश्तेदार को छोड़ जाता है–उत्तराधिकारी या ऐसे पुरुष वंशज जो इसके माध्यम से दावा करते हैं। वर्ग–1 महिला उत्तराधिकारी, बेटी उनमें से एक थी – एस. 6, प्रतिस्थापित के रूप में, सह–सहभागी के अस्तित्व का अनुमान लगाता है–यह केवल मामला है बेटियों के अधिकारों का विस्तार–अन्य रिश्तेदारों के अधिकार अप्रभावित रहते हैं जैसा कि एस के परंतुक में प्रचलित है। 6 जैसा कि यह संशोधन से पहले था–शास्त्रीय हिंदू कानून को बाहर रखा गया था सह–भागीदार होने से बेटी, जिसे अब संविधान की भावना के अनुरूप प्रावधानों में संशोधन करके अन्याय को दूर कर दिया गया है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 – धारा 6 हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित–प्रतिगामी अनुप्रयोग–आयोजितः यद्यपि अधिकारों का दावा किया जा सकता है, डब्ल्यू. ई. एफ. 09.09.2005, प्रावधान पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के हैं; वे पूर्ववर्ती घटना के आधार पर लाभ प्रदान करते हैं, और मिताक्षर सह–पक्षीय कानून में एक बेटी को सह–पक्षकार के रूप में संदर्भित करना शामिल माना जाएगा–ए पूर्वव्यापी क़ानून वह है जो पूर्वव्यापी रूप से काम नहीं करता है। यह भविष्य में काम करता है, हालांकि, इसका संचालन उस चरित्र या स्थिति पर आधारित है जो पहले उत्पन्न हुआ था–विशेषता या घटना जो अतीत में हुई थी या आवश्यकताएं जो पूर्ववर्ती घटनाओं से ली गई थीं–संशोधित एस के तहत। 6 , चूँकि अधिकार जन्म से दिया जाता है, वह एक पूर्व घटना है, और प्रावधान संशोधन अधिनियम की तारीख को और उससे अधिकारों का दावा करने के संबंध में काम करते हैं।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 – एस. 6 हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित–बाधित और अबाधित विरासत–अबाधित विरासत जन्म से होती है, और बाधित विरासत मालिक की मृत्यु के बाद होती है–यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यू/एस। 6 जन्म से, अधिकार दिया जाता है जिसे अबाधित विरासत कहा जाता है–यह मालिक की मृत्यु के आधार पर बाधित विरासत नहीं है–इस प्रकार, सह–भागीदार पिता को 09.09.2005, s के प्रावधानों के प्रतिस्थापन की तारीख पर जीवित होने की आवश्यकता नहीं है। 6 .

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. धारा 6 (1) के संशोधित प्रावधानों में प्रावधान है –

कि संशोधन अधिनियम के प्रारंभ पर और उसके बाद से,

बेटी को अधिकार दिया जाता है। धारा 6 (1) (ए) बेटी को जन्म से "अपने अधिकार में" और "बेटे के समान तरीके से" सह–भागीदार बनाती है। धारा 6 (1) (ए) में मिताक्षर सह–सहभागी की अबाधित विरासत की अवधारणा है, जो जन्म के आधार पर है। धारा 6 (1) (बी) सह–आंशिक संपत्ति में वही अधिकार प्रदान करती है जो उसे होता अगर वह एक बेटा "। अधिकार का प्रदान जन्म से होता है, और अधिकार उसी तरह से दिए जाते हैं जैसे एक बेटे की सह–भागीदारी की घटनाओं के साथ और उसे उसी तरह से एक सह–भागीदार के रूप में माना जाता है जैसे कि वह जन्म के समय एक बेटा था। यद्यपि अधिकारों का दावा किया जा सकता है, डब्ल्यू. ई. एफ. 09.09.2005, प्रावधान पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के हैं; वे आधार पर लाभ प्रदान करते हैं

पूर्ववर्ती घटना और मिताक्षर सह–पक्षीय कानून में एक बेटी को सह–पक्षकार के रूप में संदर्भित करना शामिल माना जाएगा। में।

उसी समय, विधायिका ने एक परंतुक जोड़कर बचत प्रदान की है कि कोई भी स्वभाव या अलगाव, यदि कोई हो जिस तारीख को विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था, उससे पहले हुई संपत्ति या विभाजन का वसीयती निपटान अमान्य नहीं होगा। [पैरा 55] [190-एच; 191-ए-सी]

यह पीछे की ओर काम करता है और मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित निहित अधिकारों को छीन लेता है या बाधित करता है। एक पूर्वव्यापी क़ानून वह है जो पूर्वव्यापी रूप से काम नहीं करता है। यह भविष्य में काम करता है। हालाँकि, इसका संचालन उस चरित्र या स्थिति पर आधारित है जो पहले उत्पन्न हुई थी। विशेषता या घटना जो अतीत में हुई [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या आवश्यकताएँ जो पूर्ववर्ती घटनाओं से ली गई थीं। संशोधित धारा 6 के तहत, चूंकि अधिकार जन्म से दिया गया है, वह एक पूर्ववर्ती घटना है, और प्रावधान दावे से संबंधित हैं

संशोधन अधिनियम की तारीख को और उससे अधिकार। [पैरा 56] [191-डी-ई]

वह सह-स्वामित्व की कठोरताओं का पालन करने के लिए बाध्य होगी, और वसीयतनामा मोड द्वारा संपत्ति का निपटान कर सकते हैं। [पैरा 60] [194-सी-डी]

4. एक हिंदू के संबंध में जो इसके बाद मर जाता है

धारा 6 (3) (1) के साथ। धारा 6 (3) का स्पष्टीकरण मूल रूप से अधिनियमित धारा 6 के स्पष्टीकरण । के समान है। धारा 6 (4) बेटी को बेटे की तरह ही उत्तरदायी बनाता है। बेटी, पोती, या पड़पोती, जैसा भी मामला हो, हिंदू कानून के तहत ऐसे किसी भी ऋण का निर्वहन करने के लिए पवित्र दायित्व का पालन करने के लिए समान रूप से बाध्य है। यह प्रावधान संशोधन अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पहले अनुबंधित ऋण के संबंध में लेनदार के अधिकार को बचाता है। धारा 6 (4) में निहित प्रावधान यह भी स्पष्ट करते हैं कि धारा 6 के प्रावधान पूर्वव्यापी नहीं हैं क्योंकि अधिकार और देनदारियां दोनों संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से हैं। [पैरा 61] [194-डी-एच]

5. धारा 6 (1) और धारा 6 (5) का परंतुक 20.12.2004 से पहले प्रभावित किसी भी विभाजन को बचाता है। तथापि, विनीता शर्मा बनाम को स्पष्टीकरण।

राकेश शर्मा

धारा 6 (5) पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन या अदालत के डिक्री द्वारा प्रभावित विभाजन को मान्यता देती है। विभाजन के अन्य रूपों को स्पष्टीकरण में 'विभाजन' की परिभाषा के तहत मान्यता नहीं दी गई है। [पैरा 62] [195–ए–बी]

6. सहसदस्यता के इस सिद्धांत पर विचार करते हुए कि एक व्यक्ति को जन्म से मिताक्षर सहसदस्यता में अधिकार प्रदान किए जाते हैं,

इसी तरह, बेटी को मान्यता दी गई है और एक बेटे के समान अधिकारों और देनदारियों के साथ एक सह–भागीदार के रूप में माना गया है।

धारा 6 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति यह है कि वह एक बेटे की तरह ही सह–भागीदार बन जाती है। गोद लेने से भी सह–भागीदार का दर्जा दिया जा सकता है। धारा 6 (1) (ए) और 6 (1) (बी) के प्रावधानों के तहत अबाधित विरासत के असंशोधित हिंदू कानून की अवधारणा को एक ठोस आकार दिया गया है। सह–भागीदार का अधिकार जन्म से है। अतः यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि पिता बेटी को संशोधन की तारीख के अनुसार जीवित होना चाहिए, क्योंकि उसे सह–भागीदार के अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं

बाधित विरासत। मिताक्षरा सह–अधिवेशन के अनुसार

हिंदू कानून, जैसा कि प्रशासित है, जो धारा 6 (1) में मान्यता प्राप्त है, यह आवश्यक नहीं है कि संशोधन की तारीख को कोई जीवित, सह–भागीदार या पिता होना चाहिए जिसके लिए बेटी उत्तराधिकारी होगी। बेटी सह–अधिवेशन में इस तरह कदम रखेगी कि

विभाजन का भी दावा करें, जो सहभागीदारी का एक आवश्यक सहवर्ती है। धारा 6 (1) एक संयुक्त हिंदू परिवार को मान्यता देती है। मिताक्षर कानून द्वारा शासित। सह–सहभागी का अस्तित्व होना चाहिए

09.09.2005 एक सह–भागीदार की बेटी को उसे दिए गए अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम बनाना। चूंकि अधिकार जन्म से है और विरासत से नहीं, इसलिए यह अप्रासंगिक है कि एक सह–भागीदार जिसकी बेटी को अधिकार दिए गए हैं, जीवित है या नहीं। सम्मेलन किसी पिता या अन्य सह–भागीदार की मृत्यु पर आधारित नहीं है। यदि 09.09.2005 के बाद जीवित सह–भागीदार की मृत्यु हो जाती है, तो विरासत [2020] 10 एस. सी. आर. द्वारा नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. वर्ष 2005 में किए गए संशोधन से पहले धारा 6 के प्रावधान के तहत यदि किसी सह–भागीदार की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने पीछे प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी की महिला रिश्तेदार या दावा करने वाले पुरुष वंशज को छोड़ जाता है। ऐसी प्रथम श्रेणी की महिला उत्तराधिकारी के माध्यम से, बेटी उनमें से एक थी। धारा 6, प्रतिस्थापित के रूप में, के अस्तित्व का अनुमान लगाती है

सह सहभागी। यह केवल बेटियों के अधिकारों के विस्तार का मामला है। अन्य रिश्तेदारों के अधिकार अप्रभावित रहते हैं जैसा कि धारा 6 के परंतुक में प्रचलित है जैसा कि पहले था। संशोधन। [पैरा 65] [196-ए-बी]

9. मिताक्षर कानून के अनुसार, किसी भी सह-भागीदार का कोई तय नहीं होता है

शेयर करें। जन्म या मृत्यु से इसमें उतार-चढ़ाव होता रहता है। यह मिताक्षरा कोपारसेनरी के प्रशासन का उक्त सिद्धांत है।

धारा 6 के वैधानिक प्रावधानों में आगे बढ़ना। भले ही कोई सह-भागीदार अपने पीछे प्रथम श्रेणी की महिला उत्तराधिकारी या ऐसी प्रथम श्रेणी की महिला उत्तराधिकारी के माध्यम से दावा करने वाले पुरुष को छोड़ गया हो, लेकिन इसके द्वारा सह-भागीदारी में कोई व्यवधान नहीं है।

विभाजन की वैधानिक कल्पना। कल्पना केवल एक मृत सह-भागीदार के हिस्से का पता लगाने के लिए है, जो उसे वास्तविक विभाजन होने पर आवंटित किया जाएगा। विभाजन की कल्पित कल्पना उस सीमित उद्देश्य के लिए है। प्राचीन शास्त्रीय हिंदू कानून ने बेटी को सह-भागीदार होने से बाहर रखा, जिसे अब संविधान की भावना के अनुरूप प्रावधानों में संशोधन करके अन्याय को दूर कर दिया गया है। [पैरा 66] [196-सी-डी] 10. विभाजन की एक विशेष परिभाषा धारा 6 (5) के स्पष्टीकरण में बनाई गई है। प्रावधानों का उद्देश्य बेटी के हित को खतरे में डालना और बेटी को सह-भागीदार के रूप में उसके अधिकार से वंचित करने और प्रतिस्थापित प्रावधानों से प्रवाहित लाभ को रद्द करने के लिए अन्यायपूर्ण तरीके से रक्षा में स्थापित नकली या तुच्छ लेनदेन का ध्यान रखना नहीं है। धारा 6 (5) में बनाए गए वैधानिक प्रावधान विभाजन के रूप में पूरे रंग को बदल देते हैं। हालाँकि, पहले प्रचलित कानून के तहत, एक मौखिक विभाजन को मान्यता दी गई थी। धारा 6 के प्रावधानों के परिवर्तन को देखते हुए, विधायिका का इरादा स्पष्ट है और मौखिक विभाजन की ऐसी याचिका को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। धारा 6 (5) के प्रावधानों की व्याख्या मौखिक विभाजन के प्रस्तावक पर सबूत का भारी बोझ डालने के लिए की जानी चाहिए।

राकेश शर्मा

भागों का अलग व्यवसाय, आय का विनियोग, और राजस्व अभिलेखों में परिणामी प्रविष्टि के रूप में स्वीकार किया जाता है और हमेशा अन्य समकालीन जनता द्वारा समर्थित किया जाता है।

साक्ष्य में स्वीकार्य दस्तावेजों को सभी सुरक्षा उपायों का प्रयोग करते हुए सबसे अनिच्छा से स्वीकार किया जा सकता है। की मंशा अधिनियम की धारा 6 केवल उन वास्तविक विभाजनों को स्वीकार करने के लिए है जो प्रचलित कानून के तहत हुए हो सकते हैं, और जिन्हें झूठे बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया है और केवल मौखिक रूप से दिए गए बयान को पूरी तरह से खारिज किया जाना है। संशोधित प्रावधानों से होने वाले लाभ को शून्य करने के लिए झूठे या तुच्छ बचाव को रोकने, स्थापित करने के उद्देश्य को पूरी तरह से प्रभावी बनाना होगा। अन्यथा, बेटी को सह-भागीदार के रूप में उसके अधिकारों से वंचित करना बहुत आसान हो जाएगा। जब इस तरह का बचाव किया जाता है, तो न्यायालय को इसे स्वीकार करने में बहुत सावधानी बरतनी होती है, और केवल तभी जब सार्वजनिक रूप से बहुत ठोस, त्रुटिहीन और समकालीन दस्तावेजी साक्ष्य हो।

समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध हैं, इस तरह की याचिका पर विचार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यह न्यायालय दोहराता है कि मौखिक विभाजन या विभाजन के ज्ञापन, अपंजीकृत, की याचिका को किसी भी समय, बिना किसी विभाजन के प्रस्तुत किया जा सकता है।

समकालीन सार्वजनिक दस्तावेज़ को हर कीमत पर अस्वीकार करने की आवश्यकता होती है। यह न्यायालय असाधारण रूप से अच्छे मामलों के लिए ऐसा कहता है जहां विभाजन निर्णायक रूप से साबित होता है और अदालतों को आगाह किया जाता है कि निष्कर्ष लैंगिक न्याय के प्रावधानों और सबूत के बहुत भारी बोझ को देखते हुए संभावनाओं की प्रधानता पर आधारित नहीं है जो धारा के स्पष्टीकरण के इरादे को पूरा करते हैं।

अपवाद बनाया गया है क्योंकि विभाजन के लिए एक पंजीकृत दस्तावेज का पूर्व निष्पादन आवश्यक नहीं था, और पारिवारिक प्रतिष्ठा के लिए शायद ही कभी न्यायालय से संपर्क किया गया था। इसे एक अंतिम उपाय के रूप में संपर्क किया गया था जब पार्टियां अपने परिवार को बसाने में सक्षम नहीं थीं। सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाद करें। इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाता है कि 1956 से पहले भी, धारा 6 (5) के तहत परिकल्पित अन्य तरीकों से विभाजन हुआ था। [पैरा 127] [234–डी–एच; 235–ए–सी]

11. धारा 6 (5) 'न्यायालय की डिक्री द्वारा प्रभावित विभाजन' के स्पष्टीकरण में उपयोग की गई अभिव्यक्ति का अर्थ होगा अंतिम डिक्री पारित करके वास्तविक विभाजन को अंतिम प्रभाव देना, तभी यह कहा जा सकता है कि अदालत की डिक्री विभाजन को प्रभावित करती है। एक प्रारंभिक आदेश शेयर की घोषणा करता है लेकिन वास्तविक [2020] 10 एस. सी. आर. को प्रभावित नहीं करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विभाजन, जो एक अंतिम डिक्री के पारित होने से प्रभावित होता है; इस प्रकार, वैधानिक प्रावधानों को पूर्ण प्रभाव दिया जाना है, क्या विभाजन वास्तव में अधिनियम के इरादे के अनुसार किया जाता है, यह अदालत द्वारा पता लगाया जाना है। यहां तक कि अगर विभाजन एक पंजीकृत दस्तावेज़ द्वारा समर्थित है, तो यह साबित करना आवश्यक है कि इसे प्रभावी बनाया गया था और उस पर कार्रवाई की गई थी और अन्यथा नकली या अमान्य नहीं है या इसके द्वारा किया गया है

न्यायालय का अंतिम आदेश। यदि विभाजन, वास्तव में, अंततः पूरी तरह से तैयार किया गया था जैसे कि इसे उसी तरीके से किया गया होगा जैसे कि किसी अदालत के डिक्री से प्रभावित होता है, तो इसे मान्यता दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। विलेख के विधिवत निष्पादन द्वारा किया गया विभाजन

पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत, विभाजन की पूर्ण घटना को भी संदर्भित करता है, जो न केवल अलग होने का इरादा है, बल्कि एक बेटी को अधिकार प्रदान करने वाली धारा 6 (5) के विशेष प्रावधानों से निपटने के दौरान ध्यान में रखा जाना चाहिए। विभाजन के प्रमाण के संबंध में एक स्पष्ट विधायी विचलन है जो इससे पहले प्रबल था; इस प्रकार, न्यायालय सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में लंबे समय तक निरंतर साक्ष्य के आधार पर असाधारण मामलों में विभाजन के अन्य तरीके को मान्यता दे सकता है, न कि केवल छिटपुट

प्रविष्टियां, तो ही यह धारा 6 (5) के प्रावधानों और इसके स्पष्टीकरण की भावना के अनुरूप नहीं होगा। [पैरा 128] [235-डी-जी]

12. परिणामस्वरूप, संदर्भ का उत्तर निम्नानुसार दिया गया हैः

(i) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की प्रतिस्थापित धारा 6 में निहित प्रावधान सह-भागीदार का दर्जा प्रदान करते हैं। संशोधन से पहले या बाद में उसी तरह से पैदा हुई बेटी जिसके समान अधिकार और देनदारियां हैं।

(ii) पहले पैदा हुई बेटी द्वारा 09.09.2005 से बचत के साथ अधिकारों का दावा किया जा सकता है जैसा कि प्रदान किया गया है।

वास्तविक विभाजन या व्यवधान नहीं लाया सह सहभागी। यह कथा केवल विनीता शर्मा बनाम का पता लगाने के उद्देश्य से थी।

राकेश शर्मा

1956 के अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट वर्ग-I की महिला उत्तराधिकारी या ऐसी महिला के पुरुष रिश्तेदार द्वारा जीवित रहने पर मृत सह-भागीदार का हिस्सा। प्रतिस्थापित धारा 6 के प्रावधानों को पूर्ण रूप से प्रभावी किए जाने की आवश्यकता है। इसके बावजूद कि एक प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है, अंतिम डिक्री या अपील के लिए लंबित कार्यवाही में बेटियों को बेटे के बराबर भागीदारी में हिस्सा दिया जाना है।

(v) धारा के स्पष्टीकरण के प्रावधानों की कठोरता को देखते हुए

के प्रावधानों के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन का पंजीकरण अधिनियम, 1908 या किसी न्यायालय की डिक्री द्वारा प्रभावी। हालांकि, असाधारण मामलों में जहां मौखिक विभाजन की याचिका सार्वजनिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित है और विभाजन अंततः स्पष्ट है

जिस तरह से यह किसी अदालत की डिक्री से प्रभावित हुआ था, उसी तरह इसे स्वीकार किया जा सकता है। मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन की याचिका

अकेले को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरी तरह से अस्वीकार किया जा सकता है। [पैरा 129] [235-एच; 236-ई-एफ]

प्रकाश और ओआरएस। वी. फुलावती और ओआरएस। (2016) 2 एससीसी 36:

[2015] 12 एस. सी. आर. 579-खारिज।

दानम्मा @सुमन सुरपुर और अन्र। वी. अमर और ओआरएस। ,

(2018) 3 एससीसी 343 [2018] 2 एससीआर 553

–

आंशिक रूप से अस्वीकृत।

(2006) 8 एससीसी 581: [2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 874; श्रीमती सीताबाई और अन्र। वी. रामचंद्र, आकाशवाणी 1970 एस. सी. 343:

[1970] 2 एस. सी. आर. 1; भारतीय स्टेट बैंक बनाम। घमंडीराम

3 एस. सी. आर. 681; संपदा शुल्क नियंत्रक, मद्रास बनाम। अल्लादी कुप्पुस्वामी (1977) 3 एस. सी. सी. 385 [1977] 3 एस. सी. आर. 721;

शत्रुघ्न इस्सर बनाम। सबुजपरी और ओआरएस। , ए. आई. आर 1967 एस. सी. 272

: [1967] 1 एस. सी. आर. 7; भगवान दयाल (मृतक होने के बाद से) और

एन. आर. वी. एमएस. रेवती देवी एयर 1962 एससी 287: [1962] 3

एस. सी. आर. 440; सुरजीत लाल छाबड़ा बनाम। आय आयुक्त कर (1976) 3 एस. सी. सी. 142: [1976] 2 एस. सी. आर. 164;

महाराष्ट्र बनाम. नारायण राव शाम राव देशमुख और [2020] 10 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ओआरएस। , (1985) 2 एससीसी 321: [1985] 3 एस. सी. आर. 358; विनीता शर्मा बनाम।

आयकर आयुक्त, पूना बनाम। एच. एच. राजा ऑफ भोर (1967) (65) आई. टी. आर. 634; वेल्लिकन्नू बनाम। आर. सिंगापेरुमल और अन्र। , (2005) 6 एस. सी. सी. 622 [2005] 1 पूरक। एससीआर 160; रोहित चौहान बनाम। सुरिंदर सिंह और

ओआरएस। , (2013) 9 एससीसी 419: [2013] 7 एस. सी. आर. 897; शंकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम एम. प्रभाकर और

कोटेश्वरम्मा और अन्र। वी. चकिरी यनदी और अन्र। , (2011) 9 एससीसी 788 [2011] 12 एससीआर 968; शुभ करण बुबना उपनाम शुभ करण प्रसाद बुबना बनाम। सीता सरन बुबना और ओआरएस। (2009) 9 एससीसी 689: [2009] 14 एससीआर 40–निर्भर

पर।

काले वी। समेकन के उप निदेशक (1976) 3 एस. सी. सी. 119 [1976] 3 एस. सी. आर. 202; जी. सेकर बनाम। गीता और ओआरएस। , (2009) 6 एससीसी 99: [2009] 5 एस. सी. आर. 1005; एंथनीस्वामी बनाम। छिन्नस्वामी, (1969) 3 एस. सी. सी. 15: [1970] 2 एस. सी. आर. 648; शशिकलाबाइ (श्रीमती) बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्र। (1998) 5 एस. सी. सी. 332; मंगम्मल बनाम। टी. बी. राजू, (2018) 15 एससीसी 662 [2018] 6 एससीआर 776; पुट्टरंगम्मा & ओआरएस। वी. एम. एस. रंगन्ना और अन्य। , आकाशवाणी 1968 एससी 1018: [1968] 3 एस. सी. आर. 119; मंचेरी पुथुसेरी अहमद और अन्य। वी. कुथिरावट्टम एस्टेट रिसीवर, (1996) 6 एससीसी 185: [1996] 5 पूरक। एस. सी. आर. 813; अनार देवी और अन्य। वी. परमेश्वरी देवी और अन्य। , (2006) 8 एससीसी 656: [2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 370; गुरुपद खंडप्पा मगदुम बनाम।

काशीनाथ सुथांकर और अन्य। (1974) 2 एससीसी 156: [1974] 3 एस. सी. आर. 474; कनई लाल सूर बनाम। परमनिधि साधुखान, [1958] एस. सी. आर. 360; लेफ्टिनेंट अमरेंद्र कर्नल पृथ्वी पाल सिंह

राकेश शर्मा

एन. के. शारदा थम्पट्टी, ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 2035: [1990] 1 पूरक। एस. सी. आर. 473; लक्ष्मी नारायण गिन और अन्य। वी. रंजन मोदक, (1985) 1 एस. सी. सी. 270: [1985] 2 एससीआर 202 ; यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कलकत्ता बनाम। अभिजीत टी कंपनी प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। , ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2957 [2000] 3 पूरक। एस. सी. आर. 153; आयकर आयुक्त, दिल्ली बनाम। एस. तेजा सिंह, आकाशवाणी 1959 एस. सी. 352: [1959] 1 पूरक। एस. सी. आर. 394; त्रावणकोर राज्य–कोचीन और अन्य। वी. षण्मुघा विलास काजू कारखाना और अन्य। , [1954] एस. सी. आर. 53; बंगाल इम्युनिटी कं. लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य। , ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 661 [1955] 2 एस. सी. आर. 603; संपदा शुल्क नियंत्रक बनाम। श्रीमती. एस. हरीश चंद्र, (1987) 167 आईटीआर 230; ग्यार्सी बाई बनाम। धनसुख लाल, आकाशवाणी 1965 एससी 1055: [1965] 2 एस. सी. आर. 154; हरि चंद रोच बनाम। हेम चंद और ओआरएस। (2010) 14 एस. सी. सी. 295: [2010] 12 एस. सी. आर. 1125; श्रीपद गजानन सुथानकर बनाम। दत्ताराम काशीनाथ सुथानकर, (1974) 2 एस. सी. सी. 156: [1974] 3 एस. सी. आर. 474; चिंतामणि अम्मल बनाम। नंदगोपाल गौंडर (2007) 4 एस. सी. सी. 163: [2007] 2 एससीआर 903; रुखमाबाई बनाम। लक्ष्मीनारायण, आकाशवाणी 1960 एस. सी. 335: [1960] 2 एस. सी. आर. 253; मुदिगौड़ा [2020] 10 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गौडप्पा शंख और ओआरएस। वी. रामचंद्र रेवगौड़ा शंख (मृत) अपने एल. आर. द्वारा। & एन. आर. , ए. आई. आर. 1969 एससी 1076: [1969] 3 एस. सी. आर. 245; कलवा देवदत्तम बनाम। भारत संघ, ए. आई.

आर 1964 एस. सी 880: [1964] 3 एस. सी. आर. 191; दिगंबर पाटिल बनाम। देवराम, एआईआर 1995 एससी 1728: [1995] 2 एस. सी. आर. 133; गिरिजानंदिनी देवी और अन्य। वी. बिजेंद्र नारायण

चौधरी, आकाशवाणी 1967 एससी 1124: [1967] 1 एस. सी. आर. 93–संदर्भित।

लोकमणि और ओआरएस। वी. महादेवम्मा और अन्य। [एस. एल. पी (सी) 2016 का No.6840] बालचंद्र बनाम। श्रीमती. पूनम और ओआरएस। [एसएलपी (सी) No.35994/2015]; सिस्टिया शारदा देवी बनाम। उप्पलुरी हरि नारायण और अन्य। [एसएलपी (सी) No.38542/2016]; गिरिजावा बनाम। कुमार हनुमंतगौड़ा और अन्य।

[एसएलपी (सी) No.6403/2019]; श्रीमती. वी. एल. जयलक्ष्मी बनाम वी. एल. बालकृष्ण और अन्य। [एसएलपी (सी) सं. 14353/2019]; इंदुबाई बनाम. यादवराव [एसएलपी (सी) No.24901/2019]; बी. के. वेंकटेश बनाम बी. के. पद्मावती [एसएलपी (सी) संख्या। 1766–67 / 2020] ;

—

संदर्भित किया गया।

नागिंदास भगवानदास बनाम। बाचू हर्किसोंडास, आकाशवाणी

1915 पी. सी. 41; नानक चंद और अन्य। वी. चंदर किशोर

& ओआरएस। , एयर 1982 डेल। 520 ; जी. नरसिम्हुलु और अन्य। वी. पी. बसव शंकरम और अन्य। , एयर 1925 मैड। 249 ; हरिदास नारायणदास भाटिया बनाम। देवकुवरबाई मुलजी, ए. आई. आर. 1926 बॉम। 408 ; रघुनाथ बनाम। ब्रोजो किशोर, 3 आई. ए. 154 (पी. सी.); बैजनाथ प्रसाद सिंह और अन्य। वी. तेज बाली सिंह, ए. आई. आर. 1921 पी. सी. 62; दीवान सिंह बनाम भैयालाल, (1997) 2 सांसद एल. जे.–202; श्री बालुसु गुरुलिंगस्वामी बनाम। श्री बालुसु रामलक्ष्मम्मा और अन्य। , 26 आई. ए. 113; बीरेश्वर मुकर्जी और अन्य। वी. शिब चंदर रॉय, 19 आई. ए. 101; अमरेंद्र मान सिंह भ्रामरबर और अन्र। वी. सनातन सिंह और अन्य। , ए. आई. आर. 1933 पी. सी. 155; श्री रघुनाथ बनाम। श्री ब्रोज़ो किशोर, 1876 (1) पागल। 69 = 3 आई. ए. 154; बद्रीनारायण शंकर भंडारी बनाम।

ओमप्रकाश शंकर भंडारी, आकाशवाणी 2014 बम। 151 ; रामलिंगा बनाम। नारायण, ए. आई. आर. 1922 पी. सी. 201; कल्याणजी विट्ठलदास और अन्य। वी. आयकर आयुक्त, बंगाल, ए. आई. आर. 1937 पी. सी. 36; पलानी अम्मल बनाम।

मुथुवेन्कटचाला, ए. आई. आर. 1925 पी. सी. 49; जोआला प्रसाद विनीता शर्मा बनाम।

राकेश शर्मा

सिंह बनाम। चंदरजेट कुएर एयर 1938 पैट 278;

चोकलिंगम बनाम। मुथुकरुप्पन एयर 1938 मैड 849;

रामाबद्रा बनाम। गोपालस्वामी, ए. आई. आर. 1931 मैड 404; गिरजा

बाई वी। सदाशिव, ए. आई. आर. 1916 पी. सी. 104, कवाल नैन बनाम।

प्रभुलाल, ए. आई. आर. 1917 पी. सी. 39; गंगाबाई बनाम। पुनाऊ

राजवा, ए. आई. आर. 1956 नाग 261; केदार नाथ बनाम। रतन सिंह

(1910) 37 आई. ए. 161; मुकुंद धर्मन भोइर और अन्य। वी.

बालकृष्ण पद्मनाजी और अन्य। एयर 1927 पी. सी. 224;

बख्श वी. बाबू लाल, ए. आई. आर. 1924 पी. सी. 126; कटमा नचियार वी. श्रीमत राजा मुट्टू विजय रागनाधा बोध

गुरू स्वामी पेरिया ओडया तावेर, (1863) 9 एम. आई. ए. 543

– संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 12 एससीआर 579

पैरा 1

खारिज कर दिया गया

[2018] 2 एससीआर 553

पैरा 1

आंशिक रूप से अस्वीकृत

[1969] 3 एससीआर 681

पैरा 11 (सी)

उस पर भरोसा करें

[1977] 3 एससीआर 721

पैरा 11 (डी)

उस पर भरोसा करें

पैरा 11 (ई)

[1970] 2 एससीआर 648

संदर्भित किया गया है

पैरा 11 (मी)

(1998) 5 एस. सी. सी. 332

संदर्भित किया गया है

[2018] 6 एससीआर 776

पैरा 12 (ए)

संदर्भित किया गया है

[1976] 2 एससीआर 164

पैरा 13 (ए)

उस पर भरोसा करें

[1968] 3 एससीआर 119

पैरा 13 (डी)

संदर्भित किया गया है

पैरा 13 (एफ)

[1996] 5 पूरक। एससीआर 813

संदर्भित किया गया है

पैरा 13 (जी)

[2006] 6 पूरक। एससीआर 370

संदर्भित किया गया है

पैरा 13 (एच)

[1978] 3 एससीआर 761

संदर्भित किया गया है

[1985] 2 एससीआर 643

पैरा 13 (जे)

संदर्भित किया गया है

[1974] 3 एससीआर 474

पैरा 13 (मी)

संदर्भित किया गया है

[1958] एससीआर 360

पैरा 14 (ए)

संदर्भित किया गया है

[1983] 1 एससीआर 393

पैरा 14 (ए)

संदर्भित किया गया है

[1997] 3 एससीआर 586

पैरा 15 (ए)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को संदर्भित किया गया

[2020]

[2011] 12 एससीआर 968

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

[1988] 2 एससीआर 623

उस पर भरोसा करें

पैरा 27

[2006] 6 पूरक। एससीआर 874

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

[2009] 12 एससीआर 38

संदर्भित किया गया है

पैरा 28

[1970] 2 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

[1988] 2 एससीआर 1077

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

[1967] 1 एससीआर 7

उस पर भरोसा करें

पैरा 32

[1962] 3 एससीआर 440

उस पर भरोसा करें

पैरा 33

[1966] 3 एससीआर 224

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

[1985] 3 एससीआर 358

उस पर भरोसा करें

पैरा 35

[2005] 1 पूरक। एससीआर 160

उस पर भरोसा करें

पैरा 37

[2013] 7 एससीआर 897

उस पर भरोसा करें

पैरा 38

[1987] 3 एससीआर 236

पैरा 39

संदर्भित किया गया है

[2011] 7 एससीआर 468

उस पर भरोसा करें

पैरा 40

[1985] 3 पूरक। एससीआर 169

उस पर भरोसा करें

पैरा 41

[1952] एससीआर 603

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

[1996] 1 एससीआर 1046

पैरा 50

संदर्भित किया गया है

[1990] 3 पूरक। एससीआर 212

उस पर भरोसा करें

पैरा 57

[2009] 5 एससीआर 1005

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

[2008] 7 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 80

[2010] 14 एससीआर 577

संदर्भित किया गया है

पैरा 82

[1990] 1 पूरक। एससीआर 473

संदर्भित किया गया है

पैरा 89

(1991) 3 एससीसी 647

उस पर भरोसा करें

पैरा 90

[2011] 8 एससीआर 55

उस पर भरोसा करें

पैरा 91

[2009] 14 एससीआर 40

उस पर भरोसा करें

पैरा 92

[1985] 2 एससीआर 202

संदर्भित किया गया है

पैरा 94

[2000] 3 पूरक। एससीआर 153

संदर्भित किया गया है

पैरा 95 विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा

[1968] 3 एससीआर 119

संदर्भित किया गया है

पैरा 98

[1959] 1 पूरक। एससीआर 394

संदर्भित किया गया है

पैरा 100

[1954] एससीआर 53

संदर्भित किया गया है

पैरा 101

[1955] 2 एससीआर 603

संदर्भित किया गया है

पैरा 101

[1965] 2 एससीआर 154

संदर्भित किया गया है

पैरा 103

[2010] 12 एससीआर 1125

संदर्भित किया गया है

पैरा 105

[1976] 3 एससीआर 202

पैरा 117

संदर्भित किया गया है

[1974] 3 एससीआर 474

पैरा 118

संदर्भित किया गया है

[2007] 2 एससीआर 903

संदर्भित किया गया है

पैरा 119

[1960] 2 एससीआर 253

संदर्भित किया गया है

पैरा 120

[1969] 3 एससीआर 245

संदर्भित किया गया है

पैरा 120

[1964] 3 एससीआर 191

संदर्भित किया गया है

पैरा 121

[1995] 2 एससीआर 133

संदर्भित किया गया है

पैरा 122

[1967] 1 एससीआर 93

संदर्भित किया गया है

पैरा 123

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील डायरी नं.

32601 2018 से।

उच्च न्यायालय के 15.05.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के आर. एफ. ए. सं. 301 में नई दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा।

के साथ

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं। 684 2016 का 2015 का 35994,

38542 2016 का 6403, 14353। 2019 का 24901, 2020 का 1766–1767।

तुषार मेहता, एस. जी., आर. वेंकटरमानी, वी. वी. एस. राव, रंजीत कुमार,

श्री एड. (एसी), विश्वजीत भट्टाचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री स्वाति घिल्डियाल, ए. के. शर्मा, सुश्री रश्मि नंदकुमार, बैरपानेनी सुयोधन,

सुश्री तातिनी बसु, रुपेश कुमार, राजीव शर्मा, सुश्री नीलम शर्मा, सुश्री पंखुड़ी श्रीवास्तव, रोहित राठी, समीर श्रीवास्तव, आई. वी. कश्यप, कृष्ण कुमार, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, वी. एन. रघुपति, राघवेंद्र

भारद्वाज, श्रीधर पोटाराजू, सुश्री शिवानी तुशीर, सुश्री जी. उषा श्री, विष्णु तुलसी मेनन, राजेश महाले, अंकोलेकर गुरुदत्त, सुभाशीष मोहंती, सुश्री अनघा एस. देसाई, इरशाद अहमद, श्री पाल सिंह, मनु [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मृदुल, सूर्यकांत, सत्य काम शर्मा, सुश्री अपेक्षा डी., अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था अरुण मिश्रा, जे.

1. हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 (संक्षेप में, '2005 का अधिनियम') द्वारा संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संक्षेप में, '1956 का अधिनियम') की धारा 6 की व्याख्या से संबंधित प्रश्न को दिए गए परस्पर विरोधी निर्णयों को देखते हुए एक बड़ी पीठ को भेजा गया है।

प्रकाश और अन्य मामलों में इस न्यायालय के दो खंड पीठ के निर्णयों में। वी. फुलावती और ओआरएस। , (2016) 2 एस. सी. सी. 36 और दानम्मा @सुमन सुरपुर और अन्र। वी. अमर और ओआरएस। , (2018) 3 एससीसी 343। अन्य संबंधित मामलों में, शामिल प्रश्न समान है; जैसे, उन्हें भी सुनवाई के लिए भेजा गया है।

2. लोकमणि और ओआरएस के मामले में। वी. महादेवम्मा और अन्य। , [एस. एल. पी (ग) 2016 का <आई. डी. 2] उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 2005 के अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 6 को 1956 के अधिनियम के लागू होने के बाद से माना जाता है, संशोधित प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाता है, जब बेटियों को अधिनियम में अधिकार से वंचित किया गया था।

सह-पक्षीय संपत्ति, लंबित कार्यवाही का निर्णय प्रकाश में किया जाना है

संशोधित प्रावधान। असमानता दूर हो गई है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मौखिक विभाजन और अपंजीकृत विभाजन विलेखों को संशोधित धारा 6 (5) के स्पष्टीकरण में उपयोग की गई 'विभाजन' की परिभाषा से बाहर रखा गया है।

3. बालचंद्र बनाम। श्रीमती. पूनम और ओआरएस। [एसएलपी [सी] No.35994/2015], उठाया गया प्रश्न धारा 6 की पूर्वव्यापीता के बारे में है

संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा प्रतिस्थापित और यदि पिता जो संयुक्त हिंदू परिवार में सह-भागीदार थे, 2005 के अधिनियम के लागू होने पर जीवित नहीं थे, तो क्या बेटी संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति का सह-भागीदार बनेगी।

4. सिस्टिया शारदा देवी बनाम। उप्पलुरी हरि

नारायण और ओआरएस। [एस. एल. पी. [सी] No.38542/2016], यह सवाल उठाया गया है कि विभाजन के मुकदमे में अंतिम डिक्री कहाँ पारित नहीं की गई है, क्या बेटियों द्वारा शेयरों के पुनः वितरण का दावा संशोधित धारा 6 द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि प्रतिस्थापित किया गया है।

5. गिरिजव्व बनाम। कुमार हनुमंतगौड़ा और अन्य। [एसएलपी [सी]

No.6403/2019], यह सवाल उठाया गया है कि क्या धारा 6, प्रतिस्थापित के रूप में, विनीता शर्मा बनाम।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

यह संभावित है क्योंकि वर्ष 1994 में पिता की मृत्यु हो गई थी और इस प्रकार, बेटियों को कोई लाभ नहीं मिल सका।

6. श्रीमती में। वी. एल. जयलक्ष्मी बनाम वी. एल. बालकृष्ण और अन्य। [एस. एल. पी. [सी] नं. 14353/2019], याचिकाकर्ता ने अपने पिता के खाते के विभाजन की मांग की।

पैतृक संपत्ति और मुकदमा 2001 में दायर किया गया था। निचली अदालत ने सभी पक्षों को एक-सातवां हिस्सा दिया। उसी को संशोधित किया गया था। यह याचिकाकर्ता के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था, और प्रकाश बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में बेटियाँ केवल 1/35 वें हिस्से की हकदार थीं। फुलवती (ऊपर)।

7. इंदुबाई बनाम। यादवराव [एसएलपी [सी] No.24901/2019], इसी तरह का सवाल उठाया गया है। बी. के. वेंकटेश बनाम बी. के. पद्मावती [एसएलपी]

[सी] संख्या। 1766-67 / 2020] , अनुसूची ए संपत्ति की मद संख्या 1 में बेटियों को समान हिस्सेदारी दी गई है, जिस पर सवाल उठाया गया है।

8. प्रकाश बनाम मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ। फुलावती (ऊपर)

अभिनिर्धारित किया कि धारा 6 पूर्वव्यापी नहीं है और यह तब लागू होती है जब सह–भागीदार और उनकी बेटी दोनों जीवित थे

संशोधन अधिनियम, 9.9.2005 का प्रारंभ। इस न्यायालय ने आगे राय दी कि धारा 6 (5) के स्पष्टीकरण में निहित प्रावधान प्रतिस्थापित धारा 6 के लिए विभाजन की आवश्यकता के लिए प्रदान करता है

एक पंजीकृत या एक अदालत की डिक्री द्वारा, उत्तराधिकार के उद्घाटन पर एक वैधानिक काल्पनिक विभाजन के लिए कोई आवेदन नहीं हो सकता है जैसा कि अपरिवर्तित धारा 6 में प्रदान किया गया है। ऐसा माना जाता है कि काल्पनिक वैधानिक विभाजन मृतक सह–भागीदार के हिस्से का पता लगाने के लिए किया गया है जो इसके स्पष्टीकरण सहित धारा 6 (1) या धारा 6 (5) के परंतुक के तहत शामिल नहीं है। कानून के संचालन द्वारा संपत्ति के विभाजन के लिए पंजीकरण की आवश्यकता लागू नहीं होती है, जिसे पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए। धारा 6 के प्रावधानों को संभावित माना गया है।

9. दानम्मा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 6 के संशोधित प्रावधान बेटी सह–भागीदार को पूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं।

बेटी सहित कोई भी सह–भागीदार, सह–पक्षीय संपत्ति में विभाजन का दावा कर सकता है। गुरुनालिंगप्पा का वर्ष 2001 में निधन हो गया। अपने पीछे दो बेटियां, दो बेटे और एक विधवा छोड़ गए हैं। जब धारा 6 का प्रतिस्थापित प्रावधान लागू हुआ, तब कॉपरसेनर के पिता जीवित नहीं थे। बेटियों, बेटों और विधवाओं को एक–एक पंचमांश हिस्सा दिया गया।

तर्कः

10. भारत संघ की ओर से पेश हुए भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने निम्नलिखित तर्क दिएः

(i) बेटियों को सह–भागीदार का अधिकार दिया गया है,

बेटों के साथ समानता लाना, और बेटी को सह–भागीदारी से बाहर रखना भेदभावपूर्ण था और उत्पीड़न और मौलिक अधिकारों की उपेक्षा का कारण बना। संशोधन अधिनियम, 2005 पूर्वव्यापी नहीं है, लेकिन पूर्वव्यापी है क्योंकि यह संशोधन अधिनियम के प्रारंभ पर बेटियों को अपने सह–सहभागी अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। भले ही जन्म से बेटी को सह–भागीदार का अधिकार प्राप्त हो, सह–भागीदार एक जन्मसिद्ध अधिकार है। (ii) बेटियों को सह–सदस्य का दर्जा प्रदान करने से किसी भी विभाजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो 20.12.2004 से पहले हुआ होगा जब विधेयक को राज्य सभा के समक्ष पेश किया गया था जैसा कि धारा 6

(1) के परंतुक में निहित है। इसलिए, बेटी को अधिकार प्रदान करने से उन अधिकारों में कोई बाधा नहीं आई जो 20.12.2004 से पहले विभाजन द्वारा स्पष्ट हो गए थे।

(iii) असंशोधित धारा 6 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पुरुष सह–भागीदार था

मृत्यु होने पर अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट महिला रिश्तेदार या ऐसी महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करने वाले पुरुष रिश्तेदार को छोड़ दिया जाता है, बेटी अपने पिता के सह–सहभागी हित में सीमित हिस्से की हकदार थी जो उसके अधिकारों में सह–भागीदार के रूप में साझा नहीं करती थी। वे पुत्रों/पुरुष समकक्षों की तरह पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी बनने में असमर्थ थे। मिताक्षर सह–पक्षीय कानून ने न केवल आधार पर भेदभाव में योगदान दिया

लेकिन यह दमनकारी था और भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता के मौलिक अधिकार को नकारता था।

(iv) संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख 9.9.2005 से प्रभाव से, बेटियाँ जन्म से सह–भागीदार बन गईं।

(vi) धारा 6 के प्रावधानों के प्रतिस्थापन के बाद, उत्तरजीविता द्वारा सह–सदस्य के हस्तांतरण को निरस्त कर दिया गया है। अब मामले में सह–भागीदार, पुरुष/महिला की मृत्यु, सह–भागीदार ब्याज उत्तरजीविता द्वारा नहीं, बल्कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत या वसीयती उत्तराधिकार के आधार पर निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा।

विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

(vii) प्रकाश बनाम में निर्णय। फुलावती इस प्रभाव से कि एक जीवित सह–भागीदार की एक जीवित बेटी होनी चाहिए 2005 के अधिनियम की शुरुआत उस सह–भागीदारी की सराहना करने में विफल रही

अधिकार जन्म से होते हैं। एक हिंदू सह–भागीदार पिता या किसी अन्य सह–भागीदार की मृत्यु केवल 2005 के अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत उसके सह–भागीदार हित के उत्तराधिकार के लिए प्रासंगिक है। किसी भी सह–सहभागी की मृत्यु किसी भी सह–सहभागी को समाप्त नहीं करती है। में वृद्धि या कमी

प्रत्येक सह–सहभागी द्वारा स्वतंत्र रूप से आयोजित सह–सहभागी ब्याज जन्म या मृत्यु से हो सकता है। सह–सहभागी की मृत्यु पर, काल्पनिक विभाजन केवल उसके सह–सहभागी के हित को निर्धारित करने के लिए तैयार किया जाता है। यह सह–विभाजन की अन्य घटनाओं को बाधित नहीं करता है, यह अन्य सह–विभाजनकर्ताओं के साथ बिना किसी व्यवधान के जारी रह सकता है, और यहां तक कि जन्म के कारण नए सह–विभाजनकर्ताओं को तब तक जोड़ा जा सकता है जब तक कि वास्तविक विभाजन नहीं हो जाता। सह–आंशिक ब्याज तभी निश्चित होता है जब कोई विभाजन किया जाता है।

(viii) धारा 6 में सह–भागीदार की बेटी का अर्थ किसी जीवित सह–भागीदार या पिता की बेटी को सह–भागीदार की मृत्यु के रूप में नहीं है।

पिता स्वचालित रूप से सहभागीदारी के अंत की ओर नहीं ले जाता है, जो हो सकता है जीवित अन्य सह–भागीदारों के साथ जारी रखें। इस प्रकार, सह–भागीदार, जिससे बेटी सह–भागीदार होने के कारण विरासत में मिल रही है, को 2005 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ पर जीवित होने की आवश्यकता नहीं है।

(ix) 20.12.2004 पर राज्य सभा के समक्ष पेश किए गए मूल संशोधन विधेयक में धारा 6 (5) का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया था, जो बाद में जोड़ा गया।

(x) अक्सर, सह–भागीदार एक पारिवारिक व्यवस्था या मौखिक विभाजन में प्रवेश करते हैं, और इस तरह के विभाजन को पंजीकृत करना आवश्यक नहीं हो सकता है।

संशोधन अधिनियम की धारा 6 (5) के स्पष्टीकरण में विभाजन को पंजीकृत करने की आवश्यकता है, जिसे किसी भी फर्जी या नकली लेनदेन से बचने के लिए जोड़ा गया था। संशोधन अधिनियम की पूरी योजना को ध्यान में रखते हुए, पंजीकृत विभाजन विलेख की आवश्यकता निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। किसी भी पारिवारिक व्यवस्था या मौखिक विभाजन पर भरोसा करने वाले किसी भी सह–भागीदार को उचित दस्तावेजी साक्ष्य का नेतृत्व करके इसे साबित करना चाहिए।

11. विद्वान वरिष्ठ वकील/न्याय मित्र श्री आर. वेंकटरमानी ने निम्नलिखित तर्क दिएः

(क) प्रकाश बनाम में निर्णयों के बीच कोई टकराव नहीं है। फुलावती (ऊपर) और दानम्मा बनाम। सुमन (ऊपर)। दोनों में

निर्णय, धारा 6 के प्रावधानों को संभावित अनुप्रयोग का माना गया है। संशोधन एक संभावित संशोधन है। [2020] 10 एस. सी. आर. द्वारा घोषणा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून कि एक सह–भागीदार की बेटी के पास कुछ अधिकार हैं और कुछ देनदारियों के अधीन होने की संभावना है। बेटी को संशोधन अधिनियम के तहत सह–भागीदार के रूप में माना जाता है न कि इसके कारण

संशोधन से पहले बेटी का जन्म।

(ख) अंग्रेजी कानून में संयुक्त किरायेदारी सिद्धांत के विपरीत, एक संयुक्त हिंदू परिवार एक अलग आधार पर खड़ा है। जन्म से हर बेटा एक बन गया

सह–भागीदार, और जन्म के कारण, बेटा विभाजन का दावा करने का हकदार संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति में सह–भागीदार बनने का हकदार बन गया। संयुक्त हिंदू के कर्ता की मृत्यु के संदर्भ के साथ या उसके बिना

परिवार। परिवार में पैदा हुए बेटे की तरह, गोद लिया हुआ बेटा भी संयुक्त परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का हकदार है। वह दत्तक पिता के साथ सह–भागीदार बन जाता है, लेकिन प्राकृतिक परिवार के साथ

उसका संबंध टूट जाता है, जिसमें जन्म के परिवार में सह-भागीदार के रूप में उसकी स्थिति भी शामिल है जैसा कि नगींदास भगवानदास बनाम में निर्धारित किया गया है। बाचू हर्किसोंडास, ए. आई. आर. 1915 पी. सी. 41

और नानक चंद और अन्य। वी. चंदर किशोर और ओआरएस। , एयर 1982 डेल। 520 .

(ग) एक हिंदू संयुक्त परिवार में एक आम पुरुष पूर्वज के वंशज पुरुष सदस्य होते हैं, जो अपनी माताओं, पत्नियों या विधवाओं के साथ होते हैं, और अविवाहित बेटियां पारिवारिक संबंध के सपिंडाशिप के मौलिक सिद्धांत से बंधी होती हैं।

सह-वार्षिक संस्था की विशिष्ट विशेषता। एक संयुक्त परिवार में एक एकल पुरुष सदस्य और मृत पुरुष सदस्यों की विधवाएँ हो सकती हैं। यह निकाय विशुद्ध रूप से कानून का एक प्राणी है और इसे पक्षों के एक कार्य द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, जैसा कि जी. नरसिंहुलु और अन्य में देखा गया है। वी. पी. बसव शंकरम और अन्य। , एयर 1925 मैड। 249 ; और भारतीय स्टेट बैंक बनाम। गुरबक्स राय, (1969) 2 एस. सी. सी. 33 के माध्यम से घमंडी राम (मृत)। एक अविभाजित परिवार जो हिंदू समाज की सामान्य स्थिति है, आम तौर पर न केवल संपत्ति में बल्कि भोजन और पूजा में संयुक्त होता है, और इसलिए, न केवल संयुक्त परिवार की चिंताएं, बल्कि जो कुछ भी उनके परिवार से संबंधित है। समानता और उनके धार्मिक कर्तव्यों को सदस्य या उस प्रबंधक द्वारा विनियमित किया जाता है जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से या निहितार्थ द्वारा विनियमन का कार्य सौंपा है जैसा कि रघुनाथ v में आयोजित किया गया है। ब्रोजो किशोर, 3 आई. ए. 154 (पी. सी.)। सह-भागीदार की स्थिति जन्म का परिणाम है; संयुक्त संपत्ति का कब्जा केवल संयुक्त परिवार का एक सहायक है और इसके संविधान के लिए आवश्यक नहीं है, जैसा कि हरिदास नारायणदास भाटिया बनाम में चर्चा की गई है।

देवकुवरबाई मुलजी, ए. आई. आर. 1926 बॉम। 408 .

((घ) कहा जाता है कि एक हिंदू सह-सभा में सात आवश्यक तत्व होते हैं।

विशेषताएँ, जिनमें शामिल हैं कि एक मृत सदस्य का हित विनीता शर्मा बनाम।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

उसकी मृत्यु पर जीवित रहता है और सह-संपत्ति में विलय हो जाता है जैसा कि संपत्ति शुल्क नियंत्रक, मद्रास बनाम में देखा गया है। अल्लादी कुप्पुस्वामी, (1977) 3 एससीसी 385। नतीजतन, यदि पिता या किसी अन्य सह-भागीदार की मृत्यु संशोधन अधिनियम, 2005 से पहले हो गई है, तो पिता या किसी अन्य सह-भागीदार का हित

संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख तक। (ई) एंथनीस्वामी बनाम। छिन्नास्वामी, (1969) 3 एस. सी. सी. 15, यह देखा गया कि एक तार्किक परिणाम और प्रति-संतुलन के रूप में

संशोधन से पहले का सिद्धांत, कि पुत्र अपने जन्म के क्षण से ही सह-भागीदार में ब्याज प्राप्त कर लेता है, उस पर उस उद्देश्य के लिए अपने पिता के ऋण का भुगतान करने का एक पवित्र दायित्व लगाया जाता है जो अवैध या अनैतिक नहीं है।

(च) बैजनाथ प्रसाद सिंह और अन्य में। वी. तेज बाली सिंह, ए. आई. आर. 1921 पी. सी. 62, यह देखा गया कि दोनों के बीच अंतर है।

हिंदू कानून में सह-पक्षीय, जो अंग्रेजी कानून के तहत समझे जाने वाले सह-पक्षीय के समान नहीं है। किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में

मिताक्षर कानून के तहत सह-सहभागी, उनका अधिकार अन्य लोगों को जाता है

सदस्य उत्तरजीविता द्वारा जबकि अंग्रेजी कानून के तहत यदि संयुक्त रूप से विरासत में मिली संपत्ति के सह-उत्तराधिकारियों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका अधिकार जीवित सह-भागीदारों को दिए बिना उसके रिश्तेदारों को जाता है।

(छ) जन्म और गोद लेने से, एक पुरुष सह-भागीदार बन जाता है। गोद लेने की प्रथा प्राचीन मूल की है, जैसा कि अमरेंद्र मान में देखा गया है।

2005 से पहले एक बेटी के जन्म की घटना का कोई परिणाम नहीं है और पिछले लेनदेन को फिर से खोलने के लिए नहीं है। (i) मौखिक विभाजन और पारिवारिक समझौते को धारा 6 (1) और 6 (5) द्वारा फिर से खोलने का इरादा नहीं है।

(जे) यदि संशोधन से पहले अतीत में किसी भी समय बेटी को सह-भागीदार माना जाता है, तो यह बहुत कुछ लाएगा।

कानून के कामकाज में अनिश्चितता। यह कहा जा सकता है कि संसद का इरादा अंडे को तोड़ना या अंडे को फिर से जीवित करना नहीं है।

अतीत।

(एम) शशिकलबाई (श्रीमती) बनाम में निर्णय के आलोक में। महाराष्ट्र राज्य और अन्र। , (1998) 5 एस. सी. सी. 332, पिछले लेनदेन को फिर से नहीं खोला जा सकता है। इस प्रकार, बेटी, जिसका सह-भागीदार पिता धारा 6 के प्रावधानों को शामिल करने की तारीख को जीवित था, को सह-भागीदार माना जाएगा। कोई भी अन्य व्याख्या अन्याय का कारण बनेगी। परिणाम।

12. श्री V.V.S.Rao विद्वान न्याय मित्र/वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया

वहः

(क) प्रकाश बनाम का तर्क। फुलावती को बरकरार रखा गया है

मंगम्मल वी. टी. बी. राजू (2018) 15 एस. सी. सी. 662। यह माना गया था कि संपत्ति के उत्तराधिकारी के रूप में एक जीवित सह-भागीदार की एक जीवित बेटी होनी चाहिए

2005 के अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के प्रवर्तन की तारीख को।

(बी) धारा 6 (1) (ए) एक बेटी को सह-भागीदार घोषित करता है

जन्म। घोषणा द्वारा, एक बेटी को कोपारसेनरी में शामिल किया जाता है। जैसा कि घोषणा इस प्रभाव के लिए है कि बेटी जन्म से सह-भागीदार बनने वाली है, संभावना या पूर्वव्यापीता का सवाल नहीं उठेगा-बेटी, चाहे वह 2005 से पहले पैदा हुई हो या उसके बाद, को एक आदर्श माना जाता है।

सह-भागीदार।

(ग) धारा 6 (1) (ख) और (ग) बेटी को सह-भागीदार के रूप में शामिल करने के प्रभावों से संबंधित है। सादा भाषा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए

पूर्ण काल "समान अधिकार होंगे", एकमात्र निष्कर्ष यह है कि संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद जो बेटियाँ सह-सदस्य में शामिल हैं, उन्हें समान अधिकार होंगे। भविष्य का पूर्ण काल विनीता शर्मा बनाम।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

यह इंगित करता है कि कोई कार्य भविष्य में किसी बिंदु पर पूरा (समाप्त या परिपूर्ण) हो गया होगा। यह काल "विल" प्लस "हैव" प्लस क्रिया के पास्ट पार्टिसिपल के साथ बनता है। यदि संसद का इरादा था कि

इसका अर्थ यह है कि संशोधन के पूर्ववर्ती सह-अधिवेशन में समान अधिकार प्रदान करने के लिए, भाषा अलग होती। भविष्य का पूर्ण काल इंगित करता है कि कार्रवाई को भविष्य में किसी समय पूरा करना होगा। काल "विल" प्लस "हैव" प्लस क्रिया के पिछले प्रतिभागी के साथ बनता है। यदि संसद का इरादा संशोधन के पूर्ववर्ती सह-अधिवेशन में समान अधिकार प्रदान करने का होता, तो भाषा अलग होती। यदि बेटी को अब सह-भागीदार बनाया जाता है, तो उसे अब उतने ही अधिकार होंगे जितने वह एक बेटा है। (घ) धारा 6 का विधायी इतिहास 1956 के अधिनियम के अधिनियमित होने से पहले के प्रावधान को समझने में प्रकाश डालता है। महिलाएं नहीं थीं।

सह-पक्षीय संपत्तियों में कोई रुचि रखने वाले, और एक सह-पक्षकार की मृत्यु पर, मृत सह-पक्षकार का हिस्सा जीवित सह-पक्षकारों को हस्तांतरित किया जाता था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने प्रवेश किया

प्रणाली। इसने प्रावधान किया कि एक सह-भागीदार के निधन पर, सह-भागीदार संपत्तियों में उसकी रुचि अन्य सह-भागीदारों पर हस्तांतरित नहीं होगी उत्तरजीविता, और मृतक सह-भागीदार का हिस्सा होना था

मृत्यु की तारीख को काल्पनिक विभाजन के माध्यम से पता लगाया जाता है। उस सीमित सीमा तक, महिलाएं सह-भागीदार नहीं बनीं, लेकिन वे संपत्ति के उत्तराधिकारी बन सकती थीं। (ई) भारत के विधि आयोग की

174 वीं रिपोर्ट में केरल मॉडल को अपनाने की सिफारिश की गई थी, और केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कई राज्यों में संशोधन किए गए थे, जिससे बेटियों को सह-आंशिक अधिकार दिए गए थे।

(च) संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मंत्रालय ने विवाहितों को इस विधेयक के प्रावधान का लाभ देने का प्रस्ताव रखा है।

प्रस्तावित संशोधन कानून के प्रारंभ के बाद बेटियाँ।

(छ) रिपोर्ट में यह प्रस्तावित किया गया था कि संशोधित धारा 6 में कुछ भी उस विभाजन पर लागू नहीं होगा जो इससे पहले प्रभावित हुआ है।

संशोधन अधिनियम का प्रारंभ। (ज) समिति द्वारा विचार-विमर्श से यह भी संकेत मिलता है कि मौखिक माध्यमों से किए गए विभाजन के संबंध में यह राय दी गई थी कि

यह किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। प्रचलित कानून के अनुसार, यह आवश्यक नहीं था कि विभाजन को पंजीकृत किया जाना चाहिए। हो सकता है कि

मौखिक विभाजन भी, क्योंकि कानून इसे प्रतिबंधित नहीं करता है। उसी समय, [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समिति ने कहा कि 'विभाजन' शब्द को उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, इसे पंजीकृत किया जाना चाहिए या न्यायालय के आदेश द्वारा प्रभावित किया जाना चाहिए। यदि मौखिक विभाजन को मान्यता दी जाती है, तो इसे उचित साक्ष्य समर्थन द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। (i) संसद का इरादा बेटी के जन्म से सह-भागीदार का दर्जा प्रदान करना था। हालाँकि, यह कभी भी प्रदान करने का इरादा नहीं था

उसे सह-पक्षीय संपत्ति में अधिकार पूर्वव्यापी रूप से, निम्नलिखित के लिए कारणः

ए। धारा 6 (1) (ए) संशोधन के प्रारंभ पर और उसके बाद से सह-अधिवेशन में एक बेटी को शामिल करने से संबंधित है।

अधिनियम 2005, डब्ल्यू. ई. एफ. 9.9.2005;

बी। धारा 6 (1) का संचालन भाग न केवल खंड (ए) को नियंत्रित करता है

लेकिन खंड (बी) और (सी) भी;

सी। इसलिए जिस बेटी को 9.9.205 से सह-भागीदार घोषित किया जाता है, उसका केवल सह-आंशिक संपत्ति में अधिकार होगा।

9.9.2005 से;

डी। समान रूप से, एक बेटी जो अब सह–भागीदार है, केवल 9.9.2005 से संपत्ति के संबंध में समान देनदारियों के अधीन होगी।

(जे) सह–पक्षीय स्थिति का संयोजन "संशोधन अधिनियम" के प्रारंभ पर और उससे प्रभावी होगा। धारा 6 (1) में "चालू और से" शब्दों का उपयोग इंगित करता है कि बेटी अधिनियम के प्रारंभ से ही सह–भागीदार बन जाती है। सह–भागीदार की बेटी जन्म से सह–भागीदार बनेगी, उसके पास समान अधिकार होंगे और वह समान देनदारियों के अधीन होगी। "होगा" शब्द बेटी की उचित स्थिति को इंगित करता है क्योंकि सह–भागीदार केवल भविष्य के लिए बनाया गया है और यह पुरुष सह–भागीदार के मौजूदा अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। "बनना", "होना" और "होना" शब्दों का उपयोग सभी वर्तमान काल हैं, और वे हैं

उपरोक्त सुझाई गई व्याख्या का समर्थन करने के लिए दोहराएँ। (के) विधि आयोग द्वारा अनुशंसित विधेयक और पेश किए गए विधेयक में धारा 6 (5) के स्पष्टीकरण का उल्लेख नहीं किया गया था। इसे केवल संसदीय समिति की सिफारिशों पर पेश किया गया था। इस प्रकार, पंजीकृत विलेख और न्यायालय की डिक्री द्वारा विभाजन की अवधारणा पेश की गई। यह इस प्रकार है कि एक बेटी के सह–भागीदार बनने पर

एक विशेष तिथि से, वह एक सह–भागीदार के हिस्से को संभावित रूप से प्रभावित नहीं कर सकती है, जो पहले से ही तय किया गया था जैसा कि प्रकाश v में आयोजित किया गया था। फुलवती।

विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

(1) सह–भागीदार का दर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक शर्त

बेटी पर यह है कि 2005 में अधिनियम के लागू होने की तारीख पर एक सह–अधिवेशन होना चाहिए। यदि सह–अधिवेशन बाधित हो गया था

पक्षकारों के कार्य से या पक्षकारों की मृत्यु से, विभाजन या बिक्री में, बेटी को सह–सहभागी का दर्जा नहीं मिल सकता था। प्रदत्त स्थिति अलगाव, स्वभाव, विभाजन के पिछले लेनदेन को प्रभावित नहीं कर सकती है–मौखिक या लिखित। (m) विभाजन विभाजन ज्ञापन के रूप में हो सकता है, या इसे मौखिक रूप से भी किया जा सकता है। अधिकांश परिवारों में मौखिक विभाजन हुआ करता था। एक बार जब पक्ष अपने अधिकारों का निपटारा कर लेते हैं, तो मौखिक रूप से प्रभावित विभाजन को बेटियों को हिस्सेदारी देने के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस तरह के कानूनी लेनदेन को अस्थिर नहीं किया जा सकता है; स्पष्टीकरण अतीत के सभी वास्तविक लेनदेन की रक्षा करता है, जिसमें पक्षों द्वारा प्रभावित मौखिक विभाजन भी शामिल है। स्पष्टीकरण को अन्य सभी को अमान्य करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

20.12.2004 से पहले सह–आंशिक संपत्ति के संबंध में विभाजन या मौखिक विभाजन को रिकॉर्ड करने वाले दस्तावेज।

(एन) संशोधन अधिनियम के तहत सह-भागीदार का दर्जा प्राप्त बेटियां पहले हुए पिछले लेनदेन को चुनौती नहीं दे सकती हैं। 20.12.2004 , और बेटी को संशोधन की तारीख को जीवित होना चाहिए। ऐसा 'जीवित सह-भागीदार' होना चाहिए जिसे बेटी सह-भागीदार बनने के लिए विरासत में प्राप्त कर सके।

13. विद्वान वकील श्री श्रीधर पोटाराजू ने जोर-शोर से तर्क दिया

वहः (क) प्रकाश बनाम में निर्णय। फुलवती ने प्रावधान की सही व्याख्या को अपनाया। विवाहित बेटियों को पिता के संयुक्त परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता है। उन्हें प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के रूप में मान्यता दी गई थी, जो अपने आप में उन्हें अपने पिता के संयुक्त हिंदू परिवार का हिस्सा नहीं बनाते थे। उन्होंने सुरजित लाल छाबड़ा बनाम पर भरोसा किया है। आय आयुक्त

कर, (1976) 3 एस. सी. सी. 142। एक विवाहित बेटी पिता के परिवार की सदस्य नहीं रह जाती है और अपने पति के परिवार की सदस्य बन जाती है।

(ख) जैसा कि पी. रामनाथ अय्यर ने मेजर लॉ लेक्सिकन में विचार किया है, भूमि को सह-विभाजन में रखा जाता है जब स्वामित्व, अधिकार और हित की एकता होती है। एक हिंदू सह-पक्षीय जोड़ की तुलना में एक संकीर्ण शरीर है।

परिवार। एक सह-भागीदार विरासत में दूसरों के साथ (समान रूप से) साझा करता है

एक आम पूर्वज की संपत्ति। अन्यथा जिन्हें पारसनर कहा जाता है, वे ऐसे होते हैं जिनका पूर्वज की विरासत में बराबर हिस्सा होता है। एक सह-भागीदार का हिस्सा अनिर्धारित है और जन्म और मृत्यु [2020] 10 एस. सी. आर. के साथ उतार-चढ़ाव करता रहता है।

एक सह-भागीदार का। जब एक पुरुष पैदा होता है, तो वह एक सह-भागीदार बन जाता है, जिससे अन्य सह-भागीदारों की हिस्सेदारी कम हो जाती है। एक सह-भागीदार की मृत्यु की स्थिति में, उत्तरजीविता का नियम लागू होता है, और संपत्ति मृत सह-भागीदार के उत्तराधिकारियों के बहिष्कार के लिए जीवित सह-भागीदारों पर निर्भर करता है। सह-भागीदार की स्थिति जन्म के साथ शुरू होने वाली और मृत्यु के साथ समाप्त होने वाली या विभाजन या वैधानिक कल्पना के माध्यम से ऐसी स्थिति के विच्छेद द्वारा कानून का निर्माण है। सह-सहभागी की स्थिति मृत्यु पर समाप्त हो जाती है।

(ग) "सह-भागीदार की बेटी" का अर्थ है एक जीवित व्यक्ति की बेटी और प्रारंभ की तारीख को सह-भागीदार का दर्जा प्राप्त है।

संशोधन अधिनियम। यदि कोई वैधानिक विभाजन हुआ है, तो उसे मान्यता देने की आवश्यकता है। यह स्थिति की संयुक्तता को अलग करेगा और हिस्से का निपटान करेगा।

(घ) यदि विभाजन की प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है और उसे अंतिम रूप दिया गया है, तो इसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए। केवल एक मुकदमा दायर करने के लिए

(ई) उत्तरजीविता के माध्यम से जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन्हें संशोधित परंतुक द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के अलावा छीनने का इरादा नहीं है। संशोधन अधिनियम की धारा 6 (3) में।

(च) कानून में बनाई गई कानूनी कल्पना को उस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जिसके लिए कल्पना बनाई गई है, जैसा कि मंचेरी में माना गया है।

पुथुसेरी अहमद और ओआरएस। वी. कुथिरावट्टम एस्टेट रिसीवर, (1996) 6 एससीसी 185।

(छ) सांविधिक विभाजन से व्यवधान उत्पन्न होता है। धारा 6 (3) में दिए गए वैधानिक विभाजन को पूर्ण प्रभाव दिया जाना है। उसी की ओर ले जाता है मृतक सह–भागीदार और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों की संयुक्तता की स्थिति का विच्छेद, जिसमें मृतक सह–भागीदार की विधवा के संयुक्त परिवार से भरण–पोषण का अधिकार और ऐसे अन्य अधिकार शामिल होंगे। इस तरह के विभाजन से संयुक्त परिवार का अंत हो जाता है। 1963 में याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के मामले में, काल्पनिक विभाजन होगा और अनार देवी और अन्य में निर्धारित परिणाम होंगे। वी. परमेश्वरी देवी और

ओआरएस। , (2006) 8 इसके बाद एस. सी. सी. 656 आएगा।

(ज) 1963 में पिता की मृत्यु पर विवाहित बेटियाँ सह–आंशिक संपत्ति में हिस्से की हकदार नहीं थीं। केवल बेटे थे।

समान हिस्सेदारी के हकदार, और बेटों ने विनीता शर्मा बनाम के माध्यम से संपत्ति प्राप्त की।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

उत्तरजीविता। गुरुपद खंडप्पा मगदुम बनाम में असंशोधित धारा 6 के तहत वैधानिक विभाजन पर विचार किया गया था। हीराबाई खंडप्पा मैग्डम और ओआरएस। , (1978) 3 एससीसी 383। वैधानिक विभाजन 1956 से धारा 6 में अस्तित्व में है और 2005 तक जारी है।

संशोधन। (i) धारा 6, जैसा कि संशोधित किया गया है, उस बेटी के मामले में लागू नहीं होती है जिसके पिता निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने के समय जीवित नहीं हैं –

धारा 6. संयुक्त हिंदू परिवार का प्रत्येक सदस्य पारंपरिक हिंदू कानून या हिंदू कानून के तहत सह–भागीदार होने का हकदार नहीं है।

उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 या संशोधन अधिनियम, 2005। आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई धारा 29 ए के तहत, अविवाहित बेटियाँ थीं

विवाहित बेटियों को छोड़कर सह–भागीदार के अधिकार दिए गए। केंद्रीय संशोधन में बेटी की वैवाहिक स्थिति के आधार पर स्पष्ट रूप से कोई भेद नहीं किया गया है, लेकिन 'संयुक्त हिंदू परिवार' और 'सह–भागीदार की बेटी' अभिव्यक्ति के उपयोग से यह स्पष्ट हो गया है। विवाहित बेटियों को बाहर करने के लिए प्रावधानों को पढ़ा जाना चाहिए। धारा 6 के प्रावधान, जैसा कि संशोधित किया गया है, संभावित हैं। इसका उद्देश्य सुलझे हुए मामलों को अस्थिर करना नहीं था।

(जे) धारा 6 (5) के स्पष्टीकरण की व्याख्या संयुक्त के जीवित सह–भागीदारों पर स्पष्ट अधिकारों को छीनने के लिए नहीं की जा सकती है।

वैधानिक विभाजन के तहत परिवार। स्पष्टीकरण के उद्देश्य पर एस. सुंदरम पिल्लई एंड ओआरएस में विचार किया गया था। वी. वी. आर. पट्टाबिरामन और अन्य। , (1985) 1 एससीसी 591 इस प्रकार हैः

" 53. इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित अधिकारियों के एक पक्ष से, यह स्पष्ट है कि एक वैधानिक प्रावधान के लिए एक स्पष्टीकरण का उद्देश्य

है।

" (क) अधिनियम के अर्थ और आशय की व्याख्या करना,

(बी) जहां मुख्य में कोई अस्पष्टता या अस्पष्टता है अधिनियम, उसी को स्पष्ट करने के लिए इसे सुसंगत बनाने के लिए

प्रमुख वस्तु यह कम होती प्रतीत होती है,

(ग) के प्रमुख उद्देश्य को अतिरिक्त समर्थन प्रदान करने के लिए

इसे सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कार्य करें,

(घ) स्पष्टीकरण किसी भी तरह से अधिनियम या उसके किसी भी भाग में हस्तक्षेप या परिवर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन जहां कुछ अंतराल बचा है जो स्पष्टीकरण के लिए प्रासंगिक है, तो शरारत को दबाने और अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए यह [2020] 10 एस. सी. आर. में न्यायालय की मदद या सहायता कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ङ) तथापि, यह उस वैधानिक अधिकार को छीन नहीं सकता है जिसके साथ किसी कानून के तहत किसी व्यक्ति को पहना गया है या शून्य कर दिया गया है। किसी अधिनियम की व्याख्या में बाधा बन कर उस पर कार्य करना।

(के) एक प्रारंभिक डिक्री शेयरों का निर्धारण करती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (2) 'डिक्री' को औपचारिक रूप से परिभाषित करती है।

अभिव्यक्ति, जो स्पष्ट करती है कि एक डिक्री प्रारंभिक है जब आगे

मुकदमे पर पूरी तरह से निर्णय लेने से पहले कार्यवाही की जानी चाहिए। जहाँ तक मुकदमे के पक्षों को आवंटित किए जाने वाले व्यक्तिगत शेयरों के निर्धारण का संबंध है, प्रारंभिक डिक्री अंतिम है। सिस्टला शारदा देवी बनाम में विशेष अनुमति याचिका (सी) No.38542/2016 के खारिज होने के बाद। उप्पलुरी हरि नारायण और अन्य। , एकमात्र आवश्यक कदम यह है कि पारित किए गए प्रारंभिक डिक्री के संदर्भ में शेयरों को मेट्स और बाउंड्री द्वारा विभाजित किया जाए। संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के बाद पैदा हुई बेटियाँ सह-भागीदार बन जाती हैं, और संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले पैदा हुई बेटियों को धारा 6 (1) (बी) के तहत शामिल किया गया है और उन्हें समान अधिकार दिए गए हैं जो एक बेटे को दिए गए हैं। धारा 6 के अंतर्गत आने वाले संशोधन से पहले और बाद में पैदा हुई बेटियों को सह-भागीदार का दर्जा दिया जाता है। बेटियों को सह-भागीदार का दर्जा जन्म तिथि से नहीं दिया जा सकता है, और उन्हें सह-आंशिक संपत्ति की सभी देनदारियों के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। इसका फायदा

जन्म तिथि से प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कई मामलों में वर्ष 1925 में भी जन्म तिथि से संबंधित होगा। सभी देनदारियों को केवल संशोधन से वहन किया जाना है; जैसे, प्रावधान पूर्वव्यापी नहीं हैं।

(1) वैकल्पिक रूप से भी, यदि बेटी पर सह-भागीदारी की स्थिति हो

इस तरह की कानूनी कल्पना को नियंत्रित करने वाली सीमाओं को (i) वैधानिक के निहितार्थ को ध्यान में रखना होगा।

विभाजन; (ii) अदालत की डिक्री; और (iii) संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले कर्ता/सह-भागीदारों द्वारा संपत्ति का वैध अलगाव। किसी भी विभाजन या वसीयतनामा सहित अन्य सभी प्रवृत्तियाँ या अलगाव 20.12.2004 से पहले की गई संपत्ति के निपटान को सहेजना आवश्यक है क्योंकि पहले बेटियाँ सह-भागीदार नहीं थीं। एक वैधानिक विभाजन पर, संपत्ति स्व-अर्जित संपत्ति बन जाती है और अब एक संपत्ति नहीं है।

सह-स्वामित्व वाली संपत्ति। (एम) गोद लेने के मामले में भी, श्रीपद गजानन विनीत शर्मा बनाम में निर्धारित संबंध के सिद्धांत को लागू करते समय पिछले लेनदेन को सहेजा जाता है।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

सुथांकर बनाम। दत्ताराम काशीनाथ सुथानकर और अन्य। , (1974) 2 एससीसी 156।

इस प्रकार, धारा 6 के प्रावधानों का संभावित रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए।

14. विद्वान वकील श्री अमित पाई ने दृढ़ता से आग्रह किया किः

(क) व्याख्या के सुनहरे नियम को अपनाया जाना आवश्यक है जैसा कि कनई लाल सूर v में निर्धारित किया गया है। परमनिधि सधुखान, (1958) एससीआर

360. जैसा कि लेफ्टिनेंट अमरेंद्र कर्नल पृथ्वी पाल सिंह बेदी बनाम में देखा गया है, शाब्दिक निर्माण के नियम पर भरोसा किया जाता है। भारत संघ, (1982) 3 एस. सी. सी. 140।

(ख) धारा 6 के प्रावधान का प्रतिस्थापन 1956 के प्रधान अधिनियम के प्रारंभ से पहले का है। पर एक काल्पनिक विभाजन

(ग) प्रकाश बनाम में निर्णय। फुलावती के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने सही तरीके से कानून बनाया है। एक जीवित सह–भागीदार की जीवित बेटी की अवधारणा धारा 6 के प्रावधानों के पाठ में जोड़ी जा रही है, जबकि न्यायालय द्वारा किसी भी शब्द को क़ानून में जोड़ा या पढ़ा नहीं जा सकता है। यह केवल त्रुटियों को ठीक कर सकता है या चूक की आपूर्ति कर सकता है। यह विधायिका का काम है कि वह एक जीवित सह–भागीदार की बेटी की ऐसी अवधारणा प्रदान करे। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि धारा 6 में सह–भागीदारों की सभी जीवित बेटियाँ शामिल हैं, चाहे वे कुछ भी हों। क्या ऐसे सह–भागीदार 2005 के संशोधन के प्रारंभ में मृत या जीवित हैं।

15. विद्वान वकील श्री समीर श्रीवास्तव ने आग्रह किया किः

(क) उत्तराधिकार अधिनियम में 'सह–भागीदार' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इस न्यायालय ने सत्यप्रेमा मंजूनाथ गौड़ा (श्रीमती) बनाम में इस पर विचार किया। संपदा शुल्क नियंत्रक, कर्नाटक, (1997) 10 एस. सी. सी. 684। यह एक संयुक्त परिवार की तुलना में एक संकीर्ण निकाय है और इसमें केवल वे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने जन्म से संपत्ति में रुचि ली है, और जब चाहें विभाजन को लागू कर सकते हैं। संशोधित धारा 6 की उप–धारा (1) और उप–धारा (5) के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंधों के अधीन बेटी संपत्ति में हिस्सेदारी करने की हकदार है।

(ख) धारा 6 (3) एक सह–भागीदार की मृत्यु का परिणाम प्रदान करती है, [2020] 10 एस. सी. आर. के बाद एक सह–भागीदार की मृत्यु पर हस्तांतरण।

संशोधन अधिनियम का प्रारंभ। उत्तरजीविता की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। कानूनी या निर्वसीयत उत्तराधिकार प्रदान किया गया है जहां एक हिंदू की मृत्यु की शुरुआत से पहले हो जाती है

संशोधन अधिनियम। प्रासंगिक प्रावधान धारा 6 (1) (2) हैं, जहां पुरुष हिंदुओं को जन्म से सह–भागीदार बनने का अधिकार दिया गया है, और उन्हें सह–आंशिक संपत्ति के साथ विभाजन लेने का अधिकार है।

(ग) प्रकाश बनाम में निर्णय। फुलावती ने यह निर्धारित करते हुए कि संशोधित धारा 6 एक जीवित सह–भागीदार की जीवित बेटियों के मामले में लागू होती है,

कानून की नजर में मनमाना और गैर-कानूनी है। सह-भागीदारों के बेटे और बेटियां दोनों को जन्म से सह-भागीदार बनने का अधिकार प्रदान किया जाता है। सह-जन्म में जन्म रुचि पैदा करता है। एकमात्र अन्य अपवाद गोद लेने के माध्यम से है। सहभागी घटना विभाजन की स्थिति के विच्छेद का अधिकार है।

16. विद्वान वकील सुश्री अनघा एस. देसाई ने पुरजोर आग्रह किया कि धारा 6 पुरुषों के बीच सह-आंशिक संपत्ति में अधिकारों की समानता प्रदान करती है।

और 9.9.2005 पर और उससे एक संयुक्त हिंदू परिवार की महिला सदस्य। धारा 6 में यह घोषणा कि सह-भागीदार की बेटी को भी उतने ही अधिकार और दायित्व होंगे जितने वह पुत्र होती। बेटी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार है। उन्होंने गंडुरी कोटेश्वरम्मा और अन्न पर भरोसा किया है। वी.

चकिरी यनदी और अन्न। , (2011) 9 एससीसी 788।

17. जब एक बेटी, जो सह-पक्ष में हिस्सेदारी का दावा कर रही है और मांग कर रही है, जीवित है, तो व्याख्या करने में कोई कठिनाई नहीं है, भले ही इस तथ्य की परवाह किए बिना कि संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले एक सह-पक्षकार की मृत्यु हो गई हो। सह-भागीदार और बेटी को संशोधन की तारीख तक जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह व्याख्या की जाए कि सह-भागीदार और बेटी दोनों जीवित होने चाहिए, तो यह दोनों को हरा देगा।

संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य और उद्देश्य। पहले, हिंदू कानून के प्रावधानों में बेटे को जन्म से सह-भागीदार माना जाता था; अब, बेटियों को जन्म से ही समान अधिकार दिए जाते हैं। यदि विभाजन मेट्स एंड बाउंड्री द्वारा प्रभावित किया गया है और पर्याप्त रूप से साबित किया गया है, तो कोपारसेनरी की बेटी पहले से विभाजित संपत्ति के विभाजन की मांग नहीं कर सकती है।

रेफरी में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

18. धर्म की हिंदू शाखा वैदिक आर्यों के धार्मिक सिद्धांतों से प्रभावित है। जिसके द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया गया है कानून या संवैधानिक प्रावधान अभी भी प्रचलित हैं, मूल हिंदू कानून वेदों और पिछली श्रुति/स्मृतियों से निकलता है। विभिन्न धर्म शास्त्र विनीता शर्मा बनाम।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

प्रथा को समय-समय पर प्रशासित हिंदू कानून का आधार मानते हैं। कानून ने आवश्यकताओं के अनुसार प्रगति की है

समाज और प्रचलित लोकाचार। न्याय सम्राटों द्वारा संघर्षों को हल करने के लिए प्रशासित किया जाता था। कानून का निर्माण ले लिया है

19. मिताक्षरा विद्यालयों का अनुप्रयोग क्षेत्रवार है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और उसके बाद बॉम्बे स्कूल और बनारस के प्रशासन को लेकर कुछ भ्रम पैदा हो गया। स्कूल। बनारस स्कूल व्यावहारिक रूप से पूरे

उत्तर भारत को नियंत्रित करता है। बॉम्बे स्कूल में पश्चिमी भारत और विभिन्न अन्य क्षेत्र शामिल हैं। कुछ राज्यों को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पुनर्गठित किया गया था। पुनर्गठित राज्यों के कुछ क्षेत्रों में, सामान्य नाम दिए जाने पर, अलग-अलग स्कूल लागू होते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश को लीजिए। इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जिन पर बॉम्बे और बनारस दोनों स्कूल लागू होते हैं। हालाँकि, हिंदू कानून के विभिन्न लेखक इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल रहे हैं कि एम. पी. राज्य के किन हिस्सों में पुनर्गठन के बाद कौन सा स्कूल लागू होता है। पूरे एम. पी. राज्य में बॉम्बे स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के सिद्धांतों का एक संदर्भ पाया जाता है, जबकि बनारस स्कूल मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लागू होता है। यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दीवान सिंह बनाम मामले में स्पष्ट किया गया था। भैयालाल, (1997) 2 एम. पी. एल. जे.-202, और एफ. ए. No.31/1968 में एक डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया था। मध्य भारत राज्य और मध्य प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों को एकीकृत करने में, बनारस स्कूल लागू होता है, बॉम्बे नहीं।

20. मिताक्षर कानून बंगाल को छोड़कर भारत के अधिकांश हिस्सों में लागू होता है।

उत्तर भारत में महाराष्ट्र स्कूल, पश्चिमी भारत में बॉम्बे स्कूल प्रबल थे। हालाँकि, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों पर शासन किया जाता है – मरुमक्कटयम, अलियासंतन और नम्बूदिरी विधि प्रणालियाँ।

21. विभिन्न स्रोतों के अलावा, प्रथा, समता, न्याय और

विवेक ने भी हिंदू कानून के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो प्रचलित था। जब कानून कुछ पहलुओं पर चुप था, तो न्यायिक निर्णय भी कानून के स्रोत के रूप में काम करते थे। हिंदू कानून स्थिर नहीं था, बल्कि हमेशा प्रगतिशील था। धीरे-धीरे संहिताकरण की आवश्यकता महसूस की गई

हिंदू कानून। विशेष रूप से, महिलाओं के अधिकारों का ध्यान रखा गया, और प्रयास [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विसंगतियों और अनैतिक प्रथाओं को दूर करने के लिए बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद भी आवश्यकता महसूस की गई थी, स्थिति की समानता लाने के लिए संवैधानिक अनिवार्यताओं को देखते हुए, संहिताबद्ध कानून में समय-समय पर संशोधन किया गया है। नवीनतम प्रयास के माध्यम से किया गया है मिताक्षर सह-अधिवेशन में बेटी के सह-भागीदार होने के अधिकारों से संबंधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है और इसे बेटे के बराबर अधिकार दिए गए हैं।

Ref.Coparcenary और संयुक्त हिंदू परिवार में

22. एक संयुक्त हिंदू परिवार एक हिंदू सह-सदस्य की तुलना में एक बड़ा निकाय है। एक संयुक्त हिंदू परिवार में वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो एक वंश के वंशज होते हैं।

सामान्य पूर्वज और उनकी पत्नियों और अविवाहित बेटियों को शामिल करें। एक संयुक्त हिंदू परिवार पूजा में एक है और संयुक्त संपत्ति रखता है। परिसंपत्तियों के पृथक्करण के बाद परिवार का संयुक्त होना बंद हो जाता है। भोजन और पूजा में केवल अलगाव को अलगाव के रूप में नहीं माना जाता है, जैसा कि श्री रघुनाथ बनाम में देखा गया है। श्री ब्रोज़ो किशोर, 1876 (1) पागल। 69 = 3 आई ए 154।

23. हिंदू सह-पक्ष एक बहुत संकीर्ण शरीर है। इसमें प्रस्तावक और तीन वंशावली वंशज शामिल हैं। 2005 से पहले, इसमें केवल वे व्यक्ति शामिल थे जैसे बेटे, पोते और परपोते जो संयुक्त संपत्ति के धारक हैं। उदाहरण के लिए, यदि ए के पास संपत्ति है, तो बी उसका बेटा है, सी उसका पोता है, डी परपोता है, और ई एक परपोता है। सहसदस्यता का गठन डी, यानी महान पोतों तक किया जाएगा, और केवल संपत्ति के धारक ए की मृत्यु पर, ई का अधिकार सहसदस्यता में पक जाएगा क्योंकि सहसदस्यता तीन पंक्तियों तक सीमित है।

वंशज। चूँकि पोते और परपोते सह-भागीदार बन जाते हैं

अपने अधिकारों में सह-भागीदार, एक बेटे की तरह परिवार में जन्म से। सहकारिता कानून का निर्माण है। केवल एक सह-भागीदार को विभाजन की मांग करने का अधिकार है। परीक्षण यह है कि यदि कोई व्यक्ति विभाजन की मांग कर सकता है, तो वह सह-भागीदार नहीं है अन्यथा। महान प्रपौत्र विभाजन की मांग नहीं कर सकता क्योंकि वह विनीता शर्मा बनाम नहीं है।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

एक सह-भागीदार। तीन मालेडेसेन्डेंट्स में से एक मामले में, एक या दूसरे की मृत्यु हो गई है, अंतिम धारक, यहां तक कि पांचवां वंशज भी विभाजन का दावा कर सकता है। यदि वे जीवित हैं, तो उन्हें बाहर रखा जाता है।

रेफरी में। कोपारसेनरी का गठन 26. धारा 6 के प्रावधान की व्याख्या करने के लिए यह आवश्यक है कि –

सोचिए कि सह-विभाजन कैसे बनता है। सह-भागीदारी की मूल अवधारणा सह-भागीदारों द्वारा सामान्य स्वामित्व पर आधारित है। जब यह रह जाता है

अविभाजित, सह-भागीदार का हिस्सा निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अविभाजित संपत्ति में अपने अधिकार की सीमा का सटीक दावा नहीं कर सकता है। सह-भागीदार किसी भी सटीक हिस्से का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि सह-भागीदार में ब्याज है

उतार-चढ़ाव हो रहा है। परिवार में मृत्यु और जन्म से यह बढ़ता और घटता जाता है।

27. सुनील कुमार और अन्न में। वी. राम प्रकाश और अन्य। , (1988) 2

एस. सी. सी. 77, न्यायालय ने जन्म के सह-जन्म की आवश्यक विशेषताओं पर चर्चा की और सपिंडाशिप इस प्रकार:

" 17. जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण और अलग हैं स्वामित्व के महत्व को समझना मुश्किल हो सकता है

हिंदू संयुक्त परिवार और संयुक्त संपत्ति। लेकिन यह प्राचीन काल से है

समय शायद एक सामाजिक आवश्यकता के रूप में। एक हिंदू संयुक्त परिवार में पुरुष सदस्यों का एक आम पुरुष से वंशावली में उतरना

पूर्वज, अपनी माताओं, पत्नियों या विधवाओं के साथ और

अविवाहित बेटियाँ। वे मौलिक द्वारा एक साथ बंधे हैं

सपिंडाशिप या पारिवारिक संबंध का सिद्धांत, जो आवश्यक है

संस्थान की विशेषता। तार जो सदस्यों को बुनती है परिवार संपत्ति नहीं है बल्कि एक दूसरे का रिश्ता है।

18.सहभागीदारी में केवल वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्होंने लिया है

जन्म से धारक की संपत्ति में ब्याज और कौन कर सकता है

वे जब चाहें विभाजन लागू करें। यह एक संकीर्ण शरीर है

एक संयुक्त परिवार। यह एक सामान्य पूर्वज के साथ शुरू होता है और इसमें शामिल हैं

संयुक्त संपत्ति का धारक और केवल वे पुरुष जो उसकी पुरुष पंक्ति में हैं

जिन्हें उससे तीन डिग्री से अधिक नहीं हटाया जाता है। द.

सह-भागीदारी इतनी सीमित होने का कारण सिद्धांत में पाया जाना चाहिए हिंदू धर्म जो केवल तीन डिग्री तक के पुरुष वंशज हैं

किसी पूर्वज को आध्यात्मिक सेवा प्रदान कर सकते हैं। केवल पुरुष ही हो सकते हैं

सह-भागीदार। [देखिएः एन. आर. राघवचारियार द्वारा हिंदू कानून, 8 वीं संस्करण। ,

पी। 202] "

(जोर दिया गया)

[2020] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. यदि सह-आंशिक संपत्ति एक 'एकल' के हाथों में आती है।

एन 'अस्थायी रूप से, इसे उसकी संपत्ति के रूप में माना जाएगा, लेकिन एक बार एक बेटा है

मिताक्षर कानून के संदर्भ में सहसदस्यता पुनर्जीवित होगी। शीला में

वी. लाल चंद, (2006) 8 एस. सी. सी. 581, यह देखा गयाः

" 12. इस मामले में लागू कानून का सिद्धांत यह है कि इतने लंबे समय तक संपत्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में रहती है, वही था

अलग संपत्ति के रूप में माना जाएगा, और इस प्रकार ऐसा व्यक्ति होगा

समान रूप से सह-आंशिक संपत्ति का निपटान करने के हकदार थे उसकी अलग संपत्ति, लेकिन, यदि उसके बाद एक पुत्र का जन्म होता है या

उसके द्वारा अपनाया गया, अलगाव चाहे वह बिक्री के माध्यम से हो,

उसके जन्म या जन्म से पहले उसके पिता द्वारा किए गए अलगाव के लिए (सी. कृष्ण प्रसाद बनाम देखें। सीआईटी, (1975) 1 एससीसी 160)। लेकिन एक बार

बेटा पैदा होता है, यह एक सह-संपत्ति बन जाती है, और वह

उसमें ब्याज प्राप्त करें। एम. योगेंद्र और अन्य में। वी. लीलाम्मा एन. और अन्य। , (2009) 15 एससीसी

इसी तरह की राय इस प्रकार व्यक्त की गईः

" 29. इसके कई फैसलों को देखते हुए अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है। अदालत ने कहा कि एकमात्र सह-भागीदार के हाथों में संपत्ति आवंटित की गई

उसे तभी पुनर्जीवित करें जब उसका एक बेटा पैदा हो। यह कहना एक बात है कि संपत्ति एक सह-आंशिक संपत्ति बनी हुई है लेकिन यह एक अलग बात है।

कहने के लिए कि यह पुनर्जीवित करता है। इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल है

स्पष्ट और असंदिग्ध। पूर्व में किसी भी बिक्री या अलगाव के मामले में

जो एकमात्र जीवित सह-भागीदार द्वारा किया गया है

वैध जबकि एक सह-भागीदार के मामले में किसी भी अलगाव द्वारा किया गया

कर्ता वैध होगा। "

(जोर दिया गया)

श्रीमती में। सीताबाई और अन्र। वी. रामचंद्र, ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 343

" 3. x x x हिंदू विधि प्रणाली के तहत एक संयुक्त परिवार में एक एकल पुरुष सदस्य और मृत पुरुष सदस्यों की विधवाएँ शामिल हो सकती हैं और यह कि एक संयुक्त परिवार की संपत्ति केवल इसलिए संयुक्त परिवार से संबंधित

नहीं रह गई क्योंकि परिवार का प्रतिनिधित्व एक एकल सह-भागीदार द्वारा किया जाता है जिसके पास ऐसे अधिकार हैं जो संयुक्त परिवार के पूर्ण स्वामी हैं।

संपत्ति हो सकती है।

विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

धर्म में शामराव अगालवे बनाम। पांडुरंग मिरागु अगाल्वे

एस. , (1988) 2 एस. सी. सी. 126, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संयुक्त परिवार की संपत्ति एक एकमात्र जीवित अधिष्ठाता के हाथों में जाने के बाद भी अभिधारक को बरकरार रखती है। यदि एक बेटा बाद में पैदा होता है या गोद लिया जाता है, तो सह-सदस्य

उरविवे, अंतराल में किए गए अलगाव को बचाने के अधीन।

29. घमंडीराम (ऊपर) में, गठन, अवधारणा और

सह-अधिवेशन के विषयों पर इस प्रकार चर्चा की गईः

" 5. मिताक्षर स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के अनुसार सभी

एक हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति अर्ध-निगमित क्षमता में सभी सह-भागीदारों द्वारा सामूहिक स्वामित्व में रखी जाती है। पाठ में

मिताक्षर का अधिकार स्पष्ट शब्दों में निर्धारित करता है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त परिवार के सदस्यों के लिए ट्रस्ट में रखी जाती है जो तब जीवित होते हैं और उसके बाद पैदा होते हैं (मिताक्षर, Ch देखें। I, 1 27)। मिताक्षर कानून के तहत सह-खरीददारी की घटनाएं इस प्रकार हैंः पहला, किसी व्यक्ति के तीसरी पीढ़ी तक के वंशानुगत पुरुष वंशज, ऐसे व्यक्ति की पैतृक संपत्तियों में जन्म के आधार पर स्वामित्व प्राप्त करते हैं; दूसरा, कि ऐसे वंशज किसी भी समय विभाजन की मांग करके अपने अधिकारों का निर्धारण कर सकते हैं; तीसरा, कि विभाजन तक प्रत्येक सदस्य को पूरी संपत्ति पर स्वामित्व मिला है, बाकी के साथ संयुक्त रूप से; चौथा, कि इस तरह के सह-स्वामित्व के परिणामस्वरूप संपत्तियों का कब्जा और आनंद -

सामान्य; पाँचवाँ, कि संपत्ति का कोई अलगाव संभव नहीं है जब तक कि यह आवश्यकता के लिए न हो, सह-भागीदारों की सहमति के बिना, और छठा, कि एक मृत सदस्य का ब्याज उसकी मृत्यु पर जीवित बचे लोगों के लिए समाप्त हो जाता है। मिताक्षरा स्कूल के तहत एक सह-प्रतिनिधि कानून का एक रूप है और पक्षकारों के अधिनियम द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकता है, सिवाय इसके कि गोद लेने पर गोद लिया गया बेटा अपने दत्तक पिता के साथ सह-भागीदार बन जाता है।

श्री न्यायमूर्ति भाष्यम अय्यंगार ने कानूनी स्थिति इस प्रकार व्यक्त कीः " संयुक्त परिवार की संपत्ति का मिताक्षर सिद्धांत एक निगमित निकाय के रूप में एक अविभाजित परिवार के अस्तित्व पर आधारित है।

(गण सावंत बाल सावंत बनाम। नारायण भोंड सावंत) [आई. एल. आर. 7

बॉम 467] और मेयने का 'हिंदू कानून और उपयोग', (छठा)

संस्करण, अनुच्छेद 270) और ऐसे निगमित निकाय द्वारा संपत्ति का कब्जा। इसलिए पहली आवश्यकता पारिवारिक इकाई है।

और उसके द्वारा संपत्ति का कब्जा दूसरी आवश्यकता है।

[2020] 10 एस. सी. आर. के लिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान उद्देश्य, परिवार की महिला सदस्यों को छोड़ दिया जा सकता है

विचार से बाहर और एक हिंदू परिवार की अवधारणा एक है

पुरुष में अपने वंशजों के साथ सामान्य पुरुष पूर्वज रेखा, और जब तक वह परिवार अपनी सामान्य स्थिति में है। द.

अविभाजित राज्य–यह एक निगमित निकाय बनाता है। ऐसी निगमित संस्था,

अपनी विरासत के साथ, विशुद्ध रूप से कानून का एक प्राणी है और इसे बनाया नहीं जा सकता है

पक्षों के अधिनियम द्वारा, अब तक को छोड़कर कि, गोद लेने से, एक अजनबी हो सकता है

उस निगमित परिवार के सदस्य के रूप में संबद्ध हों।

6. ऐसे परिवार के स्वामित्व वाली संपत्ति की प्रकृति पर ध्यान देना।

न्यायाधीश ने आगे कहाः

" जहां तक ऐसे परिवार की संपत्ति का संबंध है, 'अबाधित'

ऐसे परिवार को विरासत के रूप में हस्तांतरित करना, इसके संचय के साथ, स्वामित्व में है।

परिवार द्वारा, एक निगमित निकाय के रूप में, और इसकी एक या अधिक शाखाएँ

वह परिवार, प्रत्येक एक बड़े निगम के भीतर एक निगम निकाय का गठन करता है

निगमित निकाय के पास अलग 'अबाधित विरासत' हो सकती है जो, अपने परिवर्धनों के साथ, विशेष रूप से ऐसे लोगों के स्वामित्व में हो सकता है

एक निगमित निकाय के रूप में शाखा "।

(जोर दिया गया)

30. सह-सहभागी की आवश्यक विशेषताएँ, जैसा कि में चर्चा की गई है

घमंडीराम (ऊपर) में ई-उल्लिखित निर्णय का विश्लेषण एस्टेट ड्यूटी v के रोलर में किया गया था। अल्लादी कुप्पुस्वामी, (ऊपर), इस प्रकारः

" 8 .....

" इस प्रकार उपरोक्त मामले के अनुपात का विश्लेषण करते हुए

एक हिंदू सह-पक्ष की घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि एक हिंदू

सह-सहभागी की छह आवश्यक विशेषताएं हैं, अर्थात् (1)

तीसरी पीढ़ी तक वंशानुगत पुरुष वंशज प्राप्त करते हैं

दूसरे की सहमति के बिना संपत्ति का अलगाव सह-भागीदार जब तक कि यह कानूनी आवश्यकता के लिए न हो; और (6) कि विनीता शर्मा बनाम।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

मृतक सदस्य का ब्याज उसकी मृत्यु पर समाप्त हो जाता है और सह-आंशिक संपत्ति में विलय हो जाता है। इन परीक्षणों को एक हिंदू विधवा के हित में लागू करना जिसे एक सह-सदस्य में शामिल किया गया है 1937 के अधिनियम के आधार पर, हम पाते हैं कि, शर्त (1) को छोड़कर, अन्य सभी शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट हैं यदि एक हिंदू विधवा हिंदू सह-सदस्यता में अपने पति के हित में सफल होती है। दूसरे शब्दों में, उनके पति की मृत्यु के बाद

1937 के अधिनियम के तहत हिंदू विधवा को विभाजन की मांग करने का अधिकार मिला है, वह विभाजन होने तक प्राप्त होने वाले सटीक हिस्से का अनुमान नहीं लगा सकती है, उसका प्रभुत्व सह-सदस्य के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से पूरी संपत्ति तक फैला हुआ है, उसका अधिकार और आनंद सामान्य है, संपत्ति को कानूनी आवश्यकता को छोड़कर परिवार के सभी सदस्यों की सहमति के बिना अलग नहीं किया जा सकता है, और अन्य सह-भागीदारों की तरह उसका संपत्ति में उतार-चढ़ाव वाला हित है जिसे परिवार में मृत्यु या परिवर्धन से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि वह पहली शर्त को पूरा नहीं कर सकती है, क्योंकि वह अपने जन्म के लंबे समय बाद और अपने पति से शादी करने के बाद सह-अधिवेशन में प्रवेश करती है और उसकी मृत्यु पर उसकी रुचि प्राप्त करती है। इस प्रकार, पहली शर्त से कम, उसके पास सह-आंशिक ब्याज के सभी आवश्यक संकेत हैं। तथ्य यह है कि 1956 के अधिनियम से पहले, उसके पास एक विधवा संपत्ति की विशेषता थी क्योंकि संपत्ति में उसके हित में इस स्थिति से कम नहीं होता है। यह एक तार्किक परिणाम के रूप में होना चाहिए कि हालांकि एक हिंदू विधवा सह-भागीदार नहीं हो सकती है, लेकिन उसके पास है

सह-सहभागी हित और वह भी एक सदस्य है

के तहत उसे प्रदान किए गए अधिकारों के आधार पर सह-सदस्यता

1937 का अधिनियम "।

31. संपत्ति शुल्क नियंत्रक (उपरोक्त) में यह भी कहा गया है कि यदि कोई विधवा विभाजन के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करती है, तो हिंदू सह-सदस्य का कोई अधिकार नहीं है और उसकी मृत्यु पर,

विधवा का सह-स्वामित्व वाली संपत्ति में विलय हो जाता है या दूसरी संपत्ति में विलय हो जाता है।

आर्केनर। यह देखा गया कि सह-सहभागी का पुरुष मुद्दा जन्म से सह-सहभागी में रुचि प्राप्त करता है, न कि अपने पिता का प्रतिनिधित्व करने के रूप में।

32. इस न्यायालय ने संपत्ति शुल्क नियंत्रक (ऊपर) में, निर्भरता रखी

शत्रुघ्न इस्सर बनाम। सबुजपरी, और ओआरएस। , ए. आई. आर 1967 एस. सी. 272। मामले में

विधवा द्वारा विभाजन के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है, कोई नहीं है

हिंदू सह-सहभागी का कार्यकाल समाप्त होता है और सह-सहभागी की मृत्यु होने पर सह-सहभागी का विघटन होता है। सत्रुघन (ऊपर) में, यह आयोजित किया गया थाः

[2020] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 7. अधिनियम द्वारा कुछ विरोधी अवधारणाओं का मिलान करने की कोशिश की जाती है। एक सह-भागीदार की विधवा को अधिनियम द्वारा उसी ब्याज के साथ निवेश किया जाता है जो उसके पति को उसकी मृत्यु के समय सह-भागीदार की संपत्ति में था। इस प्रकार उसे सह-अधिवेशन में शामिल किया जाता है, और उसके पति के जीवित सह-भागीदारों और इस तरह से पेश की गई विधवा के बीच, रुचि का समुदाय और अधिकार की एकता पैदा होती है। लेकिन विधवा उस कारण से सह-भागीदार नहीं बनती हैः हालाँकि उन्होंने उसी ब्याज के साथ निवेश किया जो उनके पति ने उस संपत्ति में किया था जिसे उन्होंने अर्जित नहीं किया था। वह अधिकार जिसका उसका पति अन्य सह-भागीदारों के हितों पर प्रयोग कर सकता था। अपने पति के स्थान पर सह-पक्षीय संपत्ति में उसके हित के वैधानिक प्रतिस्थापन के कारण, मिताक्षर स्कूल के हिंदू कानून के तहत अन्य सह-पक्षकारों को उत्तरजीविता के नियम द्वारा उस हित को लेने का अधिकार तब तक निलंबित रहता है जब तक कि वह संपत्ति सुनिश्चित होती है। लेकिन एक सह-सहभागी की मृत्यु पर सह-सहभागी का कोई विघटन नहीं होता है ताकि विधवा के पक्ष में एक परिभाषित हित तैयार किया जा सके।

सह-पक्षीय संपत्तिः लक्ष्मी पेरुमल्लू बनाम। कृष्णवनम्मा।

धारा 3 (2) के तहत उसके द्वारा अर्जित ब्याज अलगाव पर प्रतिबंधों के अधीन है जो उसकी संपत्ति में निहित हैं। उसके पास अभी भी विभाजन की मांग करके अपने हित को निश्चित करने की शक्ति है, एक पुरुष मालिक हो

सकता है। यदि विधवा अपने पति के परिवार में आने के बाद विभाजन की मांग नहीं करती है, तो उसकी संपत्ति की समाप्ति पर उसका हित सह-स्वामित्व वाली संपत्ति में विलय हो जाएगा। लेकिन अगर वह विभाजन का दावा करती है, तो उसे काट दिया जाता है

अन्य सदस्यों से और उसका हित सह-सहभागी संपत्ति में एक परिभाषित हित बन जाता है, और अन्य सह-भागीदारों का उत्तरजीविता द्वारा उस हित को लेने का अधिकार कायम रहेगा।

बुझा दिया। यदि विभाजन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है या उसकी संपत्ति अन्यथा निर्धारित की जाती है, तो सह-आंशिक संपत्ति में ब्याज जो उसमें निहित है, उसके पति के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यह सच है कि धारा 3 (2) द्वारा सह-आंशिक संपत्ति में ब्याज प्राप्त करने वाली विधवा को वह ब्याज विरासत में नहीं मिलता है, लेकिन एक बार जब उसके हित का संपत्ति में अविभाजित हित का चरित्र समाप्त हो जाता है, तो वह उसकी संपत्ति की समाप्ति पर उसके पति के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह मान लेना कि जैसा कि कुछ तय किए गए मामलों में किया गया है कि सह-भागीदारों का अधिकार इसके निर्धारण पर उनकी रुचि लेने का है

ब्याज निश्चित हो जाने के बाद भी विधवा का हित बना रहता है, क्योंकि विभाजन का दावा सभी वास्तविकता के विभाजन का दावा करने के अधिकार को नकारना है। विनीता शर्मा बनाम।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

33. भगवान दयाल (मृतक के बाद से) और अनरः वी. एमएस. रेवती ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 287 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सह-सहभागी परिवार का एक प्राणी है और परिवार की शाखा एक अधीनस्थ निगमित निकाय है और इस प्रस्ताव को इस प्रकार व्यक्त किया गयाः

" 47. x XXCoparcenary हिंदू कानून का एक प्राणी है और पुनर्मिलन के मामले को छोड़कर पक्षों की सहमति से नहीं बनाया जा सकता है। यह एक निगमित निकाय या एक पारिवारिक इकाई है। कानून परिवार की एक शाखा को एक अधीनस्थ निगम निकाय के रूप में भी मान्यता देता है। उक्त परिवार इकाई, चाहे बड़ी हो या अधीनस्थ, कर सकती है। कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन पारिवारिक संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान। आम तौर पर, प्रबंधक, या सहमति से, व्यक्त करता है

परिवार के सदस्यों में से कोई अन्य सदस्य या सदस्य परिवार के लिए या उसकी ओर से व्यवसाय कर सकता है या संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, जो उक्त कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन है। ऐसा व्यवसाय या संपत्ति परिवार का व्यवसाय या संपत्ति होगी। परिवार के सदस्यों की पहचान पूरी तरह से खो नहीं जाती है। उस परिवार के एक या अधिक सदस्य संयुक्त परिवार की संपत्ति की सहायता के बिना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यवसाय या अधिग्रहण उनका अधिग्रहण होगा। इस तरह से शुरू किया गया व्यवसाय या इस तरह से अर्जित संपत्ति इसे सामान्य स्टॉक में डाला जा सकता है या संयुक्त परिवार की संपत्ति के साथ मिश्रित किया जा सकता है, जिस स्थिति में उक्त संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति बन जाती है। लेकिन उसे या उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, इस मामले में उक्त संपत्ति उसका या उनका स्व-अधिग्रहण होगा, और ऐसी संपत्ति का उत्तराधिकार संयुक्त परिवार के कानून द्वारा नहीं बल्कि केवल विरासत के

कानून द्वारा शासित होगा। ऐसे मामले में, यदि कोई संपत्ति उनके द्वारा संयुक्त रूप से अधिग्रहित की गई थी, तो यह संयुक्त परिवार के कानून द्वारा शासित नहीं होगी; क्योंकि हिंदू कानून विभिन्न शाखाओं या यहां तक कि एक शाखा से संबंधित संयुक्त परिवार के कुछ सदस्यों को एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में मान्यता नहीं देता है। इसलिए, अधिकार उन सदस्यों के बीच हैं जिन्होंने उक्त अधिकार प्राप्त किए हैं।

संपत्ति समझौते की शर्तों के अधीन होगी

जिसके तहत इसे प्राप्त किया गया था। जीवित रहने के अधिकार के साथ अंग्रेजी कानून को ज्ञात संयुक्त किरायेदारी की अवधारणा हिंदू कानून के लिए विशेष रूप से मान्यता प्राप्त मामलों को छोड़कर अज्ञात है। में वर्तमान मामले में, चाचा और दो भतीजे एक ही शाखा से संबंधित नहीं थे। उनके द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अधिग्रहण संयुक्त परिवार की संपत्ति की घटनाओं से प्रभावित नहीं हो सके।

वे [2020] 10 एस. सी. आर. कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल सह–भागीदार या सह–किरायेदार हों, जिसके परिणामस्वरूप उनकी संपत्तियाँ

विरासत द्वारा पारित किया गया, न कि उत्तरजीविता द्वारा।

(जोर दिया गया)

34. कल्याणजी विट्ठलदास और ओआरएस में। वी. आय आयुक्त

बंगाल, ए. आई. आर. 1937 पी. सी. 36, हिंदू अविभाजित परिवार की अवधारणा पर इस प्रकार विचार किया गयाः

कानून में "हिंदू अविभाजित परिवार" वाक्यांश का उपयोग किया गया है।

संदर्भ के साथ, केवल हिंदू कानून के एक स्कूल के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए स्कूल; और उनके अधिपति इसे शुरू करने के तरीके में एक गलती मानते हैं

अधिनियम के व्यापक वाक्यांश पर "हिंदू" शब्द चिपका कर

कोपारसेनरी "–जितना अधिक चेहरे पर कहना संभव नहीं है अधिनियम कि कोई भी महिला सदस्य नहीं हो सकती है।

(जोर दिया गया)

गौली बुद्धन्ना बनाम। आयकर आयुक्त, मैसूर,

1966 एस. सी. 1523 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सह–विभाजन संकरा निकाय है

परिवार इस प्रकार हैः

" 6. x x x एक हिंदू संयुक्त परिवार में सभी व्यक्ति होते हैं।

एक आम पूर्वज से निकले और उनकी पत्नियों और शामिल हैं

अविवाहित बेटियाँ। एक हिंदू सह–पक्ष बहुत संकीर्ण होता है।

संयुक्त परिवार की तुलना में निकायः इसमें केवल वे व्यक्ति शामिल हैं जो

जन्म से संयुक्त या सह–आंशिक संपत्ति में ब्याज प्राप्त करना,

ये धारक के बेटे, पोते और परपोते हैं।

कुछ समय के लिए संयुक्त संपत्ति। इसलिए हो सकता है कि

एक एकल पुरुष सदस्य और विधवाओं से युक्त संयुक्त हिंदू परिवार

मृत सह–भागीदारों का। x XX "

(जोर दिया गया)

संयुक्त हिंदू परिवार और सह–सदस्य परिवार के बीच का अंतर था

सुरजित लाल छाबड़ा बनाम। आय आयुक्त

बम्बई, (ऊपर) इस प्रकारः

इसे लिखने वाले व्यक्तियों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। न ही आम पूर्वज से उनकी दूरी और उनके लिए

एक दूसरे के साथ संबंध। एक संयुक्त हिंदू परिवार में शामिल हैं –

व्यक्ति एक समान पूर्वज के वंशज हैं और इसमें विनीता शर्मा बनाम शामिल हैं।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

उनकी पत्नियाँ और अविवाहित बेटियाँ। बेटी, शादी पर,

अपने पिता के परिवार का सदस्य बनना बंद कर देता है और एक बन जाता है

व्यक्तियों के एक समूह से मिलकर बना बड़ा शरीर जो एकजुट होते हैं जन्म, विवाह या गोद लेने से उत्पन्न सपिंडाशिप का बंधनः

" हिंदू संयुक्त परिवार का मूल सिद्धांत है –

सैपिन्डशिप। इसके बिना जोड़ बनाना असंभव है।

हिंदू परिवार। इसके साथ जब तक एक परिवार एक साथ रह रहा है, यह है

एक संयुक्त हिंदू परिवार नहीं बनाना लगभग असंभव है। यह वह है

पारिवारिक संबंध, सपिंडा संबंध, जो अलग करता है

संयुक्त परिवार, और इसका बहुत सार है, (1908) 32 बॉम। 479. " " " "

(जोर दिया गया)

35. महाराष्ट्र राज्य में v. नारायण राव शाम राव

मुख और ओआरएस। , (1985) 2 एस. सी. सी. 321, संयुक्त परिवार की विशेषताएं

सह-सदस्यों को बाहर निकाल दिया गया। यह भी माना गया था कि एक का हित

एक संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य तय किया जा रहा है, परिवार के एक मृत पुरुष सदस्य की विरासत पर। वह नहीं रुकेगी।

परिवार का एक सदस्य जब तक कि वह अलग होने का विकल्प नहीं चुनती है

आयन, इस प्रकारः

" 8. हालाँकि, एक हिंदू सह-पक्ष एक संकीर्ण निकाय है।

संयुक्त परिवार। केवल वे पुरुष जो जन्म से रुचि प्राप्त करते हैं संयुक्त या सह-पक्षीय संपत्ति सह-पक्षीय के सदस्य हो सकते हैं।

पोते और महान पोते एक सह-सदस्य का गठन करते हैं, ए सह-भागीदार जन्म से सह-आंशिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त करता है।

होता है। जब परिवार संयुक्त होता है, तो एक के हिस्से की सीमा सह-भागीदार को निश्चित रूप से अनुमानित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह हमेशा होता है

उतार-चढ़ाव करने में सक्षम। यह एक सह-भागीदार की मृत्यु से बढ़ जाता है। और सह-भागीदार के जन्म पर कम हो जाता है। लेकिन एक संयुक्त परिवार,

इसमें महिला सदस्य शामिल हो सकती हैं। इसमें एक पुरुष सदस्य हो सकता है, उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसकी अविवाहित बेटियाँ। की संपत्ति

एक संयुक्त परिवार केवल इसलिए परिवार से संबंधित नहीं रह जाता है क्योंकि

परिवार में केवल एक पुरुष सदस्य है। (देखें।

गौलीबुद्दन्ना बनाम। सी. आई. टी., ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1523 और सीताबाई बनाम राम। चंद्रा, (1969) 2 एस. सी. सी. 544)। एक संयुक्त परिवार में एक हो सकता है –

एकल पुरुष सदस्य और उसकी पत्नी और बेटियाँ। यह आवश्यक नहीं है [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि एक संयुक्त परिवार के गठन के लिए दो पुरुष सदस्य होने चाहिए। (एन. वी. नरेंद्रनाथ बनाम देखें। सी. डब्ल्यू. टी., (1969) 1 एस. सी. सी. 748)। जबकि मिताक्षर हिंदू कानून के तहत स्वामित्व का समुदाय है और दयाभाग कानून द्वारा शासित सह-अधिवेशन में सह-अधिवेशन के सभी सदस्यों के साथ संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के कब्जे की एकता, सह-अधिवेशन के सदस्यों के साथ सह-अधिवेशन संपत्ति के स्वामित्व की कोई एकता नहीं है। प्रत्येक सह-भागीदार संपत्ति में एक निर्धारित हिस्सा लेता है और वह उस हिस्से का मालिक होता है। लेकिन, हालांकि, अधिकार की एकता है। जन्म और मृत्यु के आधार पर हिस्सेदारी में उतार-चढ़ाव नहीं होता है। इस प्रकार यह देखा गया है कि एक निश्चित हिस्से के अधिकार की मान्यता दयाभागा कानून में संपत्ति के मालिकों को एक परिवार से संबंधित माने जाने के खिलाफ नहीं है।

10. हमने उपरोक्त निर्णय पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हम महसूस करते हैं कि इस मामले को इस पद के लिए एक प्राधिकरण के रूप में माना जाना चाहिए कि जब कोई महिला सदस्य जो अधिनियम की धारा 6 के तहत संयुक्त परिवार की संपत्ति में हित विरासत में प्राप्त करती है, विभाजन के लिए मुकदमा दायर करती है। परिवार से बाहर जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए वह विरासत में प्राप्त ब्याज और वह हिस्सा जो उसे अनुमानित रूप से आवंटित किया गया होगा, दोनों प्राप्त करने की हकदार होगी, जैसा कि अधिनियम की धारा 6 के स्पष्टीकरण । में कहा गया है। लेकिन यह इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं हो सकता है कि वह परिवार के किसी पुरुष सदस्य की मृत्यु पर परिवार का सदस्य नहीं रह जाती है, जिसका पारिवारिक संपत्ति में हित परिवार से खुद को अलग करने की उसकी इच्छा के बिना उस पर निर्भर करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक कानूनी कल्पना को आम तौर पर उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने तार्किक अंत तक ले जाया जाना चाहिए जिनके लिए इसे अधिनियमित किया गया है, लेकिन इसे उससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक महिला उत्तराधिकारी का पारिवारिक संपत्ति में विरासत में मिले ब्याज का अधिकार एक पुरुष सदस्य की मृत्यु पर निर्धारित होता है।

अधिनियम की धारा 6 लेकिन उसे अपनी इच्छा के बिना परिवार का सदस्य नहीं होने के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि अन्यथा इसके अजीब परिणाम होंगे जो संसद के विचार में नहीं हो सकते थे जब उसने उस प्रावधान को अधिनियमित किया था और जो ऐसी महिला उत्तराधिकारियों के हित में भी नहीं हो सकता था। उदाहरण के लिए, यदि जो दावा किया जा रहा है उसे सही माना जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप पत्नी अपने आप अपने पति से अलग हो सकती है जब उसके एक बेटे की मृत्यु हो जाती है और वह उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ देता है। इस तरह का परिणाम क़ानून की भाषा से नहीं आता है। ऐसी स्थिति में उसके पास खुद को अलग करने या विनीता शर्मा बनाम को जारी रखने का विकल्प होना चाहिए।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

परिवार में जब तक वह इसके सदस्य के रूप में चाहती है, हालांकि उसके पास है परिवार के एक विशिष्ट हिस्से में अक्षम्य ब्याज अर्जित किया

ऐसी संपत्ति जो जो कुछ भी हो, कम नहीं होगी

सदस्यता की संरचना में बाद में परिवर्तन

परिवार। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि एक निश्चित हिस्से का स्वामित्व

किसी व्यक्ति द्वारा पारिवारिक संपत्ति को एक कारक के रूप में माने जाने की आवश्यकता नहीं है

पहले से ही ध्यान दिया है कि एक दयाभागा परिवार के मामले में, जो अधिकार की एकता को मान्यता देता है लेकिन रुचि के समुदाय को नहीं

उसके सदस्यों के बीच पारिवारिक संपत्तियाँ, उसके सदस्य

एक परिवार का गठन करें। यह उन परिवारों का भी मामला हो सकता है जिनके

एक पारिवारिक समझौता था जो हमारे सामने दबाया नहीं गया था। वहाँ संबंधित दोनों महिलाओं में से किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी

शेष सदस्यों से विभाजित होने वाला मामला

परिवार। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि मृत्यु के बावजूद

शाम राव के परिवार के शेष सदस्यों ने जारी रखा व्यक्तिगत हित के बावजूद पारिवारिक संपत्तियों को एक साथ रखें

पारिवारिक संपत्तियों में उनकी महिला सदस्यों में से

ठीक हो गया "।

(जोर दिया गया)

36. आवश्यक विशेषता समग्र स्वामित्व है, अर्थात 'समुद्रविक'।

वा 'कोपारसेनरी में और शेयर में उतार-चढ़ाव होता रहता है,

आयकर आयुक्त, पूना बनाम। एच. एच. राजा

, (1967) (65) आई. टी. आर. 634 इस प्रकार हैः

हिंदू सहसदस्य का कोई व्यक्तिगत सदस्य नहीं, जबकि यह

अविभाजित रहता है, संयुक्त और अविभाजित की भविष्यवाणी कर सकता है

संपत्ति, कि उसका या किसी विशेष सदस्य का एक निश्चित हिस्सा है,

एक-तिहाई या एक-चौथाई-(लॉर्ड वेस्टबरी ने एप्रोवियर बनाम में। राम। सुभा अयान, (1866 11 एम. आई. ए. 75)। सह-अधिवेशन में उनकी रुचि

संपत्ति एक उतार-चढ़ाव वाला ब्याज है जिसे बढ़ाया जा सकता है। परिवार में मृत्यु। यह केवल विभाजन पर है कि सह-भागीदार है

एक निश्चित हिस्से का हकदार। लेकिन ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि

कि जन्म से प्राप्त होने वाले स्वामित्व के सिद्धांत ने दिया है

समुद्रविक स्वातवर समुच्चय के सिद्धांत का उदय

मिताक्षरा विद्यालय में स्वामित्व। इसलिए विभाजन तक सभी

सह-भागीदारों को पूरी तरह से विस्तारित अधिकार मिले हैं

99

सह-स्वामित्व वाली संपत्ति।

(जोर दिया गया)

[2020] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

37. वेल्लिकन्नू बनाम। आर. सिंगापेरुमल और अन्र। , (2005) 6 एस. सी. सी. इस न्यायालय ने दोहराया कि एक सह-सदस्य के सदस्य का हिस्सा

ए. टी. ई. एस. समय-समय पर कानून का एक तय प्रस्ताव होता है। यह आयोजित किया गया थाः

" 11. जहाँ तक विचाराधीन संपत्ति का संबंध है, वहाँ एक है

न्यायालयों का यह निष्कर्ष निकालना कि संपत्ति एक सह-पक्षीय है

संपत्ति और अगर ऐसा होता, अगर प्रतिवादी 1 ने अपने पिता की हत्या नहीं की होती तो शायद चीजें एक अलग आकार ले लेती। लेकिन संपत्ति के उत्तराधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है मृत पिता जब बेटे ने उसकी हत्या कर

दी है? अगर उसने अपने पिता की हत्या नहीं की होती तो वह अपनी पत्नी के साथ इस मामले में सफल हो जाता। जहाँ तक मिताक्षर कानून में सह–पक्षकारों के अधिकारों का संबंध है, पुत्र जन्म या गोद लेने से सभी सह–पक्षीय संपत्ति में निहित हित प्राप्त करता है, चाहे वह पैतृक हो या नहीं और चाहे वह उसके जन्म से पहले या बाद में अर्जित किया गया हो या दत्तक लिया गया हो, एक संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में। यह वह दृष्टिकोण है जिसे हिंदू कानून के सभी लेखकों ने स्वीकार किया है। मुल्ला के प्रसिद्ध सिद्धांतों में, 15 वीं संस्करण। (1982) पीपी में। 284 और 285, विद्वान लेखक ने इस प्रकार कहा हैः

" मिताक्षर कानून के तहत एक सह–पक्ष का सार स्वामित्व की एकता है। समभागीदारी का स्वामित्व

संपत्ति सह–भागीदारों के पूरे शरीर में है। मिताक्षर कानून द्वारा शासित अविभाजित परिवार की वास्तविक धारणा के अनुसार, उस परिवार का कोई भी व्यक्तिगत सदस्य, जब तक कि वह अविभाजित रहता है, संयुक्त और अविभाजित संपत्ति के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि उस विशेष सदस्य का एक निश्चित हिस्सा है, एक तिहाई या एक चौथाई। उसकी रुचि एक उतार–चढ़ाव वाली ब्याज है, जो परिवार में मृत्यु से बढ़ने में सक्षम है, और परिवार में जन्म से कम होने की संभावना है। केवल एक विभाजन पर ही वह एक निश्चित हिस्से का हकदार बन जाता है। वर्णन करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द

' अविभाजित सह–आंशिक ब्याज '। उस ब्याज की प्रकृति और सीमा को धारा 235 में परिभाषित किया गया है। प्रत्येक सह–भागीदार के अधिकार जब तक कोई विभाजन नहीं होता है तब तक एक आम अधिकार में होता है

और सह–पक्षीय संपत्ति का सामान्य आनंद। के रूप में

प्रिवी काउंसिल द्वारा कटामा नचियार बनाम में देखा गया। शिवगंगा के राजा, (1863) 9 एम. आई. ए. 543, 'परिवार के सभी सदस्यों के बीच हितों का समुदाय और अधिकार की एकता है, और उनमें से किसी एक की मृत्यु पर अन्य विनीता शर्मा बनाम।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

उत्तरजीविता द्वारा वह अच्छी तरह से लिया जा सकता है जिसमें उनके दौरान था

मृतक का जीवनकाल एक सामान्य हित और एक सामान्य हित कब्ज़ा '।

13. एन. आर. राघवचारियार के हिंदू कानून में–– सिद्धांत और

एडेंट्स, 8 वीं एडन। (1987) पी पर। 230 "आरसेनर्स के अधिकार" शीर्षक के तहत यह इस प्रकार कहा गया हैः

" निम्नलिखित एक सह–भागीदार के अधिकार हैं। — (1) सही है।

जन्म से, (2) उत्तरजीविता का अधिकार, (3) विभाजन का अधिकार, (4) संयुक्त अधिकार और उपभोग का अधिकार, (5) अनधिकृत कार्यों को रोकने का अधिकार, (6) अलगाव का अधिकार, (7) खातों का अधिकार, और (8) स्व–अधिग्रहण करने का अधिकार।

"जन्म द्वारा अधिकार" के बारे में बात करते हुए विद्वान लेखक इस प्रकार कहते हैंः

" प्रत्येक सह–भागीदार को जन्म से ब्याज मिलता है

सह–स्वामित्व वाली संपत्ति। जन्म से यह अधिकार उस तारीख से संबंधित है।

गर्भधारण की। हालाँकि, इसे इस स्थिति को नकारात्मक नहीं माना जाना चाहिए कि सह–आंशिक संपत्ति स्वयं अस्तित्व में आ सकती है।

संबंधित सह–भागीदार के जन्म के बाद "। उत्तरजीविता के अधिकार के बारे में बात करते समय, यह इस प्रकार कहा जाता हैः

" उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार की घटना के साथ एक संयुक्त परिवार की प्रणाली हिंदू कानून की एक विशेषता है। ऐसे परिवार में

किसी भी सदस्य का कोई निश्चित हिस्सा नहीं है और उसकी मृत्यु या किसी भी तरह से

परिवार का सदस्य न होने से परिवार की संयुक्त स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। जहां एक सह–भागीदार की पुरुष निर्गम के बिना मृत्यु हो जाती है, संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसका हित अन्य सह–भागीदारों को उत्तरजीविता द्वारा जाता है, न कि अपने स्वयं के उत्तराधिकार द्वारा।

उत्तराधिकारी। यहां तक कि जहां एक सह–भागीदार पागलपन से पीड़ित हो जाता है

अपने जन्म के बाद, वह एक सह–भागीदार के रूप में अपनी स्थिति नहीं खोता है जिसे उसने अपने जन्म से प्राप्त किया है, और हालाँकि उसका पागलपन हो सकता है। हिंदू कानून के तहत उसे अपने परिवार के विभाजन में हिस्से की मांग करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, फिर भी जहां अन्य सभी सह–भागीदारों की मृत्यु हो जाती है और

वह सह–अधिवेशन का एकमात्र जीवित सदस्य बन जाता है, वह उत्तरजीविता द्वारा पूरे संयुक्त परिवार की संपत्ति लेता है, और अंतिम पूर्व मृत सह–भागीदार की बेटी के बहिष्कार के लिए वंश का एक नया स्टॉक बन जाता है, जो अंतिम जीवित सह–भागीदार के कुष्ठ रोग का मामला है। प्रत्येक सह–भागीदार का लाभकारी ब्याज उत्तरदायी है –

उतार–चढ़ाव, एक अन्य सह–भागीदार की मृत्यु से बढ़ रहा है और

एक नए सह–भागीदार के जन्म से घटता है। "

[2020] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जन्म से संपत्ति में अधिकार प्राप्त करता है। उसके हिस्से में उतार-चढ़ाव हो सकता है। समय-समय पर लेकिन उत्तरजीविता के माध्यम से उसका अधिकार

मिताक्षर कानून में सह-पक्षीय संपत्ति एक तय प्रस्ताव है।

(जोर दिया गया) "

38. रोहित चौहान बनाम। सुरिंदर सिंह और अन्य। , (2013) 9 एससीसी

419 , दूसरों के साथ समान रूप से साझा करने की सह-भागीदारी की अवधारणा और नहीं

निश्चित हिस्से पर इस प्रकार चर्चा की गई:

" 11. हमने प्रतिद्वंद्वियों की दलीलों पर ध्यान दिया है। और हम श्री राव के समर्पण में सार पाते हैं। हमारी राय में

सह-पक्षीय संपत्ति का अर्थ है वह संपत्ति जिसमें

पैतृक संपत्ति और सह-भागीदार का अर्थ होगा एक ऐसा व्यक्ति जो

आम की संपत्ति में विरासत में दूसरों के साथ समान रूप से हिस्सेदारी

पूर्वज। कोपारसेनरी संयुक्त हिंदू की तुलना में एक संकीर्ण निकाय है।

परिवार और हिंदू उत्तराधिकार की शुरुआत से पहले (संशोधन) अधिनियम, 2005, परिवार के केवल पुरुष सदस्यों का उपयोग किया जाता है

सह-आंशिक संपत्ति में जन्म से ब्याज प्राप्त करना। ए.

सह-सहभागी का सह-सहभागी संपत्ति में कोई निश्चित हिस्सा नहीं है, लेकिन

उसकी इसमें अविभाजित रुचि है और उसे यह ध्यान रखना होगा कि

स्थिर नहीं। हमारा आगे यह मत है कि इतने लंबे समय तक, विभाजन पर एक पैतृक संपत्ति एक व्यक्ति के हाथ में रहती है, यह

एक अलग संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए और ऐसा व्यक्ति सह-पक्षीय संपत्ति का निपटान करने का हकदार होना

उसकी अलग संपत्ति लेकिन अगर बाद में एक बेटा पैदा होता है, तो अलगाव

जन्म से पहले किए जाने पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन, उस पल ए

बेटा पैदा होता है, संपत्ति एक सह-आंशिक संपत्ति बन जाती है और

बेटा उसमें रुचि लेगा और सह-भागीदार बन जाएगा।

(जोर दिया गया) "

39. थम्मा वेंकट सुब्रमण्यम में भी ऐसा ही दृष्टिकोण लिया गया था।

(मृत) एलआर वी द्वारा। थाम्मा रतम्मा और ओआरएस। , (1987) 3 एस. सी. सी. 294, कि शेयर को कोपारसेनरी में परिभाषित नहीं किया गया है। परिवार में मृत्यु और जन्म के साथ इसमें उतार–चढ़ाव होता रहता है।

40. यह केवल वास्तविक विभाजन पर एक सह–भागीदार का हकदार हो जाता है

एक निश्चित हिस्सा। एक सह–भागीदार के हित को "अविभाजित सह–पक्षीय हित" कहा जाता है, जो अविभाजित रहता है जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने कटामा नच्चियार v में कहा है। श्रीमत राजा मुट्टू विजया विनीता शर्मा बनाम।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

रागनाधा बोध गूरू स्वामी पेरिया ओडया तावेर, (1863) 9 एम. आई. ए. 543।

शंकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम एम.

प्रभाकर और ओआरएस। , (2011) 5 एस. सी. सी. 607, यह देखा गया कि सह–पक्षीय

सामूहिक स्वामित्व हो। यदि संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया जाता है, तो यह सभी सह–मालिकों के लाभ के लिए है। सह के स्वामित्व की स्थिति स्वामित्व संपत्ति एक परिवर्तन को इंगित करती है जब वास्तविक विभाजन होता है, और सह–मालिक का हिस्सा पहचान योग्य हो जाता है। शंकर सहकारी में, यह देखा गया थाः

" 85. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार का तर्क है कि रिट याचिका स्वर्गीय मंडल बुचैया के सह–मालिकों में से एक द्वारा दायर की गई थी और पारित निर्णय और आदेश अन्य पक्षों को बाध्य नहीं करेंगे। हम सहमत नहीं हो सकते। यह एक स्थापित कानून है कि किसी भी सह–मालिक को किसी विशेष वस्तु या उसके हिस्से में कोई निश्चित अधिकार, शीर्षक और हित नहीं है। दूसरी ओर, हिंदू धर्म के तहत संयुक्त संपत्ति या सह–सम्पत्ति के हर हिस्से में उसका अधिकार, स्वामित्व और हित है। सभी सह–भागीदारों द्वारा कानून। हमारा निष्कर्ष ए. विश्वनाथ पिल्लई बनाम में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से मजबूत होता है। तहसीलदार

(एल. ए.), (1991) 4 एस. सी. सी. 17 जिसमें इस न्यायालय ने कहाः (एस. सी. सी पी. 21 ,

पैरा 2)

" 2. ..... यह तय कानून है कि सह–मालिकों में से एक दायर कर सकता है

अजनबियों के खिलाफ मुकदमा दायर करें और संपत्ति की वसूली करें और डिक्री सभी सह–मालिकों को आश्वस्त करेगी। यह समान रूप से स्थापित कानून है कि किसी भी सह–मालिक को किसी विशेष वस्तु या उसके किसी हिस्से में निश्चित अधिकार, शीर्षक और हित नहीं है। दूसरी ओर हिंदू कानून के तहत सभी सह–भागीदारों द्वारा संयुक्त संपत्ति या सह–संपत्ति के हर हिस्से में उसका अधिकार, स्वामित्व और हित है। कांता गोएल बनाम। बी. पी. पाठक, (1977) 2 एस. सी. सी. 814, इस न्यायालय ने सह–मालिकों में से एक द्वारा सह–मालिकों के

व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए किरायेदार को बेदखल करने के लिए एक आवेदन को बरकरार रखा। एक ही दृश्य था श्री राम पसरीचा बनाम में दोहराया गया। जगन्नाथ, (1976) 4 एस. सी. सी. 184 और पाल सिंह बनाम। सुंदर सिंह, (1989) 1 एस. सी. सी. 444। एक सह-स्वामी संपत्ति के एकमात्र मालिक के रूप में पूरी संपत्ति का मालिक होता है। यह कहना सही नहीं है कि सह-मालिक की संपत्ति थी

अपना नहीं। वह संयुक्त संपत्ति के कई हिस्सों के मालिक हैं।

दूसरों के साथ और यह नहीं कहा जा सकता है कि वह संपत्ति में केवल एक आंशिक मालिक या आंशिक मालिक है। उस स्थिति में परिवर्तन तभी होगा जब विभाजन होगा और विभाजन [2020] 10 एस. सी. आर. से प्रभावित होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मीट्स और बाउंड्री द्वारा। इसलिए, संपत्ति का सह-मालिक है

अर्जित लेकिन प्राप्त करने का हकदार संपत्ति का मालिक मुआवजे के लिए।

9999

(जोर दिया गया)

41. भगवंत पी. सुलाखे बनाम। दिगंबर गोपाल सुलाखे (1986)

1 एस. सी. सी. 366, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि संयुक्त परिवार की संपत्ति का स्वरूप संयुक्त परिवार की संपत्ति की स्थिति में विच्छेद के साथ नहीं बदलता है।

वास्तविक विभाजन होने से पहले संयुक्त परिवार। यह इस प्रकार देखा गयाः

" 14. ..... किसी भी संयुक्त परिवार की संपत्ति का स्वरूप नहीं बदलता है।

संयुक्त परिवार और संयुक्त परिवार की स्थिति के विच्छेद के साथ

सह-भागीदारों के बीच। एकतरफा कार्य से यह किसी के लिए भी खुला नहीं है। संयुक्त परिवार का सदस्य किसी भी संयुक्त परिवार की संपत्ति को परिवर्तित करने के लिए

अपनी निजी संपत्ति में "।

42. भगवती प्रसाद साह और अन्य में। वी. दुलहिन रामेश्वरी

कुएर और एनर। , ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 72 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक बार जब कोई सह–भागीदार संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों से खुद को अलग कर लेता है, तो यह कोई धारणा नहीं है कि बाकी सह–भागीदार संयुक्त बने रहे, यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न होगा। निम्नलिखित चर्चा की गईः

" 7. x XX सामान्य सिद्धांत निस्संदेह यह है कि एक हिंदू परिवार

संयुक्त माना जाता है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, लेकिन.. कहाँ यह स्वीकार किया जाता है कि सह–भागीदारों में से एक ने खुद को अलग कर लिया था

संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों से और इसमें उनका हिस्सा था उसके लिए संयुक्त संपत्ति का विभाजन किया गया, कोई अनुमान नहीं है

कि बाकी सह–भागीदार संयुक्त बने रहे। वहाँ कोई नहीं है वादी की ओर से भी यह धारणा कि क्योंकि एक सदस्य

परिवार ने खुद को अलग कर लिया है, इसके साथ अलगाव हो गया है

सभी का ध्यान रखें। यह एक तथ्य का प्रश्न होगा जिसमें निर्धारित किया जाना है

प्रत्येक मामला पक्षों के इरादे से संबंधित साक्ष्य पर आधारित है।

क्या अन्य सह–भागीदारों के बीच कोई अलगाव था या कि वे एकजुट रहे। बोझ निस्संदेह होगा।

उस पार्टी पर जो किसी विशेष राज्य के अस्तित्व का दावा करती है

जिन चीजों के आधार पर वह राहत का दावा करता है।

रेफरी में। अबाधित और बाधित विरासत विनीता शर्मा बनाम।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

43. मिताक्षरा कोपारसेनरी में, निर्बाध विरासत है,

अर्थात्, अपप्रतिबंध और बाधित विरासत अर्थात, प्रतिसबंध। जब जन्म से अधिकार बनाया जाता है तो उसे अबाधित विरासत कहा जाता है। साथ ही, पिता, दादा या परदादा की संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त किया जाता है। यदि एक सह–भागीदार बिना इसके मर जाता है

एक पुरुष मुद्दे को छोड़कर, अधिकार जन्म से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन कोई पुरुष मुद्दा नहीं होने के कारण इसे बाधित विरासत कहा जाता है। इसे बाधित किया जाता है क्योंकि इसके अधिकार का संचय मालिक के अस्तित्व से बाधित होता है। उनकी मृत्यु पर ही बाधित विरासत होती है। हिंदू कानून पर मुल्ला ने इस अवधारणा पर इस प्रकार चर्चा की हैः

संपत्ति को दो वर्गों में विभाजित करता है, अर्थात्, प्रतिबंध दया या निर्बाध विरासत, और प्रतिसंबंध दिवस या बाधित

विरासत।

(1) जिस संपत्ति में कोई व्यक्ति जन्म से ब्याज प्राप्त करता है, उसे अबाधित विरासत कहा जाता है, क्योंकि

यह मालिक के अस्तित्व से बाधित नहीं होता है।

इस प्रकार, एक हिंदू को अपने पिता से विरासत में मिली संपत्ति, जो उसके पिता की है।

पिता, या पिता के पिता के पिता, लेकिन अपनी मातृ से नहीं दादा, 1 अपने स्वयं के पुरुष के संबंध में निर्बाध विरासत है

उसका पुत्र, पोता और प्रपौत्र। 2 उनके पुरुष मुद्दे उनके जन्म के क्षण से ही इसमें रुचि लेते हैं। इस पर उनका अधिकार केवल परिवार में उनके जन्म के तथ्य से उत्पन्न होता है, और वे ऐसी संपत्ति में अपने पैतृक पूर्वज के साथ सह-भागीदार बन जाते हैं।

उनके जन्म के तुरंत बाद, और ऐसे मामलों में पैतृक संपत्ति है

निर्बाध विरासत।

संपत्ति, जिसका अधिकार जन्म से नहीं बल्कि उस पर अर्जित होता है

पुरुष मुद्दे को छोड़े बिना अंतिम मालिक की मृत्यु को कहा जाता है

बाधित विरासत। इसे बाधित कहा जाता है, क्योंकि संचय

मालिक के अस्तित्व के कारण इसके अधिकार में बाधा आती है।

इस प्रकार, संपत्ति जो माता-पिता, भाइयों को हस्तांतरित होती है,

अंतिम मालिक की मृत्यु पर भतीजे, चाचा आदि को बाधित किया जाता है।

' मुहम्मद हुसैन बनाम। बाबू केशव नंदन सहाय, (1937) 64 आई. ए. 250: (1937) सभी 655: 39 बम एलआर 979: 169 आईसी 1: ए. आई. आर. 1937 पी. सी. 223; ओम प्रकाश बनाम सर्वजीत सिंह, ए. आई. आर. 1995 एम. पी. 92 (पिता, पिता के पिता या पिता के पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से विरासत में मिली संपत्ति बाधित विरासत है)।

2 सिरताजी वी. अल्गु उपाध्याय, (1937) 12 लक 237: 163 आईसी 935: ए. आई. आर. 1936 ओ. आर. आई. 331

विरासत। ये संबंध जन्म से संपत्ति में निहित हित नहीं लेते हैं। इसका उनका अधिकार पहली बार मालिक की मृत्यु पर उत्पन्न होता है। तब तक, उनके पास केवल उत्तराधिकार होता है, या संपत्ति के उत्तराधिकार की संभावना होती है, जो इस पर निर्भर करती है उनके जीवित रहने वाले मालिक। 3.

(2) निर्बाध विरासत उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित की जाती है;

उत्तराधिकार द्वारा बाधित विरासत। हालाँकि, कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें बाधित विरासत को उत्तरजीविता द्वारा भी पारित किया जाता है।

44. यह स्पष्ट है कि अबाधित विरासत जन्म से होती है, वह बाधित विरासत मालिक की मृत्यु के बाद होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जन्म से धारा 6 के तहत, अधिकार दिया जाता है जो कि अबाधित विरासत है। यह मालिक की मृत्यु के आधार पर बाधित विरासत नहीं है। इस प्रकार, सह–भागीदार पिता को धारा 6 के प्रावधानों के प्रतिस्थापन की तारीख, 05 पर जीवित होने की आवश्यकता नहीं है।

रेफरी में। 1956 के अधिनियम की धारा 6 45. द्वारा प्रतिस्थापन से पहले 1956 के अधिनियम की धारा 6

एन. डी. एम. टी. अधिनियम, 2005 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 6. सह–पक्षीय संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण। जब इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद एक पुरुष हिंदू की मृत्यु हो जाती है, तो

उनकी मृत्यु के समय एक मिताक्षर में रुचि थी

सह–आंशिक संपत्ति, संपत्ति में उसका हित हस्तांतरित हो जाएगा।

के जीवित सदस्यों पर उत्तरजीविता द्वारा

सह–पक्षीय और इस अधिनियम के अनुसार नहीं

बशर्ते कि, यदि मृतक ने उसे अनुसूची की प्रथम श्रेणी में निर्दिष्ट महिला रिश्तेदार या पुरुष रिश्तेदार के साथ जीवित छोड़ दिया था

उस वर्ग में निर्दिष्ट जो ऐसी महिला के माध्यम से दावा करता है

रिश्तेदार, मिताक्षर में मृतक का हित सह–पक्षीय संपत्ति वसीयतनामा द्वारा हस्तांतरित होगी या

इस अधिनियम के तहत, जैसा भी मामला हो, निर्वसीयत उत्तराधिकार, न कि उत्तरजीविता द्वारा। स्पष्टीकरण ।– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ब्याज

एक हिंदू मिताक्षर सह–भागीदार को माना जाएगा

उस संपत्ति में हिस्सेदारी जो उसे आवंटित की गई होगी यदि

संपत्ति का विभाजन तुरंत पहले हुआ था।

शारा, Ch. I, S1, v3।

विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

उसकी मृत्यु, चाहे वह दावा करने का हकदार था या नहीं

विभाजन हो या न हो "।

46. संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 6 के प्रतिस्थापित प्रावधान को नीचे निकाला गया हैः

" 6. सह-पक्षीय संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण। (1) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ पर और उसके बाद से, द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में

मिताक्षर कानून, एक सह-भागीदार की बेटी, (क) जन्म से ही अपने आप में एक सह-भागीदार बनें।

बेटे की तरह;

(ख) सह-पक्षीय संपत्ति में उतने ही अधिकार हैं जितने उसे पुत्र होने पर होते;

(ग) उक्त सह-आंशिक संपत्ति के संबंध में पुत्र के समान देनदारियों के अधीन होगा, और किसी भी संदर्भ में हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार को शामिल माना जाएगा

एक सह-भागीदार की बेटी का संदर्भः

दिसंबर, 2004 का 20 वां दिन। (2) कोई भी संपत्ति जिसके लिए एक महिला हिंदू हकदार हो जाती है

उप-धारा (1) के आधार पर उसे सह-स्वामित्व की घटनाओं के साथ रखा जाएगा और इसके बावजूद माना जाएगा। इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी, उसके द्वारा निपटाई जाने वाली संपत्ति के रूप में

वसीयतनामा स्वभाव। (3) जहां हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के बाद एक हिंदू की मृत्यु हो जाती है, संपत्ति में उसका हित

मिताक्षर कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार का, इस अधिनियम के तहत, जैसा भी मामला हो, वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा, और सह-सदस्य

यह समझा जाएगा कि संपत्ति को इस तरह विभाजित किया गया है जैसे कि कोई विभाजन हुआ हो और, (क) बेटी को वही हिस्सा आवंटित किया जाता है जो एक बेटे को आवंटित किया जाता है; [2020] 10 एस. सी. आर.

(ख) पूर्व–मृत पुत्र या पूर्व–मृत पुत्री का हिस्सा, जो उन्हें विभाजन के समय जीवित होता तो मिलता, ऐसे पूर्व–मृत पुत्र या ऐसी पूर्व–मृत पुत्री के जीवित बच्चे को आवंटित किया जाएगा; और

(ग) किसी पूर्व–मृत पुत्र या पूर्व–मृत पुत्री के पूर्व–मृत बच्चे का हिस्सा, जैसा कि उस बच्चे को मिलता, यदि वह विभाजन के समय जीवित होता, तो पूर्व–मृत बेटे के ऐसे पूर्व–मृत बच्चे के बच्चे को आवंटित किया जाएगा या पूर्व–मृत बेटी, जैसा भी मामला हो।

स्पष्टीकरण। – इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए,

एक हिंदू मिताक्षर सह–भागीदार को उस संपत्ति का हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया गया होता यदि उसकी मृत्यु से ठीक पहले संपत्ति का विभाजन हुआ होता, भले ही वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं। (4) हिंदू उत्तराधिकार की शुरुआत के बाद

केवल हिंदू कानून के तहत पवित्र दायित्व के आधार पर दादा, ऐसे बेटे, पोते या परपोते को ऐसे किसी भी ऋण का निर्वहन करनाः बशर्ते कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पहले अनुबंधित किसी भी ऋण के मामले में, इस उप–धारा में निहित कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। (क) किसी भी लेनदार का पुत्र, पोते या परपोते के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार, जैसा भी मामला हो; या

(ख) ऐसे किसी ऋण के संबंध में या उसकी संतुष्टि में किया गया कोई अलगाव और ऐसा कोई अधिकार या अलगाव पवित्र दायित्व के नियम के तहत उसी तरीके से और उसी हद तक लागू किया जा सकता है जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 लागू नहीं किया गया था।

स्पष्टीकरण। – खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, "पुत्र" अभिव्यक्ति,

पौत्र "या" प्रपौत्र "को संदर्भित करने वाला माना जाएगा बेटा, पोता या प्रपौत्र, जैसा भी मामला हो, जो हिंदू धर्म के प्रारंभ से पहले पैदा हुआ था या गोद लिया गया था

उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005।

(5) इस धारा में निहित कुछ भी विभाजन पर लागू नहीं होगा, जो 20 दिसंबर, 2004 से पहले प्रभावी हो गया है। स्पष्टीकरण। – इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विभाजन" का अर्थ है पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का

16) के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन या अदालत की डिक्री द्वारा प्रभावित विभाजन द्वारा किया गया कोई विभाजन। . "

47. एस की शुरुआत के पीछे की वस्तुओं और कारणों का विवरण निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने हिंदुओं के बीच निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून में संशोधन और संहिताबद्ध किया है। अधिनियम

कुछ मामलों में मृत पुरुष के ब्याज के हस्तांतरण के लिए नियम प्रदान करना। यह अधिनियम विरासत की एक समान और व्यापक प्रणाली निर्धारित करता है और अन्य बातों के साथ-साथ शासित व्यक्तियों पर भी लागू होता है। मिताक्षरा और दयाभाग स्कूलों द्वारा और उन लोगों के लिए भी

धर्म द्वारा पारसी या यहूदी। वसीयती स्वभाव के मामले में, यह अधिनियम लागू नहीं होता है और मृतक के हित को नियंत्रित किया जाता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा।

2. अधिनियम की धारा 6 सह-आंशिक संपत्ति में एक पुरुष हिंदू के हित के हस्तांतरण से संबंधित है और हस्तांतरण के नियम को मान्यता देती है।

सहसदस्यता के सदस्यों के बीच उत्तरजीविता द्वारा। बिना मितकाशर सह-आंशिक संपत्ति का प्रतिधारण

इसमें महिलाओं को शामिल करने का मतलब है कि महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तरह पैतृक संपत्ति में विरासत में नहीं मिल सकती हैं। बेटी को सह-अधिवेशन में भाग लेने से अलग करके कानून

स्वामित्व न केवल लिंग के आधार पर उसके भेदभाव में योगदान देता है, बल्कि उसके [2020] 10 एस. सी. आर. के उत्पीड़न और निषेध का कारण भी बना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान द्वारा प्रदत्त समानता का मौलिक अधिकार। महिलाओं को सामाजिक न्याय प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों ने हिंदू मिताक्षर सह-आंशिक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार देने वाले कानून में आवश्यक बदलाव किए हैं। केरल विधानमंडल ने केरल संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1975 लागू किया है।

3. इसमें निहित भेदभाव को दूर करने का प्रस्ताव है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में हिंदू मिताक्षर सह-आंशिक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार दिए गए हैं।

बेटों को है। अधिनियम की धारा 23 एक महिला उत्तराधिकारी को पूरी तरह से कब्जे वाले आवास के संबंध में विभाजन की मांग करने के लिए अयोग्य घोषित करती है।

एक संयुक्त परिवार द्वारा जब तक कि पुरुष उत्तराधिकारी उसमें अपने–अपने हिस्से को विभाजित करने का विकल्प नहीं चुनते। उक्त धारा को हटाने का भी प्रस्ताव है ताकि उस धारा में निहित महिला उत्तराधिकारियों की अक्षमता को दूर किया जा सके।

4. उपरोक्त प्रस्ताव भारत के विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं जो "महिलाओं के संपत्ति अधिकारः हिंदू धर्म के तहत प्रस्तावित सुधार कानून "।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

नई दिल्ली;

16 दिसंबर, 2004 "।

48. धारा 6 सहभागीदारी में ब्याज के हस्तांतरण से संबंधित है।

मिताक्षर कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति। द.

मूल रूप से धारा 6 के अधिनियमित प्रावधान में मिताक्षर सह–आंशिक संपत्ति से संबंधित उत्तराधिकार के नियम को बाहर रखा गया था। इसने एक सह–भागीदार पुरुष हिंदू का हित प्रदान किया, जिसकी मृत्यु अधिनियम के प्रारंभ के बाद हुई थी।

1956 , सहसदस्यता के जीवित सदस्यों पर उत्तरजीविता द्वारा शासित किया जाएगा। अपवाद यह था कि यदि मृतक के पास था अनुसूची के प्रथम वर्ग में विनिर्दिष्ट महिला रिश्तेदार या उस वर्ग में विनिर्दिष्ट पुरुष रिश्तेदार, जो ऐसी महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करता है, के बचे रहने पर, ऐसे सह–भागीदार का हित, जैसा भी मामला हो, वसीयत या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, ताकि मृत सह–भागीदार के हिस्से का पता लगाया जा सके, विभाजन को उसकी मृत्यु से पहले माना जाना चाहिए। स्पष्टीकरण 2 अलग किए गए व्यक्ति को निर्वसीयत उत्तराधिकार के मामले में कोई भी दावा करने का अधिकार नहीं देता है।

विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

49. यद्यपि विधवा या बेटी एक हिस्से का दावा कर सकती थी, मृतक सह–भागीदार द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होने के नाते, और एक विधवा हकदार थी, विभाजन की स्थिति में हिस्से का दावा करने का अधिकार होने पर बेटी को सह–भागीदार के रूप में नहीं माना जाता था। संवैधानिक रूप से परिकल्पित लैंगिक न्याय का लक्ष्य देर से प्राप्त किया जाता है, और किए गए भेदभाव का ध्यान संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा धारा 6 के प्रावधानों को प्रतिस्थापित करके रखा जाता है।

50. एक बेटी के लिए लैंगिक भेदभाव के बारे में जो हमेशा एक प्यारी बेटी बनी रहती है, हम सविता सामवेदी (सुश्री) और अन्न को उद्धृत करते हैं। वी. भारत संघ और अन्य। , 1996 (2) एस. सी. सी. 380 इस प्रकार हैः

" 6. एक आम कहावत सेवा में दबाव डालने लायक है।

" एक बेटा तब तक बेटा होता है जब तक उसे पत्नी नहीं मिल जाती। एक बेटी अपने पूरे जीवन में एक बेटी होती है। 7. ..... एक विवाहित बेटी की पात्रता को एक अविवाहित बेटी के बराबर रखा जाना चाहिए (क्योंकि वह इसमें एक बार रही होगी)।

राज्य), लाभ का दावा करने के लिए।

..... (अन्यथा, यह अनुचित, लिंग-पक्षपाती और अनुचित होगा, जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निरस्त किया जा सकता है। ... यह.

विवाह के कारण महिलाओं के बीच लैंगिक भेदभाव की दोहरी बुराइयों से पीड़ित है।

51. बेटी को उसी तरह से सह-भागीदार माना जाता है जैसे जन्म से बेटे को सह-भागीदार संपत्ति में समान अधिकार होते हैं और

देनदारियाँ। हालांकि, उप-धारा (1) के परंतुक में एक गैर-अबाधित खंड है जिसमें यह प्रावधान है कि उप-धारा में निहित कुछ भी किसी भी विभाजन या अलगाव सहित किसी भी स्वभाव या अलगाव को प्रभावित या अमान्य नहीं करेगा।

संपत्ति का वसीयती निपटान जो पहले हुआ था

20.12.2004 .

52. धारा 6 के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि -

बेटी के साथ भेदभाव समाप्त कर दिया गया है, और वे

विरासत के मामले में मिताक्षर सह-पक्ष के साथ समान व्यवहार प्रदान किया गया है। कई राज्यों में। , आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, 1956 के अधिनियम में राज्य संशोधन हिंदू मिताक्षर सह-पक्षीय संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार देने के लिए किए गए थे। एक संशोधन किया गया था

30.7.1994 1994 के कर्नाटक अधिनियम 23 द्वारा 1956 के अधिनियम में धारा 6ए को शामिल करके। आंध्र प्रदेश राज्य में, संशोधन किया गया था, [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1956 के अधिनियम में धारा 29ए को जोड़कर डब्ल्यू. ई. एफ. 5.9.1985, तमिलनाडु डब्ल्यू. ई. एफ. 25.3.1989 और महाराष्ट्र डब्ल्यू. ई. एफ. <आई. डी. 1। केरल में यह अधिनियम 1975 में लागू किया गया था।

53. संशोधन से पहले, धारा 6 में प्रावधान किया गया था कि एक पुरुष हिंदू की मृत्यु पर, मिताक्षर सह-पक्ष में सह-भागीदार का हित।

के जीवित सदस्यों पर उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा असंकलित हिंदू कानून के तहत सह–भागीदारी और इसके अनुसार नहीं

1956 के अधिनियम के तहत प्रदान की गई उत्तराधिकार की विधि। यह धारा 6 के परंतुक द्वारा प्रदान किया गया था, यदि मिताक्षरा सहसदस्य का कोई पुरुष हिंदू प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी या पुरुष की महिला रिश्तेदार को जीवित छोड़ गया है।

रिश्तेदार जो पहली श्रेणी की ऐसी महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करता है। पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों की श्रेणियों वाली अनुसूची नीचे दी गई हैः

" अनुसूची

(खंड 8 देखें)

वर्ग । और वर्ग ।। में उत्तराधिकारी

क्लास ।

बेटा, बेटी, विधवा; माँ; एक पूर्व–मृत बेटे का बेटा; एक पूर्व–मृत बेटे की बेटी; एक पूर्व–मृत बेटी की बेटी; एक पूर्व–मृत बेटे की विधवा; एक पूर्व–मृत बेटे के बेटे का बेटा; एक पूर्व–मृत बेटे के बेटे की बेटी; एक पूर्व–मृत बेटे के पूर्व–मृत बेटे की विधवा; एक पूर्व–मृत बेटी की पूर्व–मृत बेटी का बेटा; एक पूर्व–मृत बेटी की पूर्व–मृत बेटी की बेटी; एक पूर्व–मृत बेटी के पूर्व–मृत बेटे की बेटी; एक पूर्व–मृत बेटी की पूर्व–मृत बेटी की बेटी; एक पूर्व–मृत बेटी की पूर्व–मृत बेटी की बेटी; एक पूर्व–मृत बेटी की पूर्व–मृत बेटी की पूर्व–मृत बेटी की पूर्व–मृत बेटी; एक पूर्व–मृत बेटी की पूर्व–मृत बेटी की पूर्व–मृत बेटी की पूर्व–मृत बेटी की पूर्व–मृत बेटी।

एक पूर्व–मृत तो "। 54. धारा 6 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जब –

ऐसी महिला, मृतक के हिस्से का पता लगाना आवश्यक था, जैसे कि एक कानूनी कल्पना बनाई गई थी। स्पष्टीकरण । ने विभाजन की कानूनी कल्पना प्रदान की जैसे कि यह उनकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ था, इसके बावजूद कि उसे इसका दावा करने का अधिकार था या नहीं। हालांकि, एक अलग हिंदू मृतक द्वारा छोड़े गए ब्याज में निर्वसीयता के आधार पर सह–सहभागी में ब्याज का दावा नहीं कर सकता था।

55. धारा 6 (1) के संशोधित प्रावधानों में प्रावधान है कि संशोधन अधिनियम के प्रारंभ पर और उसके बाद से बेटी को विनीता शर्मा बनाम से सम्मानित किया जाता है।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

अपना अधिकार "और" बेटे के समान तरीके से "। धारा 6 (1) (ए) में मिताक्षर सह–वार्षिक की अबाधित विरासत की अवधारणा शामिल है, जो जन्म के आधार पर है। धारा 6 (1) (बी) सह–आंशिक संपत्ति में उतने ही अधिकार प्रदान करती है "जितने उसे होते अगर वह एक बेटा होता"।

अधिकार का प्रदान जन्म से होता है, और अधिकार उसी तरह से दिए जाते हैं जैसे एक बेटे की सह-भागीदारी की घटनाओं के साथ और उसके साथ उसी तरह से सह-भागीदार के रूप में व्यवहार किया जाता है जैसे कि उसके पास थे।

जन्म के समय वे पुत्र थे। यद्यपि अधिकारों का दावा किया जा सकता है, डब्ल्यू. ई. एफ. 9.9.2005, प्रावधान पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के हैं; वे पूर्ववर्ती घटना के आधार पर लाभ प्रदान करते हैं, और मिताक्षर सह-पक्षीय कानून में एक बेटी को सह-भागीदार के रूप में संदर्भित करना शामिल माना जाएगा। साथ ही, विधायिका ने एक परंतुक जोड़कर बचत प्रदान की है कि कोई भी स्वभाव या अलगाव, यदि संपत्ति या विभाजन का कोई वसीयती निपटान है जो 20.12.2004 से पहले हुआ है, तो जिस तारीख को विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, उसे अमान्य नहीं किया जाएगा।

56. संभावित क़ानून नए अधिकार प्रदान करने वाले अपने अधिनियमन की तारीख से संचालित होता है। पूर्वव्यापी क़ानून पीछे की ओर काम करता है और

मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित निहित अधिकारों को छीन लेता है या बाधित करता है। एक पूर्वव्यापी क़ानून वह है जो पूर्वव्यापी रूप से काम नहीं करता है। यह भविष्य में काम करता है। हालाँकि, इसका संचालन चरित्र पर आधारित है।

या ऐसी स्थिति जो पहले उत्पन्न हुई हो। विशेषता या घटना जो अतीत में हुई थी या आवश्यकताएं जो पूर्ववर्ती घटनाओं से ली गई थीं। संशोधित धारा 6 के तहत, चूंकि अधिकार जन्म से दिया गया है, यह एक पूर्ववर्ती घटना है, और प्रावधान संशोधन अधिनियम की तारीख को और उससे अधिकारों का दावा करने के संबंध में काम करते हैं।

57. इस न्यायालय द्वारा दर्शन सिंह आदि मामले में पूर्वव्यापी और पूर्वव्यापी क़ानून की अवधारणा बताई गई थी। राम पाल सिंह और अन्र। , (1992

सप. (1) एस. सी. सी. 191 इस प्रकार हैः

" 35. श्री सचर ठाकुर गोकुलचंद बनाम पर निर्भर हैं। परवीन कुमारी, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 331, गारिकापट्टी वीराया बनाम। एन. सुब्बैया

चौधरी, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 540, जोस दा कोस्टा बनाम। बासकोरा

आई. टी. ओ. (1976) 1 एस. सी. सी. 906, हेन्सहॉल बनाम। पोर्टर, (1923) 2 के. बी. डी. 193, संयुक्त प्रांत बनाम। एमएस. आतिगा बेगम, ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 16, में उनके इस कथन का समर्थन कि संशोधन अधिनियम को विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से या आवश्यक [2020] 10 एस. सी. आर. द्वारा पूर्वव्यापी नहीं बनाया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निहितार्थ के रूप में अधिनियम ने स्वयं स्पष्ट रूप से प्रावधान किया कि यह 23 जनवरी, 1973 को लागू हुआ माना जाएगा और इसलिए इसे पूर्वव्यापी संचालन देने का कोई औचित्य नहीं होगा।

चुनाव लड़ने का निहित अधिकार जो अलगाव पर बनाया गया था

अपील करने का अधिकार हमेशा कानून का एक हिस्सा होता है। अधिनियम द्वारा अपील के लिए मंच का परिवर्तन स्वयं अपील के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता है। तत्काल मामले में हम चुनाव लड़ने के अधिकार से चिंतित हैं न कि अपील करने के अधिकार से। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि निहित अधिकारों के संबंध में कानून के प्रस्तावों को एक अधिनियम द्वारा नहीं लिया जा रहा है जो प्रत्यक्ष रूप से या निहितार्थ से पूर्वव्यापी नहीं है। लेकिन केवल इसलिए कि एक अधिनियम अपने संचालन के दौरान एक पिछले कार्य या घटना की परिकल्पना करता है, इसे आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी नहीं कहा जा सकता है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, रेट्रोस्पेक्टिव का अर्थ है पीछे की ओर देखना। अतीत पर विचार करना; किसी क़ानून या विचाराधीन अधिनियम से पहले मौजूद चीजों का संदर्भ होना। उसी शब्दकोश के अनुसार, पूर्वव्यापी कानून का अर्थ है एक ऐसा कानून जो पीछे की ओर देखता है या अतीत पर विचार करता है; जो लागू होने से पहले होने वाले कार्यों या तथ्यों, या होने वाले अधिकारों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक कानून जो मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित निहित अधिकारों को छीन लेता है या बाधित करता है, या एक नया दायित्व पैदा करता है, एक नया कर्तव्य लगाता है, या पहले से ही लेनदेन या विचारों के संबंध में एक नई अक्षमता को जोड़ता है। प्रतिगामी क़ानून का अर्थ है एक ऐसा क़ानून जो पहले से ही किए गए लेनदेन या विचारों पर एक नया दायित्व बनाता है या निहित अधिकारों को नष्ट या बाधित करता है।

36. हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में (चौथा संस्करण। , खण्ड. 44 , पैराग्राफ में हम पाते हैंः

" 921. 'पूर्वव्यापी' का अर्थ। — कहा गया है कि

' 'पूर्वव्यापी' कुछ हद तक अस्पष्ट है और यह कि इस तथ्य के कारण बहुत भ्रम पैदा हुआ है कि इसका उपयोग एक से अधिक इंद्रियों में किया जाता है। सामान्य तौर पर, हालांकि, अदालतें विनीता शर्मा बनाम के रूप में मानती हैं।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

पूर्वव्यापी कोई भी कानून जो अपने प्रारंभ से पहले अस्तित्व में आने वाले मामलों या तथ्यों पर इस अर्थ में काम करता है कि यह प्रभावित करता है, भले ही केवल भविष्य के लिए, इसके चरित्र या परिणामों को पूर्व में या अन्य पिछले आचरण में किए गए लेनदेन। इस प्रकार

एक क़ानून केवल इसलिए पूर्वव्यापी नहीं है क्योंकि यह मौजूदा को प्रभावित करता है।

अधिकार; या यह केवल इसलिए पूर्वव्यापी है क्योंकि इसकी कार्रवाई के लिए आवश्यकताओं का एक हिस्सा इसके पारित होने के समय से लिया गया है।

37. हम यह विचार रखने के लिए इच्छुक हैं कि तत्काल मामले में विधायिका ने 23 जनवरी, 1973 को पीछे मुड़कर देखा और प्रथा को समाप्त करने के लिए उससे आगे नहीं देखा और केवल इसलिए कि उस कट ऑफ तिथि पर कुछ प्रतियोगिताओं को अचानक समाप्त कर दिया गया था, संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी नहीं बना देगा। दूसरे शब्दों में, यह केवल आवश्यकता का एक हिस्सा होने के कारण पूर्वव्यापी नहीं होगा।

इसकी कार्रवाई के लिए एक समय पूर्ववर्ती से खींचा गया था

संशोधन अधिनियम लागू हो रहा है। हमारा यह भी विचार है कि यह प्रावधान करते हुए कि "कोई भी व्यक्ति अचल संपत्ति के किसी भी अलगाव का विरोध नहीं करेगा, चाहे वह पैतृक हो या गैर–पैतृक या

ऐसी संपत्ति के लिए किसी उत्तराधिकारी की कोई नियुक्ति ", मूल अधिनियम के लागू होने के बाद और संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए ऐसे अलगाव या नियुक्तियों को चुनौती देने के किसी भी अधिकार को संरक्षित किए बिना, विधायिका का इरादा निहित अधिकार को भी समाप्त करना था; और यह कि

निहितार्थ से भी ऐसा ही था। इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि किसी अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि विधायिका इसे स्पष्ट शब्दों या आवश्यक निहितार्थ द्वारा नहीं बनाती है। लेकिन तत्काल मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका का यही इरादा था। इसी तरह अदालतें एक प्रावधान का अर्थ स्पष्ट शब्दों का उपयोग करने पर पूर्वव्यापी रूप से कार्य करने की शक्ति प्रदान करने के रूप में करेंगी। हम इन मामलों में संशोधन अधिनियम की मंशा और भाषा दोनों को स्पष्ट पाते हैं। " "

58. जी. सेकर बनाम. गीता और ओआरएस। , (2009) 6 सम्मान के साथ एससीसी 99

संशोधन अधिनियम, 2005 के संचालन में, यह देखा गया कि एक ही दृश्य प्रकृति का है और पूर्वव्यापी नहीं हैः

" 30. न तो 1956 का अधिनियम और न ही 2005 का अधिनियम वेस्टिंग को फिर से खोलने का प्रयास करता है।

एक अधिकार जहाँ उत्तराधिकार पहले ही हो चुका था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त कानून का संचालन संभावित प्रकृति का है।

हो सकता है कि उच्च न्यायालय ने यह राय देने में गलती की हो कि

2005 के अधिनियम की धारा 3 का संचालन [2020] 10 एस. सी. आर. में पूर्वव्यापी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चरित्र, लेकिन, उपरोक्त कारणों से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो होना चाहिए था वह यह था कि हालांकि

प्रकृति में पूर्वव्यापी नहीं है, इसका अनुप्रयोग संभावित है।

9.9.2005 . इसमें शामिल प्रश्न 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा हटाए जाने का प्रभाव था। आवासीय आवास के विभाजन के लिए मुकदमा धारा 23 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं था। उस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा टिप्पणियां की गई थीं। शीला देवी (ऊपर) में, सवाल यह था कि क्या 1956 के अधिनियम की धारा 8 लागू होगी या 1956 के अधिनियम से पहले लागू कानून। 60. धारा 6 (2) में प्रावधान किया गया है कि जब महिला हिंदू उस संपत्ति को धारण करेगी जिसके लिए वह धारा 6 (1) के तहत हकदार हो जाती है, तो वह

सह–स्वामित्व की कठोरता का पालन करने के लिए बाध्य, और वसीयतनामा मोड द्वारा संपत्ति का निपटान कर सकते हैं। 61. संशोधन अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के बाद मरने वाले हिंदू के संबंध में, जैसा कि धारा 6 (3) में प्रावधान किया गया है, उसका हित वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा पारित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा,

उन शेयरों का पता लगाएँ जो उनके उत्तराधिकारियों को आवंटित किए गए होते यदि कोई विभाजन होता। बेटी को बेटे के समान हिस्सा आवंटित किया जाना है; यहां तक कि पूर्व–मृत बेटी या बेटे के जीवित बच्चे को भी हिस्सा दिया जाता है, अगर बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है तो पूर्व–मृत बेटे या पूर्व–मृत बेटी के ऐसे पूर्व–मृत बच्चे के जीवित बच्चे को वही हिस्सा आवंटित किया जाता, अगर वे विभाजन के समय जीवित होते। इस प्रकार, प्रतिस्थापित धारा 6 में एक समुद्री परिवर्तन है। 9.9.2005 के बाद सह–भागीदार की मृत्यु के मामले में, उत्तराधिकार उत्तरजीविता द्वारा नहीं बल्कि धारा 6 (3) (1) के अनुसार। धारा 6 (3) का स्पष्टीकरण मूल रूप से अधिनियमित धारा 6 के स्पष्टीकरण । के समान है। धारा 6 (4) एक बेटी को बेटे की तरह ही उत्तरदायी बनाती है। बेटी, पोती, या परपोती, जैसा भी मामला हो, हिंदू कानून के तहत पवित्र दायित्व का पालन करने के लिए समान रूप से बाध्य है।

ऐसा कोई भी ऋण। यह प्रावधान संशोधन अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पहले अनुबंधित ऋण के संबंध में लेनदार के अधिकार को बचाता है। धारा 6 (4) में निहित प्रावधान यह भी स्पष्ट करते हैं कि धारा 6 के प्रावधान पूर्वव्यापी नहीं हैं क्योंकि अधिकार और देनदारियां दोनों संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से हैं।

विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

62. धारा 6 (1) और धारा 6 (5) का परन्तुक किसी भी विभाजन को बचाता है।

20.12.2004 से पहले प्रभावी। हालांकि, धारा 6 (5) का स्पष्टीकरण पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन या अदालत के डिक्री द्वारा प्रभावित विभाजन को मान्यता देता है। विभाजन के अन्य रूपों को स्पष्टीकरण में 'विभाजन' की परिभाषा के तहत मान्यता नहीं दी गई है।

63. सहभागीदारी के सिद्धांत पर विचार करते हुए कि एक व्यक्ति है

मिताक्षर सह–वार्षिक में जन्म से अधिकार प्रदान किए गए, इसी तरह,

बेटी को बेटे के समान अधिकारों और देनदारियों के साथ एक सह–भागीदार के रूप में मान्यता दी गई है और माना गया है। धारा 6 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति यह है कि वह एक बेटे की तरह ही सह–भागीदार बन जाती है।

गोद लेने से भी सह–भागीदार का दर्जा दिया जा सकता है। अबाधित विरासत के असंशोधित हिंदू कानून की अवधारणा को एक धारा 6 (1) (ए) और 6 (1) (बी) के प्रावधानों के तहत ठोस आकार। सह–भागीदार का अधिकार जन्म से है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि

बेटी के पिता को संशोधन की तारीख के अनुसार जीवित होना चाहिए, क्योंकि उसे बाधित विरासत द्वारा सह–भागीदार के अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। धारा 6 (1) में मान्यता प्राप्त मिताक्षर सह–पक्षीय हिंदू कानून के अनुसार, यह आवश्यक नहीं है कि विवाह की तारीख को कोई जीवित, सह–भागीदार या पिता होना चाहिए।

संशोधन जिसके लिए बेटी सफल होगी। बेटी पहले या बाद में जन्म लेकर बेटे के रूप में सह–अधिवेशन में कदम रखेगी। अधिनियम। हालाँकि, पहले पैदा हुई बेटी इन अधिकारों का दावा केवल संशोधन की तारीख से ही कर सकती है, अर्थात धारा 6 (5) के साथ पठित धारा 6 (1) के परंतुक में दिए गए पिछले लेनदेन की बचत के साथ।

64. संशोधन का प्रभाव यह है कि एक बेटी को संशोधन की तारीख से सह–भागीदार बनाया जाता है और वह दावा कर सकती है।

विभाजन भी, जो सह–सहभागी का एक आवश्यक सहवर्ती है। धारा 6 (1) मिताक्षर कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार को मान्यता देती है। सह–भागीदार की बेटी को उसे प्रदान किए गए अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम बनाने के लिए सह–भागीदार को 9.9.2005 पर मौजूद होना चाहिए। चूंकि अधिकार जन्म से है और विरासत से नहीं, इसलिए यह अप्रासंगिक है कि एक सह–भागीदार जिसकी बेटी को अधिकार दिए गए हैं, जीवित है या नहीं। सम्मेलन किसी पिता या अन्य सह–भागीदार की मृत्यु पर आधारित नहीं है। यदि जीवित सह–भागीदार की मृत्यु हो जाती है

9.9.2005 के बाद, विरासत उत्तरजीविता द्वारा नहीं बल्कि निर्वसीयत या वसीयती उत्तराधिकार द्वारा होती है जैसा कि प्रतिस्थापित धारा 6 (3) में प्रदान किया गया है।

प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी या ऐसी प्रथम श्रेणी की महिला के माध्यम से दावा करने वाला पुरुष वंशज उत्तराधिकारी, बेटी उनमें से एक थी। धारा 6, जैसा कि प्रतिस्थापित किया गया है, यह मानती है:

सह–सहभागी का अस्तित्व। यह केवल बेटियों के अधिकारों के विस्तार का मामला है। अन्य रिश्तेदारों के अधिकार अप्रभावित रहते हैं जैसा कि धारा 6 के परंतुक में प्रचलित है जैसा कि संशोधन से पहले था। 66. मिताक्षर कानून के अनुसार, किसी भी सह–भागीदार का कोई निश्चित हिस्सा नहीं होता है। जन्म या मृत्यु से इसमें उतार–चढ़ाव होता रहता है। यह कहा गया सिद्धांत है

मिताक्षर सह–अधिवेशन का प्रशासन वैधानिक रूप से आगे बढ़ाया गया

धारा 6 के प्रावधान। भले ही कोई सह–भागीदार अपने पीछे प्रथम श्रेणी की महिला उत्तराधिकारी या ऐसी प्रथम श्रेणी की महिला उत्तराधिकारी के माध्यम से दावा करने वाले पुरुष को छोड़ गया हो, लेकिन विभाजन की वैधानिक कल्पना से सह–भागीदारी में कोई व्यवधान नहीं है। कल्पना केवल एक मृत सह–भागीदार के हिस्से का पता लगाने के लिए है, जो उसे वास्तविक विभाजन होने पर आवंटित किया जाएगा। विभाजन की कल्पित कल्पना उस सीमित उद्देश्य के लिए है। प्राचीन शास्त्रीय हिंदू कानून ने बेटी को सह–भागीदार होने से बाहर रखा, जिसे अब संविधान की भावना के अनुरूप प्रावधानों में संशोधन करके अन्याय को दूर कर दिया गया है।

67. किसी मामले में एकमात्र जीवित सह–भागीदार हो सकता है, उसके द्वारा धारण की गई संपत्ति को बेटे के जन्म तक व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता है। में।

यदि कोई विधवा या बेटी भी है, तो उसे संयुक्त माना जाएगा। पारिवारिक संपत्ति। यदि बेटे को गोद लिया जाता है, तो वह सह–भागीदार बन जाएगा। अपने पति की मृत्यु की तारीख से संबंधित एक मृत सह–भागीदार की विधवा द्वारा गोद लेना, जो रुक–रुक कर अवधि में किए गए अलगाव को बचाने के अधीन है।

कोपारसेनरी संपत्ति में अधिकारों के Ref.Acquisition में

68. यह जन्म से है कि संपत्ति में ब्याज अर्जित किया जाता है। 1956 से पहले एक सह–भागीदार की मृत्यु पर हस्तांतरण केवल उत्तरजीविता द्वारा किया जाता था।

1956 के बाद, महिलाओं को अनिवार्यताओं में भी विरासत मिल सकती थी, जिसका उल्लेख धारा 6 के प्रावधान में किया गया है। अब कानूनी कल्पना द्वारा, बेटियों को सह–भागीदारों के रूप में माना जाता है। ब्याज के हस्तांतरण से किसी को भी सह–भागीदार नहीं बनाया जाता है। यह जन्म के आधार पर या गोद लेने के माध्यम से स्पष्ट रूप से अनुमेय डिग्री के भीतर है; एक व्यक्ति को सह–भागीदार के रूप में माना जाना चाहिए और अन्यथा नहीं।

विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

69. तर्क ने उठाया कि अगर पिता या कोई अन्य सह–भागीदार

संशोधन अधिनियम, 2005 से पहले मृत्यु हो गई, पिता या अन्य सह–भागीदार का हित पहले से ही जीवित सह–भागीदार में विलय हो गया होगा, और कोई भी सह–भागीदार जीवित नहीं था जिससे बेटी जीवित हो।

सफल होते हैं। हम समर्पण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि पिता या अन्य सह–भागीदार की मृत्यु से अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। इसके द्वारा

जन्म का तथ्य। यह केवल तभी होता है जब प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी महिला बची रहती है, या उसकी मृत्यु के मामले में, पुरुष रिश्तेदार बचा रहता है, मृतक का हिस्सा

सह–भागीदार को एक मानित विभाजन द्वारा वितरित करने के लिए तय किया गया है, घटना में

एक वास्तविक विभाजन का, जब भी और जब भी यह असंशोधित धारा 6 के परंतुक के अनुसार होता है। जीवित सह-भागीदार का हिस्सा हो सकता है

वास्तविक विभाजन होने तक बदलें। धारा 6 का परंतुक एक सह-सदस्य के गठन के रास्ते में नहीं आता है, और कौन हो सकता है सह-भागीदार। धारा 6 के परंतुक में, जैसा कि मूल रूप से था, उत्तरजीविता अधिकार के लिए एक अपवाद था। प्रतिस्थापित के तहत प्रदत्त अधिकार

यह अनुमान लगाते हुए कि बेटी को केवल एक जीवित सह-भागीदार की मृत्यु पर अधिकार प्रदान किया जाता है, धारा 6 में निहित घोषणा द्वारा उसे सह-भागीदार बनाया गया है। धारा 6 (1) में की गई सटीक घोषणा को उसके तार्किक अंत तक ले जाना होगा; अन्यथा, यह विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त बेटी के अधिकार से इनकार करने के बराबर होगा। मिताक्षर सह-भागीदार की संपत्ति के उत्तराधिकार के एक साधन के रूप में उत्तरजीविता, है धारा 6 (3) द्वारा 9.9.2005 से प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया।

70. बीरेश्वर मुकर्जी एंड ओआरएस में निर्णय। वी. शिब चंदर रॉय (ऊपर) पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया गया था कि गोद लेना केवल एक पुरुष का है न कि एक महिला का, जैसा कि अमरेंद्र मान सिंह भ्रामरबार में माना गया है।

एन. आर. वी. सनातन सिंह और अन्य। , (ऊपर), एक पुरुष जन्म या गोद लेने से सह-भागीदार बन जाता है। उस प्रथा के साथ कोई विवाद नहीं है, जो पहले प्रचलित थी कि एक पुरुष बच्चे को गोद लिया जा सकता था न कि महिलाओं को। इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि

जन्म से प्रचलित कानून के तहत पुरुषों को अर्जित सह-आंशिक अधिकार या

अपनाना। इसी तरह, धारा 6 के प्रावधानों के तहत बेटी के जन्म से अधिकार अर्जित किया जाता है। धारा 6 में विधायिका ने इस शब्द का उपयोग किया कि एक बेटी जन्म से सह-भागीदार बन जाती है। जन्म के आधार पर दावा अलग है और उत्तराधिकार के तरीकों से अलग है।

71. यह तर्क दिया गया था कि यदि संसद का इरादा था कि 2005 से पहले जन्म की घटना एक का दर्जा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगी

सह-पक्षकार, संसद को इस परंतुक को अधिनियमित करने की आवश्यकता नहीं होगी

धारा 6 (1)। जब हम प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ते हैं, जब किसी सह-भागीदार की बेटी को जन्म से बेटे के समान अधिकार दिया जाता है, तो किसी भी विभाजन या वसीयती उत्तराधिकार सहित स्वभाव या अलगाव को बचाना आवश्यक हो जाता है, जो पहले हुआ था।

20.12.2004 . एक बेटी 9.9.2005 पर और उससे अधिकार का दावा कर सकती है, और परंतुक लेनदेन के ऊपर अमान्य होने से बचाता है।

72. यह तर्क दिया गया था कि किसी पिता या अन्य सह–भागीदार की मृत्यु की संभावना में, पक्षों ने न केवल अपनी संपत्ति का विभाजन किया होगा

लेकिन इस तरह के विभाजन के अनुसरण में भी कार्य किया। हालांकि, विभाजन हैं

धारा 6 (1) और 6 (5) के परंतुक द्वारा ध्यान रखा गया है। संसद का इरादा धारा 6 (1) के परंतुक में निर्दिष्ट ऐसे सभी लेन–देनों को बाधित करने का नहीं है।

73. यह जोरदार तर्क दिया गया था कि यदि बेटी को जन्म से सह–भागीदार होने का अधिकार दिया जाता है और अतीत में किसी भी समय सह–भागीदार माना जाता है, तो कानून के सामान्य कामकाज में अनिश्चितता पैदा होगी। हमारी राय में, धारा 6 के प्रावधानों द्वारा कोई अनिश्चितता नहीं लाई जाती है क्योंकि मिताक्षर सहसदस्यता का कानून इसका हिस्सा बनाता है

संभावित रूप से। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि प्रगति सह–भागीदारी के आकार को बढ़ाती है और इसे अक्षम करती है। बेटी के साथ असमान व्यवहार करना। अन्यथा, इसका आकार बेटे के जन्म से भी बढ़ाया जा सकता था। धारा 8 को लागू करके, संयुक्त अधिकार को इस तथ्य से अस्वीकार नहीं किया गया था कि एक महिला, चाहे वह पत्नी हो या बेटी, को मूल धारा 6 के परंतुक के तहत सह–भागीदार का हिस्सा विरासत में मिला था। वह संयुक्त हिंदू परिवार की एक समान सदस्य थीं और माना जाता है कि वैधानिक विभाजन ने सह–अधिवेशन में व्यवधान नहीं डाला।

74. प्रकाश वी. फुलावती, पिता की वर्ष 1988 में मृत्यु हो गई, बेटियों ने 1992 में विभाजन के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसे 2007 में खारिज कर दिया गया था, सह–भागीदार पिता के हिस्से में धारा 6 के प्रावधान के तहत एक काल्पनिक विभाजन पर बेटियों को एक हिस्से का हक दिया गया था।

विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

कभी भी, उच्च न्यायालय ने धारा 6 के संशोधित प्रावधानों को कार्यवाही समाप्त करने के लिए लागू किया और बेटियों के साथ बेटों के समान व्यवहार किया। जैसे–जैसे मामला इस अदालत में गया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि परंतुक दर्शनीय नहीं है। विभाजन के पंजीकृत होने की आवश्यकता का वैधानिक काल्पनिक विभाजन के लिए कोई कारण नहीं हो सकता है, उत्तराधिकार के उद्घाटन पर धारा 6 के अपरिवर्तित परंतुक को ध्यान में रखते हुए, विभाजन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो कानून के संचालन द्वारा है। यह राय दी गई थीः

" 17. संशोधन के पाठ में ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

"एक सह–भागीदार की बेटी" को दिया गया अधिकार "हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ पर और उसके बाद से" है। धारा 6 (3) अपनी प्रयोज्यता के लिए संशोधन के बाद मृत्यु की बात करती है। कानून

की सरल भाषा को ध्यान में रखते हुए, इसके द्वारा सुझाए गए स्पष्टीकरण से अलग व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं है।

संशोधन का पाठ। एक मूल का संशोधन प्रावधान हमेशा संभावित होता है जब तक कि या तो स्पष्ट रूप से या द्वारा

आवश्यक इरादा यह पूर्वव्यापी है। [श्याम कुमार बनाम। राम कुमार, (2001) 8 एस. सी. सी. 24, पैरा 22 से 27] वर्तमान मामले में,

संशोधित प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए न तो कोई स्पष्ट प्रावधान है और न ही उस प्रभाव के लिए आवश्यक इरादा है। विभाजन के पंजीकृत होने की आवश्यकता का कोई आवेदन नहीं हो सकता है

उत्तराधिकार के उद्घाटन पर वैधानिक काल्पनिक विभाजन के अनुसार इस तरह के विभाजन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपरिवर्तित प्रावधान

जो कानून के संचालन द्वारा है। उद्देश्य और प्रभाव

संशोधन पर थोड़ी देर बाद विचार किया जाएगा। इस निष्कर्ष पर,

उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को कायम नहीं रखा जा सकता है।

18. उत्तरदाताओं का तर्क कि संशोधन को सामाजिक कानून का एक हिस्सा होने के नाते पूर्वव्यापी के रूप में पढ़ा जाना चाहिए

स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि एक सामाजिक कानून को भी पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है जब तक कि विधायिका द्वारा ऐसा प्रावधान या इरादा न हो। वर्तमान मामले में, विधायिका ने स्पष्ट रूप से संशोधन को इसके प्रारंभ पर और उसके बाद से लागू किया है और केवल तभी जब संबंधित सह-भागीदार की मृत्यु संशोधन के बाद हो। इस प्रकार, क़ानून की स्पष्ट भाषा को देखते हुए कोई अन्य व्याख्या संभव नहीं है। स्वभाव रखने का परंतुक या

20-12-2004 से पहले के अलगाव या विभाजन भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि बेटी एक सह-भागीदार हो सकती है।

अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले। परंतुक का केवल यह अर्थ है कि जिन लेन-देनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, वे [2020] 10 एस. सी. आर. की सीमा को प्रभावित नहीं करेंगे।

सह-आंशिक संपत्ति जो तब उपलब्ध हो सकती है जब मुख्य

प्रावधान लागू होता है। इसी तरह, स्पष्टीकरण को 20–12 2004 के बाद प्रभावित विभाजन के लेन–देन तक सीमित करके धारा 6 (5) के मूल प्रावधान के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। काल्पनिक विभाजन, अपनी प्रकृति से, भी शामिल नहीं है।

परंतुक के तहत या उप–धारा (5) के तहत या स्पष्टीकरण के तहत।

एक्स एक्स एक्स

23. तदनुसार, हमारा मानना है कि संशोधन के तहत अधिकार जीवित सह–भागीदारों की जीवित बेटियों पर लागू होते हैं

9–9–2005 पर इस बात की परवाह किए बिना कि ऐसी बेटियाँ कब पैदा होती हैं। उक्त तिथि से पहले लागू कानून के अनुसार 20–12–2004 से पहले हुए विभाजन सहित स्वभाव या अलगाव अप्रभावित रहेंगे। इसके बाद प्रभावित विभाजन का कोई भी लेन–देन स्पष्टीकरण द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

एक्स एक्सएक्स

1 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (2005 के संशोधन से पहले)। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सह–भागीदार की मृत्यु से ठीक पहले संपत्ति के विभाजन का उल्लेख करने वाले डीमिंग प्रावधान को निपटारे को ध्यान में रखते हुए उचित और पूर्ण प्रभाव दिया जाना था। डीमिंग फिक्शन को शामिल करने वाले प्रावधान की व्याख्या का सिद्धांत। श्यामा देवी (ऊपर) और अनार देवी (ऊपर) मामलों में,

एक ही दृष्टिकोण का पालन किया गया।

27.3 . वैशाली में सतीश गणोरकर बनाम। सतीश केशोराव गणोरकर, आकाशवाणी 2012 बम। 101 , बम्बई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संशोधन तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि बेटी का जन्म 2005 के संशोधन के बाद नहीं होता है, लेकिन इस पहलू पर बाद की बड़ी पीठ के फैसले [ए. आई. आर. 214 बॉम 151] में एक अलग दृष्टिकोण लिया गया है। हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिल रहा है कि संशोधन के बाद बेटी का जन्म इसकी प्रयोज्यता के लिए एक आवश्यक शर्त थी। बस इतना ही आवश्यक है कि बेटी जीवित हो और उसके पिता भी संशोधन की तारीख को जीवित हों। विनीता शर्मा बनाम।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

75. प्रकाश बनाम में एक निष्कर्ष दर्ज किया गया है। फुलवती ने कहा कि प्रतिस्थापित धारा 6 के तहत अधिकार जीवित बेटियों को प्राप्त होते हैं

9.9.2005 पर सह–भागीदार भले ही ऐसी बेटियाँ हों जन्म लिया। हम पाते हैं कि इस न्यायालय का ध्यान इस पहलू की ओर नहीं खींचा गया था कि सहसदस्यता कैसे बनाई जाती है। एक सह–सहभागी का गठन करना या एक सह–सहभागी बनना आवश्यक नहीं है कि एक पूर्ववर्ती सह–सहभागी जीवित हो; प्रासंगिक सह–सहभागी की डिग्री के भीतर जन्म है जिसके लिए यह विस्तारित होता है। उत्तरजीविता उत्तराधिकार का तरीका है, न कि

एक सह–सदस्य का गठन। इसलिए, हम सम्मानपूर्वक स्वयं को "जीवित सह–भागीदार" की अवधारणा से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं, जैसा कि प्रकाश v में निर्धारित किया गया है। फुलवती। हमारी राय में, बेटियों को 9.9.2005 पर रहना चाहिए। प्रतिस्थापित धारा 6 में, अभिव्यक्ति 'एक जीवित सह–भागीदार की बेटी'

76. मंगम्मल बनाम। टी. बी. राजू और अन्य। (ऊपर), न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य में किए गए प्रावधानों पर विचार किया, राज्य सरकार ने हिंदू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989 लागू किया, जिसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में धारा 29–ए जोड़ते हुए 25.3.1989 से प्रभावी बनाया गया। धारा 29 ए को उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार के संबंध में वैध माना गया था। धारा 29 ए ने सह–आंशिक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार प्रदान किए। प्रावधान कमोबेश समान थे, सिवाय इसके कि धारा 29 ए (iv) एक विवाहित बेटी के साथ अलग व्यवहार करती है। तारीख से पहले शादी की गई बेटियों पर प्रावधान लागू नहीं थे।

संशोधन अधिनियम, 1989 का प्रारंभ। इस प्रकार, विवाहित बेटियाँ समान अधिकारों की हकदार नहीं थीं। 2005 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित धारा 6 में इसका भी ध्यान रखा गया है और इसके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। विवाहित बेटियाँ। उक्त मामले में, मंगम्मल ने 1981 में शादी की।

और इंदिरा की शादी 1984 में या उसके आसपास हुई, यानी 1989 के संशोधन से पहले। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि संशोधन अधिनियम की धारा 29–ए (iv) के कारण, अपीलार्थी विभाजन और अलग करने के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकता है।

कब्ज़ा क्योंकि वे सह–भागीदार नहीं थे। प्रकाश बनाम में निर्णय।

अवती और दानम्मा को संदर्भित किया गया था, और यह राय थी कि प्रकाश

लावती अभी भी बेटी के अधिकार के लिए मिसाल का मूल्य रखती है।

केंद्रीय संपत्ति और केवल "जीवित सह–भागीदारों की जीवित बेटियाँ"

9.9.2005 समभागीदारी में हिस्सेदारी का दावा करने का हकदार होगा

एर्टी। मंगम्मल में, न्यायालय ने इस प्रकार राय दी:

" 15. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 29–ए के तहत,

विधायिका ने "एक सह–भागीदार की बेटी" शब्द का उपयोग किया है।

यहाँ, इस तरह के शब्दों के निहितार्थ का अर्थ दोनों सह–भागीदार हैं।

साथ ही इसका लाभ उठाने के लिए बेटी को जीवित रहना चाहिए।

के संशोधन के प्रारंभ के समय प्रावधान

1989. इससे पहले भी इसी तरह का मुद्दा विचार के लिए आया था।

प्रकाश बनाम में न्यायालय। फुलावती, (2016) 2 एस. सी. सी. 36, जिसमें यह न्यायालय पैरा 23 में अभिनिर्धारित समान मामले पर विचार करते हुए

(एस. सी. सी. पी. 49)

" 23. तदनुसार, हम मानते हैं कि के तहत अधिकार

संशोधन जीवित बेटियों पर लागू होते हैं।

9–9–2005 पर सह–भागीदार, भले ही ऐसी बेटियाँ कब हों

जन्म लेते हैं।

(जोर दिया गया)

16. यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि हाल ही में, इस न्यायालय ने

दानम्मा वी। अमर, (2018) 3 एस. सी. सी. 343, अन्य बातों के साथ–साथ

पैतृक संपत्ति में बेटी के अधिकार का विवाद। उपरोक्त में

2005 में संशोधन। निर्णय के अवलोकन पर और होने के बाद दानम्मा (उपरोक्त) के विशिष्ट तथ्यों के संबंध में, यह स्पष्ट है

कि इस न्यायालय की खंड पीठ ने मुख्य रूप से इस पर विचार नहीं किया

पिता की मृत्यु का मुद्दा बल्कि यह मुख्य रूप से संबंधित था कानून का सवाल कि क्या बेटी जिसका जन्म 2005 से पहले हुआ था

संशोधन पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का हकदार होगा।

संपत्ति है या नहीं? ऐसी परिस्थितियों में, हमारे विचार में, प्रकाश,

(2016) 2 एस. सी. सी. 36, मृत्यु के मुद्दे पर अभी भी मिसाल कायम करेगा।

पैतृक में बेटी के अधिकार के उद्देश्य के लिए सह–भागीदार का अधिकार संपत्ति। संक्षेप में कहें तो केवल जीवित सह–भागीदारों की जीवित बेटियाँ

पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का हकदार होगा।

17. इसलिए, वर्तमान में किसी अन्य पहलू को छुए बिना

मामले में, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता विनीता शर्मा बनाम नहीं थे।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

1989 के संशोधन को ध्यान में रखते हुए हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में सह-भागीदार, इसलिए, वे पहली बार में विभाजन और अलग कब्जे का दावा करने के हकदार नहीं थे। अधिक से अधिक, वे रखरखाव और शादी के खर्च का दावा कर सकते हैं यदि स्थिति

आश्वासन दिया "।

यह स्पष्ट है कि एक जीवित सह-भागीदार की जीवित बेटी का सवाल इस मामले में शामिल नहीं था, एक बार इस अदालत ने कहा था कि विवाहित बेटियां विभाजन और अलग होने का दावा करने की हकदार नहीं थीं। विवाह के रूप में अधिकार लागू होने से पहले हुआ था

1989 संशोधन, जैसा कि ऊपर उद्धृत पैरा 17 में देखा गया है। हालाँकि, इस न्यायालय ने राय दी कि प्रकाश बनाम में निर्णय। फुलावती ने यह निर्धारित करते हुए कि केवल जीवित सह-भागीदारों की जीवित बेटियाँ ही 1956 के अधिनियम की धारा 6 के तहत पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने की हकदार होंगी। व्यक्त राय को ऊपर बताए गए कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उपरोक्त प्रश्न में जाना आवश्यक नहीं था।

77. दानम्मा में, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने धारा 6 के संशोधित प्रावधानों की व्याख्या पर विचार किया। अनार में निर्णय

देवी वी. परमेश्वरी देवी (सुप्रा) पर भरोसा किया जाता था। यह देखा गया कि धारा 6 की व्याख्या से संबंधित विवाद अब प्रकाश v में आधिकारिक घोषणा के साथ सुलझा लिया गया है। फुलावती ने उच्च न्यायालय के साथ-साथ बद्रीनारायण शंकर भंडारी बनाम में एक पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि की। ओमप्रकाश शंकर भंडारी, आकाशवाणी 2014 बम। 151. दानम्मा में, न्यायालय ने आगे राय दीः

" 23. धारा 6, जैसा कि संशोधित किया गया है, यह निर्धारित करती है कि संशोधित अधिनियम, 2005 के प्रारंभ पर और उसके बाद से, एक सह-भागीदार की बेटी जन्म से बेटे की तरह अपने अधिकार में सह-भागीदार बनेगी। यह स्पष्ट है कि पुराने खंड और पुराने हिंदू कानून के तहत बेटों को दिया गया दर्जा उन्हें जन्म से ही सह-भागीदार के रूप में मानने के लिए था। संशोधित प्रावधान अब जन्म के साथ-साथ बेटियों के सह-भागीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप से मान्यता देता है। खंड पुत्र के समान शब्दों का उपयोग करता है। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि सह-भागीदार के बेटे और बेटियां दोनों को जन्म से सह-भागीदार बनने का अधिकार दिया गया है। यह वह है

एक सहभागी में जन्म का बहुत तथ्य जो बनाता है सह-सहभागी, इसलिए एक सह-सहभागी के बेटे और बेटियाँ

जन्म के आधार पर सह-भागीदार बनें। का हस्तांतरण

सह-आंशिक संपत्ति [2020] 10 एस. सी. आर. का बाद का चरण और परिणाम है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक सह–भागीदार की मृत्यु। सहभागीदारी का पहला चरण स्पष्ट रूप से है इसकी रचना जैसा कि ऊपर बताया गया है, और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। सह–भागीदारी की घटनाओं में से एक सह–भागीदार का अधिकार है

स्थिति का विच्छेद। इसलिए, सह–भागीदारों के अधिकार जन्म से (अब बेटियों सहित) उत्पन्न होते हैं और प्रवाहित होते हैं जैसा कि उप–धारा (1) (ए) और (बी) से स्पष्ट है।

सह–भागीदार, अब एक बेटी भी जो सह–भागीदार है। 26. वर्तमान मामले में, निस्संदेह, विभाजन के लिए मुकदमा वर्ष 2002 में दायर किया गया था। हालाँकि, इस मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया था क्योंकि डिक्री द्वारा पारित किया गया था

ट्रायल कोर्ट ने केवल वर्ष 2007 में। इस प्रकार, अपीलार्थियों के अधिकार वर्ष 2005 में स्पष्ट हो गए और यह घटना होनी चाहिए थी निचली अदालत के साथ–साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी ध्यान में रखा गया। गंडुरी कोटेश्वरम्मा बनाम में यह न्यायालय। चकिरी यनदी (2011) 9

एस. सी. सी. 788 ने माना कि सह–आंशिक संपत्ति में बेटियों के अधिकार

संशोधित धारा 6 के अनुसार केवल इसलिए नहीं खोए जाते हैं क्योंकि विभाजन मुकदमे में प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है। जहाँ तक विभाजन के मुकदमों का संबंध है, विभाजन केवल अंतिम डिक्री के पारित होने पर ही अंतिम हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो 2005 के संशोधन द्वारा कानून में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक डिक्री में संशोधन करना होगा।

27. तथ्यों पर, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जो संपत्ति विभाजन के मुकदमे का विषय थी, वह संयुक्त परिवार की थी और गुरुलिंगप्पा सावदी उक्त संयुक्त परिवार के प्रस्तावक थे

संपत्ति। हमारी उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, उक्त विभाजन वाद में, हिस्सा अपीलार्थियों को भी हस्तांतरित किया जाएगा। चूँकि सावदी की मृत्यु के बाद वे अपने पीछे दो बेटे, दो बेटियाँ और एक विधवा छोड़ गए, इसलिए दोनों अपीलार्थी उक्त संपत्ति में एक–पांचवें हिस्से के हकदार होंगे। वादी (प्रतिवादी 1) अरुण कुमार का पुत्र है।

(प्रतिवादी 1)। चूंकि, अरुण कुमार के पास पांचवें हिस्से का एक हिस्सा होगा, इसलिए इसे विभाजन पर पांच शेयरों में विभाजित किया जाएगा, यानी प्रतिवादी 1 के बीच।

अरुण कुमार, उनकी पत्नी प्रतिवादी 2, उनकी दो बेटियाँ प्रतिवादी 3 और 4 और बेटा/वादी (प्रतिवादी 1)। इस तरह, प्रत्यर्थी 1–वादी मामले में 1/25 वें हिस्से का हकदार होगा।

संपत्ति "। विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

78. दानम्मा में, यह उल्लेख करना उचित है कि गुरुलिंगप्पा, एक हिंदू संयुक्त परिवार के प्रस्तावक और जीवित बेटी के पिता

संशोधन अधिनियम, 2005 के लागू होने से पहले 2001 में सह-भागीदार की मृत्यु हो गई थी। बल, अपने पीछे दो बेटियाँ, बेटा और एक विधवा छोड़ गए। इस न्यायालय द्वारा बेटियों को समान अधिकार दिए गए थे। हम कुछ टिप्पणियों से सहमत हैं।

पैरा 23 और 25 से 27 (ऊपर) में किया गया है, लेकिन हम प्रकाश बनाम में निर्णय को मंजूरी देने वाले पहले वाले भाग से सहमत होने में असमर्थ हैं। फुलावती और वैधानिक विभाजन के प्रभाव के संबंध में चर्चा। वास्तव में, प्रकाश बनाम में विचार में भिन्नता है। एक जीवित सह-भागीदार की जीवित बेटी के पहलू के संबंध में फुलावती और दानम्मा। बाद के मामले में, एक जीवित सह-भागीदार की जीवित बेटी के प्रस्ताव पर विशेष रूप से विचार नहीं किया गया था। हालाँकि, पैरा 23 में दिए गए कारणों का प्रभाव बेटी को समान हिस्सा देकर तार्किक अंत तक किया गया था।

रेफरी में। विभाजन और वैधानिक कल्पना का प्रभाव

बेटी अब सह-पक्षीय डब्ल्यू. ई. एफ. 9.9.2005 के विभाजन का दावा करने की हकदार हो गई है, जो क़ानून द्वारा लाया गया एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक सह-भागीदार को स्थिति के विच्छेद की मांग करने का अधिकार प्राप्त है। खंड के तहत 6 (1) और 6 (2), एक बेटी के अधिकार एक बेटे के साथ परिपस्सु हैं। विभाजन की स्थिति में, बेटे और बेटियों के अलावा, सह-भागीदार की पत्नी भी समान हिस्से की हकदार होती है। ए की पत्नी का अधिकार

एक सह-सहभागी का हिस्सा निर्धारित किया जाता है, यह एक सह-सहभागी संपत्ति नहीं रह जाती है। संपत्ति में एक निश्चित हिस्सा लेने के बाद, एक सह-भागीदार वह उस हिस्से का मालिक बन जाता है, और इस तरह, वह उसी तरह से बिक्री या बंधक द्वारा उसे अलग कर सकता है जैसे वह अपनी अलग संपत्ति का निपटान कर सकता है। यह देखा गयाः

" 22. संपत्ति में अपने हित को निर्धारित करने के उद्देश्य से, यह आवश्यक नहीं था कि सह-भागीदारों के बीच सीमा-दर-सीमा विभाजन होना चाहिए। जब सह-पक्षीय संपत्ति के विभाजन का इरादा व्यक्त किया जाता है, तो प्रत्येक सह-पक्षकार का हिस्सा स्पष्ट और सुनिश्चित हो जाता है।

एक बार [2020] 10 एस. सी. आर. का हिस्सा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक सह–सहभागी निर्धारित किया जाता है, यह एक सह–सहभागी संपत्ति नहीं रह जाती है। इस तरह की घटना में पक्षों के पास संपत्ति "संयुक्त किरायेदारों" के रूप में नहीं होगी, बल्कि "सामान्य किरायेदारों" के रूप में होगी। अतः, एस. बी. आई. (1969) 2 एस. सी. सी. 33 में इस न्यायालय का निर्णय इन पर लागू नहीं होता है –

23. जहाँ एक सह–भागीदार संपत्ति में निश्चित हिस्सा लेता है, वह उस हिस्से का मालिक होता है और इस तरह वह उसे उसी तरह से बिक्री या बंधक द्वारा अलग कर सकता है जैसे वह अपने अलग हिस्से का निपटान कर सकता है। संपत्ति "।

81. यह कानून का तय प्रस्ताव है कि विभाजन के बिना, केवल अविभाजित हिस्से को बेचा जा सकता है, लेकिन विशिष्ट संपत्ति नहीं, न ही संयुक्त कब्जा।

इस तरह के अलगाव से बाधित हो सकता है। क्या दूसरे की सहमति सह–भागीदार बिक्री के लिए आवश्यक है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस स्कूल द्वारा

मिताक्षर कानून, पक्षकार शासित होते हैं, कहने के लिए, बनारस स्कूल में, दूसरों की सहमति के बिना संपत्ति की बिक्री पर प्रतिबंध है। सह–भागीदार। न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में सामान्य बनाया

अवलोकन लेकिन उस पहलू से संबंधित नहीं था जब विभाजन पूरा हुआ था, विभाजन के रूप में हस्तक्षेप करने वाली घटनाओं का प्रभाव और वैधानिक प्रावधानों का प्रभाव, जैसे कि, इसे प्रतिस्थापित धारा 6 के प्रावधानों और उसके तहत प्राप्त कानून के संचालन द्वारा अधिकार के विस्तार के रूप में एक प्राधिकरण नहीं कहा जा सकता है। सह–भागीदारों के शेयरों में जन्म और मृत्यु द्वारा सह–भागीदार में परिवर्तन हो सकता है जब तक कि अंतिम विभाजन नहीं किया जाता है। कानून के संचालन से सह–पक्ष के निकाय में वृद्धि होती है क्योंकि बेटियों को सह–पक्षकार घोषित किया गया है, उसी को पूरा प्रभाव देने की आवश्यकता है। उपरोक्त निर्णय को वर्तमान मामलों में शामिल प्रश्न के लिए एक प्राधिकरण नहीं कहा जा सकता है। 82. एलआर द्वारा मान सिंह (डी) में। वी. एल. आर. द्वारा राम कला (डी) , ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1542, सहभागीदारी में ब्याज के हस्तांतरण का प्रश्न

पत्नी, पुत्र और पुत्र को छोड़कर पुरुष हिंदू की मृत्यु होने पर संपत्ति का उदय हुआ।

तीन बेटियाँ, और उनके हिस्से का निर्धारण। यह देखा गया कि जब तक संयुक्त परिवार की स्थिति में व्यवधान नहीं आता है, तब तक निश्चित हिस्से का दावा निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता है और संयुक्त और अविभाजित संपत्ति में हिस्से का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। परिवार से खुद को अलग करने के इरादे की एक निश्चित और स्पष्ट घोषणा द्वारा संयुक्त परिवार की स्थिति को बाधित करने के सवाल पर भी विचार किया गया। वर्तमान मामले में सवाल यह है कि विभाजन कब नहीं हुआ है कि क्या मृतक सह–भागीदार के शेयरों के निर्धारण और उसके तहत इसके हस्तांतरण के संबंध में धारा 6 के परंतुक में निहित वैधानिक कल्पना विनीता शर्मा बनाम को बाधित करेगी।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

सह सहभागी। इसका जवाब नकारात्मक है। मान सिंह (ऊपर) में, यह

यह देखा गया कि पत्नी को पति की संपत्ति में बेटे के बराबर हिस्से का दावा करने का अधिकार है, और वह अपने पति से भी अलग से हिस्से का आनंद ले सकती हैः

" 12. ..... जब तक संयुक्त परिवार की स्थिति में व्यवधान नहीं आता है, तब तक न तो सह-भागीदार और न ही संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार अन्य उत्तराधिकारी निश्चित रूप से उस संपत्ति में सटीक हिस्से का दावा कर सकते हैं। एपोवियर एलियास सीतारमियर बनाम के मामले में। राम सुब्बा अयान और अन्य। , (1866) 11 एम. आई. ए. 75, लॉर्ड वेस्टबरी ने न्यायिक समिति (प्रिवी काउंसिल) की ओर से बोलते हुए कहा, 'हिंदू कानून में एक अविभाजित परिवार की सही धारणा के अनुसार, उस परिवार का कोई भी व्यक्तिगत सदस्य, जब तक कि वह अविभाजित रहता है, संयुक्त और अविभाजित संपत्ति के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि उसके पास, उस विशेष सदस्य के पास एक निश्चित संपत्ति है।

निश्चित हिस्सा '।

15. मुल्ला द्वारा हिंदू कानून के सिद्धांतों में, खंड। 1 (17 वां संस्करण) जहां तक पत्नी के अधिकार का संबंध है, यह कहा गया है कि एक पत्नी स्वयं विभाजन की मांग नहीं कर सकती है, लेकिन यदि उसके पति और उसके बेटों के बीच विभाजन होता है, तो वह (दक्षिण भारत को छोड़कर) एक बेटे के बराबर हिस्सा प्राप्त करने और अपने पति से भी अलग उस हिस्से को रखने और उसका आनंद लेने की हकदार है।

506) . "

83. गिरजा बाई बनाम। सदाशिव, ए. आई. आर. 1916 पी. सी. 104, कवाल नैन बनाम। प्रभुलाल, ए. आई. आर. 1917 पी. सी. 39 और रामलिंगा बनाम। नारायण, ए. आई. आर 1922

उस तारीख से जब मुकदमा दायर किया गया था, हालांकि एक दावा था मुकदमा दायर करके अलग होने का उसका अधिकार चाहे परिणामी निर्णय पारित किया गया हो या नहीं। हालाँकि, हम एक शर्त जोड़ते हैं कि यदि बाद में, कानून एक अधिकार प्रदान करता है, या ऐसी अन्य घटना होती है, तो प्रारंभिक डिक्री पारित करने के बाद भी इसके प्रभाव पर काम करना होगा।

84. केदार नाथ बनाम। रतन सिंह, (1910) 37 आई. ए. 161 और पलानी अम्मल बनाम। मुथुवेन्कटचल, ए. आई. आर. 1925 पी. सी. 49, यह देखा गया कि

यदि मुकदमा चलाने और डिक्री पारित करने से पहले मुकदमा वापस ले लिया जाता है, तो वादी ने अंततः अलगाव के लिए जाने का विकल्प नहीं चुना है। यह निर्धारित किया गया था कि मुकदमा दायर करके परिवार की संयुक्त स्थिति का कोई अलगाव नहीं था।

85. जोआला प्रसाद सिंह बनाम। चंदरजेट कुएर, ए. आई. आर. 1938 पैट

278 , यह अभिनिर्धारित किया गया कि मुकदमा दायर करना मजबूत साक्ष्य का एक टुकड़ा है, लेकिन अलग होने के इरादे का निर्णायक सबूत नहीं है। हालाँकि, हमारी राय में, अलग होने के इरादे को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अधिकारों के परिवर्तन के साथ भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, जिसे पूर्ण न्याय करने के लिए पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए। 86. चोकलिंगम बनाम। मुथुकरुप्पन, ए. आई. आर. 1938–ए. आई. आर. 1938–ए. आई. आर. 1938–

किया गया था कि यदि विभाजन के लिए एक प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है, तो यह विनीता शर्मा बनाम राशि नहीं होगी।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

विभाजन। क्योंकि, अंतिम डिक्री लंबित होने तक, मध्यवर्ती घटनाओं के कारण शेयर स्वयं भिन्न होने के लिए उत्तरदायी हैं, और प्रारंभिक डिक्री किसी भी अपरिवर्तनीय स्थिति को नहीं लाती है। विभाजन की अवधारणा जो विधायिका के दिमाग में थी, उसे संयुक्त परिवार की स्थिति के केवल विच्छेद के साथ नहीं जोड़ा जा सकता था, जिसे परिवार के किसी सदस्य द्वारा ऐसा करने की मात्र इच्छा की अभिव्यक्ति से प्रभावित किया जा सकता था। धारा 29ए के प्रावधान के लाभ से उन महिलाओं को वंचित नहीं किया जा सकता था जिनकी बेटियां परिवार में बेटों के साथ समान रूप से हिस्सेदारी लेने की हकदार थीं। एस. साई रेड्डी (ऊपर) में, यह आयोजित किया गया थाः

" 7. हमारे विचार के लिए जो प्रश्न आता है वह यह है कि क्या प्रारंभिक डिक्री का प्रभाव उत्तरदाताओं को संशोधन के लाभों से 2 से 5 तक वंचित करने का है। विद्वान वकील ने अपने इस तर्क का समर्थन करने के लिए धारा 29–ए के खंड (iv) पर भरोसा रखा कि यह करता है। धारा के खंड (ii) में प्रावधान है कि एक बेटी को बेटे की तरह उसी तरह हिस्सा आवंटित किया जाएगा जैसे उसके साथ किया जाता है। संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन पर पुत्र होना। हालाँकि, विधायिका इस बात से अवगत थी कि संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन से पहले, कुछ परिवारों में विभाजन पहले ही हो चुके होंगे और संपत्तियों के निपटान के संबंध में व्यवस्था की गई होगी और विवाह के खर्च आदि किए गए होंगे। इसलिए विधायिका तय किए गए पदों को अस्थिर नहीं करना चाहती थी। इसलिए, इसने खंड (iv) को अधिनियमित किया जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि खंड (ii) विभाजन से पहले विवाहित बेटी या विभाजन पर लागू नहीं होगा जो पहले ही प्रभावी हो चुका था।

संशोधन अधिनियम का प्रारंभ। इस प्रकार यदि पारिवारिक संपत्ति के विभाजन से पहले किसी बेटी की शादी हुई थी, तो वह संपत्ति में किसी भी हिस्से की हकदार नहीं थी। इसी तरह, यदि विभाजन 5 सितंबर, 1985 से पहले किया गया था, जिस तारीख को संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, तो बेटी भले ही

अविवाहितों को पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था।

जब विभाजन के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है, तो परिवार के सदस्यों के शेयरों का निर्धारण करने के लिए एक प्रारंभिक आदेश पारित किया जाता है। इसके बाद अंतिम आदेश में विशिष्ट संपत्तियों का आवंटन किया जाता है और अचल संपत्तियों के विभाजन का निर्देश दिया जाता है। सीमाएँ। जब तक अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है और शेयरों के आवंटनकर्ताओं को संबंधित संपत्ति के कब्जे में नहीं रखा जाता

है, तब तक विभाजन पूरा नहीं होता है। शेयरों को निर्धारित करने वाला प्रारंभिक आदेश अंतिम विभाजन नहीं लाता है। क्योंकि, अंतिम डिक्री लंबित होने तक मध्यवर्ती घटनाओं के कारण शेयर स्वयं भिन्न होने के लिए उत्तरदायी हैं। तत्काल मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि केवल एक प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी और अंतिम डिक्री पारित होने से पहले संशोधन अधिनियम लागू हुआ जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 29–ए का खंड (ii) लागू हुआ। यह मध्यवर्ती घटना जिसने शेयर दिए

उत्तरदाता 2 से 5 का प्रभाव किसी भी पर्यवेक्षी विकास की तरह पक्षों के अलग–अलग शेयरों पर पड़ा। चूँकि कानून फायदेमंद है

और महिलाओं को लाभान्वित करने के घोषित उद्देश्य के साथ क़ानून की पुस्तक पर रखा जाता है, जो अपने सभी स्तरों में समाज का एक कमजोर वर्ग है, इसे एक उदार प्रभाव देना आवश्यक है। इस कारण से भी, हम विभाजन की उस अवधारणा की तुलना नहीं कर सकते हैं जो वर्तमान मामले में विधायिका के दिमाग में है, केवल संयुक्त परिवार की स्थिति के विच्छेद के साथ जो परिवार के किसी सदस्य द्वारा ऐसा करने की मात्र इच्छा की अभिव्यक्ति से प्रभावित हो सकता है। वर्तमान मामले में विधायिका के दिमाग में जो विभाजन है, वह निस्संदेह एक विभाजन है जो हर तरह से पूरा हुआ है और जिसने एक अपरिवर्तनीय स्थिति पैदा की है। एक प्रारंभिक डिक्री जो केवल उन शेयरों की घोषणा करती है जो हैं स्वयं परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होने से कोई अपरिवर्तनीय स्थिति नहीं आती है। इसलिए, हमारा विचार है कि जब तक संपत्ति का विभाजन सीमा द्वारा नहीं किया जाता है, तब तक बेटियों को अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी भी अन्य दृष्टिकोण से निष्पक्ष लिंग के एक बड़े वर्ग को संशोधन द्वारा प्रदान किए गए लाभों से वंचित करने की संभावना है। नकली पारिवारिक बस्तियाँ,

मौखिक विभाजन की बात न करने के लिए विभाजन के उपकरण सामने आएंगे और महिलाओं के एक बड़े वर्ग को इसके लाभों से वंचित करने वाले कानून के लाभकारी प्रभाव को रद्द कर देंगे।

विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

8. इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि जब से

धारा 29–ए के खंड (iv) को परिच्छेद और सीमाओं द्वारा विभाजित किया गया है। वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं किया गया था और प्रतिवादी–बेटियाँ

वे पारिवारिक संपत्ति में अपने हिस्से के हकदार थे।

(जोर दिया गया)

91. प्रेमा वी. नानजे गौड़ा, ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2077

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में कर्नाटक राज्य द्वारा किए गए संशोधन द्वारा धारा 6 ए पर विचार किया गया। विभाजन के मुकदमे में बेटी को सह–संपत्ति में समान अधिकार दिए गए थे। एक प्रारंभिक आदेश पारित किया गया था। अधिनियम में संशोधन अंतिम डिक्री कार्यवाही के दौरान किया गया था। यह माना गया कि

अविवाहित बेटी के खिलाफ प्रचलित भेदभाव को हटा दिया गया था। अविवाहित बेटियों को सह-स्वामित्व वाली संपत्ति में समान अधिकार थे। संशोधन का प्रभाव यह था कि अविवाहित बेटी कर्नाटक में डाली गई धारा 6ए के संदर्भ में संपत्ति में समान हिस्से का दावा कर सकती थी। प्रेमा (ऊपर) में, न्यायालय ने राय दीः

" 11. ..... आर. गुरुबसवैया बनाम। रुमाले करीबसप्पा और अन्य,

राजाराम तिवारी, ए. आई. आर. 1957 बॉम्बे 59 और जदुनाथ रॉयंद अन्य वी। परमेश्वर मलिक और अन्य, ए. आई. आर 1940 पी. सी. 11,

और अभिनिर्धारित किया कि यदि किसी विभाजन में प्रारंभिक डिक्री पारित करने के बाद

या पक्षों के शेयरों या उनके अधिकारों को कम कर दिया गया है वैधानिक संशोधन द्वारा परिवर्तित, न्यायालय निर्णय लेने के लिए कर्तव्य-बद्ध है

मामला और परिवर्तित को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित करें परिदृश्य "।

" 14. हम यह जोड़ सकते हैं कि पारित प्रारंभिक आदेश के आधार पर

निचली अदालत द्वारा, जिसकी निचली अपील द्वारा पुष्टि की गई थी

न्यायालय और उच्च न्यायालय, उसमें तय किए गए मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

चरणों में निर्णय लिया जाता है, इसे पूरी तरह से माना जा सकता है और पूरी तरह से निर्णय तभी लिया जाता है जब अंतिम आदेश पारित किया जाता है। अगर इसमें

इस बीच विभाजन मुकदमे के किसी भी पक्ष की मृत्यु हो जाती है, फिर उसका हिस्सा

जीवित पक्षों को आवंटित किया जाना आवश्यक है और यह हो सकता है अंतिम डिक्री कार्यवाही में किया गया। इसी तरह, यदि शासन करने वाला कानून

अंतिम डिक्री [2020] 10 एस. सी. आर. के समापन से पहले पक्षों को संशोधित किया जाता है।

कार्यवाही, इस तरह के संशोधन से लाभान्वित पक्ष एक बना सकता है

न्यायालय से संशोधन का संज्ञान लेने का अनुरोध करना और उसी को प्रभाव दें। यदि मुकदमे के पक्षकारों के अधिकार

अन्य कारणों से परिवर्तन, न्यायालय ने अंतिम आदेश के साथ जब्त कर लिया

कार्यवाही न केवल हकदार है बल्कि इसका ध्यान रखना कर्तव्य–बद्ध है

इस तरह का परिवर्तन करें और उचित आदेश पारित करें।

(जोर दिया गया)

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि किसी विभाजन में प्रारंभिक डिक्री पारित होने के बाद

लेकिन अंतिम डिक्री के पारित होने से पहले, पक्षों के शेयरों का विस्तार या ह्रास किया गया है या वैधानिक संशोधन द्वारा उनके अधिकारों में परिवर्तन किया गया है; न्यायालय इस मामले का निर्णय करने और बदले हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। प्रेमा (ऊपर) में, न्यायालय ने आगे राय दीः

" 20. हमारे विचार में, उपरोक्त तीन निर्णयों में से कोई भी नहीं हो सकता है

कानून के एक प्रस्ताव को निर्धारित करने के रूप में पढ़ें कि एक विभाजन मुकदमे में,

प्रारंभिक डिक्री को अंतिम डिक्री कार्यवाही में बदला नहीं जा सकता है।

पक्षकारों को शासित करने वाले कानून के संशोधन के बावजूद जिसके द्वारा

अविवाहित बेटी के साथ किया जाने वाला भेदभाव हटा दिया गया और क़ानून को अनुच्छेद 14 और 15 के अनुरूप लाया गया था।

संविधान से। हमारा आगे यह विचार है कि अनुपात फूलचंद बनाम। गोपाल लाल, (ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1470) (ऊपर) और एस. साई

रेड्डी बनाम। एस. नारायण रेड्डी, (1991 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 488) (ऊपर) इस मामले और निचली अदालत और उच्च न्यायालय पर सीधा असर

द्वारा दायर आवेदन को खारिज करके गंभीर त्रुटि की

वाद संपत्ति में समान हिस्से के अनुदान के लिए अपीलार्थी 1994 के कर्नाटक अधिनियम No.23 की धारा 6A "।

यह निर्धारित किया गया था कि कानून के परिवर्तन से बेटी का हिस्सा

प्रारंभिक डिक्री पारित करने के बाद भी इसका विस्तार किया जा सकता है, इसका प्रभाव अंतिम डिक्री कार्यवाही में दिया जा सकता है।

92. गंडुरी कोटेश्वरम्मा और अन्न में। वी. चकिरी यनदी और

एन. आर. , (ऊपर), इस न्यायालय ने 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में किए गए संशोधन पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि सह–संपत्ति में एक बेटी का अधिकार प्रारंभिक डिक्री को दरकिनार करते हुए नहीं खोया है।

निर्धारित तिथि अर्थात 20 दिसंबर, 2004 से पहले विभाजन। एक विभाजन मुकदमा एक प्रारंभिक डिक्री को दरकिनार करते हुए निपटाया नहीं जाता है। अन्य बातों के साथ-साथ, एस. साई रेड्डी (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बेटी के अधिकारों को पूरी तरह से मान्यता देने के लिए प्रारंभिक आदेश में संशोधन किया जा सकता हैः

विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

(2) न्यायालय की डिक्री द्वारा। वर्तमान मामले में, यह माना जाता है कि विभाजन 20-12-2004 से पहले विभाजन के पंजीकृत साधन या न्यायालय के डिक्री द्वारा प्रभावित नहीं किया गया है। द्वारा दायर विभाजन के मुकदमे में एकमात्र चरण जो पहुंच गया है प्रत्यर्थी 1 प्रारंभिक डिक्री दिनांक 19-3-1999 के माध्यम से शेयरों का निर्धारण है, जिसे 27-9-2003 पर संशोधित किया गया और आयुक्त की रिपोर्ट की प्राप्ति हुई।

17. एक प्रारंभिक डिक्री पक्षों के अधिकारों और हितों को निर्धारित करती है। विभाजन के मुकदमे का निपटारा प्रारंभिक डिक्री पारित करके नहीं किया जाता है। यह एक अंतिम आदेश द्वारा है कि संयुक्त हिंदू परिवार की अचल संपत्ति को सीमा और सीमा द्वारा विभाजित किया जाता है। प्रारंभिक डिक्री के पारित होने के बाद, अंतिम डिक्री पारित होने तक मुकदमा जारी रहता है। यदि मध्यावधि में अर्थात प्रारंभिक डिक्री के पारित होने के बाद और अंतिम डिक्री से पहले पारित होने पर, घटनाएँ और पर्यवेक्षण परिस्थितियाँ शेयरों में परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती हैं, न्यायालय के लिए प्रारंभिक डिक्री में संशोधन करने या बदली हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए पक्षों के अधिकारों और हितों को पुनर्निर्धारित करने वाली एक और प्रारंभिक डिक्री पारित करने में कोई बाधा नहीं है। फूलचंद और अन्न मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से हम अपने विचार में मजबूत हुए हैं। वी. गोपाल लाल, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1470, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहाः

" हमारी राय है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक से अधिक को पारित करने से रोकता हो। प्रारंभिक डिक्री यदि परिस्थितियाँ इसे उचित ठहराती हैं और विशेष रूप से विभाजन के मुकदमों में ऐसा करना आवश्यक हो सकता है जब

प्रारंभिक डिक्री के बाद कुछ पक्ष मर जाते हैं और इस तरह अन्य पक्षों के शेयरों में वृद्धि होती है। ..... इसलिए जहाँ तक विभाजन के मुकदमों का संबंध है, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई घटना प्रारंभिक डिक्री के बाद घटित होती है जिसके लिए आवश्यक है - शेयरों में परिवर्तन, न्यायालय ऐसा कर सकता है और करना चाहिए;. ऐसी परिस्थितियों में दूसरी प्रारंभिक डिक्री पारित करने के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता में कोई निषेध नहीं है और हम यह नहीं देखते हैं कि हमें ऐसी परिस्थितियों में दूसरी प्रारंभिक डिक्री को केवल इस आधार पर खारिज क्यों करना चाहिए कि सिविल प्रक्रिया संहिता ऐसी संभावना पर विचार नहीं करती है।

..... इसके लिए [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट यह नहीं भूलना चाहिए कि अंतिम डिक्री पारित होने तक मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है और न्यायालय के पास प्रारंभिक डिक्री के बाद उत्पन्न होने वाले सभी विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, विशेष रूप से कुछ पक्षों की मृत्यु के कारण विभाजन के मुकदमे में। ..... विभाजन मुकदमों में दूसरी प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है जिसके द्वारा पहले से पारित प्रारंभिक डिक्री में आवंटित शेयरों में संशोधन किया जा सकता है और यदि उस ओर से जीवित पक्षों के बीच विवाद है और उस विवाद का निर्णय लिया जाता है तो निर्णय राशि

एक आदेश के लिए "।

19. उपरोक्त कानूनी स्थिति वर्तमान मामले में पूरी तरह से लागू होती है। यह हमें आश्चर्यचकित करता है कि उच्च न्यायालय को फूलचंद (ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1470) और एस. साई रेड्डी (1991 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 488) में इस न्यायालय के फैसलों से अवगत नहीं कराया गया था। उच्च न्यायालय ने इस मामले पर निम्नलिखित रूप में विचार कियाः

XXX "।

20. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ठीक से सराहना नहीं करने में गलती की थी

सी. पी. सी. के आदेश XX नियम 18 का दायरा। अचल संपत्ति के विभाजन के मुकदमे में, यदि ऐसी संपत्ति का आकलन सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए नहीं किया जाता है, तो आम तौर पर पक्षों के हिस्से की घोषणा करने वाली प्रारंभिक डिक्री पारित करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद न्यायालय अंतिम आदेश तैयार करने के लिए आगे बढ़ेगा। फूलचंद के मामले में, इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति व्यक्त की है कि सी. पी. सी. एक से अधिक के लिए भी कोई बाधा पैदा नहीं करता है। यदि प्रारंभिक डिक्री पारित होने के बाद प्रारंभिक डिक्री में घोषित शेयरों के पुनः समायोजन की आवश्यकता होती है तो प्रारंभिक डिक्री। अदालत के पास हमेशा प्रारंभिक डिक्री को संशोधित करने या एक और प्रारंभिक डिक्री पारित करने की शक्ति होती है यदि बदली हुई परिस्थितियों में स्थिति की मांग होती है। विभाजन के लिए मुकदमा प्रारंभिक डिक्री के पारित होने के बाद जारी रहता है और मुकदमे की कार्यवाही अंतिम डिक्री के पारित होने पर ही समाप्त हो जाती है। यह कानून का सही कथन नहीं है कि एक बार प्रारंभिक डिक्री पारित हो जाने के बाद, यह सक्षम नहीं है

21. सी. पी. सी. की धारा 97 में यह प्रावधान है कि जहां कोई भी पक्ष संहिता के प्रारंभ के बाद पारित प्रारंभिक डिक्री से व्यथित होकर ऐसी डिक्री के खिलाफ अपील नहीं करता है, तो वह विनीता शर्मा बनाम होगा।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

किसी भी अपील में इसकी शुद्धता पर विवाद करने से रोक दिया गया है जो

अंतिम डिक्री से वरीयता किसी भी बाधा को पैदा नहीं करती है

या संशोधन, संशोधन या परिवर्तन करने की न्यायालय की शक्ति में बाधा

प्रारंभिक डिक्री या एक अन्य प्रारंभिक डिक्री पारित करें यदि

बदलती परिस्थितियों की आवश्यकता होती है।

22. यह सच है कि अंतिम आदेश हमेशा अनुरूप होना आवश्यक है।

प्रारंभिक डिक्री के साथ लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ए

प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री पारित होने से पहले, नहीं हो सकती है

की स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा परिवर्तित या संशोधित या संशोधित किया गया

परिवर्तित या अधिशासी परिस्थितियाँ भले ही कोई अपील नहीं की गई हो

इस तरह की प्रारंभिक डिक्री से वरीयता दी गई। "

(जोर दिया गया)

विभाजन से संबंधित विधायी प्रावधान का प्रभाव था

आदेश दिया, और यह माना गया कि एक प्रारंभिक डिक्री केवल घोषणा करती है खरगोश और कौन सा कानून बेटी को समान अधिकार प्रदान करता है कि

पहचाने जाने के लिए।

93. विभाजन की अवधारणा और इसके प्रभाव पर इसके द्वारा विचार किया गया था

शुभ करण बुबना उपनाम शुभ करण प्रसाद बुबना बनाम। सीता एन बुबना और ओआरएस। , (2009) 9 एस. सी. सी. 689 इस प्रकार हैः

" मुद्दा यह है

5. " विभाजन "पूर्व–विद्यमान अधिकारों का पुनर्वितरण या समायोजन है,

सह–मालिकों/सह–भागीदारों के बीच, जिसके परिणामस्वरूप भूमि का विभाजन होता है या

6. संपत्ति का विभाजन केवल उन लोगों के बीच हो सकता है जिनके पास उसमें हिस्सेदारी या ब्याज। एक व्यक्ति जिसका इसमें कोई हिस्सा नहीं है।

संपत्ति स्पष्ट रूप से विभाजन का पक्ष नहीं हो सकती है। का पृथक्करण

शेयर "विभाजन" की एक प्रजाति है। जब सभी सह–मालिकों को मिलता है

अलग, यह एक विभाजन है। शेयर (ओं) का पृथक्करण एक विभाजन को संदर्भित करता है

जहाँ कई सह–मालिकों में से केवल एक या केवल कुछ ही हैं /

सह–भागीदार अलग हो जाते हैं, और अन्य संयुक्त या संयुक्त बने रहते हैं।

द्वारा विभाजन के बिना शेष संपत्ति को संयुक्त रूप से रखना जारी रखें

मीट्स और सीमाएँ। उदाहरण के लिए, जहाँ चार भाइयों के पास एक

संपत्ति इसे आपस में उल्का और सीमा से विभाजित करती है, यह एक [2020] 10 एस. सी. आर. है।

विभाजन। लेकिन अगर केवल एक भाई अपने हिस्से को अलग करना चाहता है

और अन्य तीन भाई संयुक्त बने हुए हैं, केवल एक है

एक भाई के हिस्से का विभाजन।

***

18. उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं –

विभाजन सूट के बारे में:

18.3. चूंकि अधिकारों या शेयरों की घोषणा केवल पहला चरण है

विभाजन के लिए एक मुकदमे में, एक प्रारंभिक डिक्री का प्रभाव नहीं पड़ता है सूट का निपटान करना। मुकदमा तब तक लंबित है जब तक

विभाजन, अर्थात, उल्का और सीमा द्वारा विभाजन इसके द्वारा होता है

एक अंतिम आदेश पारित करना। अदालत से लेने का अनुरोध करने वाला एक आवेदन

एक विभाजन को प्रभावित करने वाली अंतिम डिक्री तैयार करने के लिए आवश्यक कदम

प्रारंभिक डिक्री की शर्तें, न तो एक आवेदन है

निष्पादन (सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 के तहत आने वाला) और न ही एक नई राहत की मांग करने वाला आवेदन (संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत आता है)

सीमा अधिनियम)। यह केवल न्यायालय को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए एक अनुस्मारक है एक आयुक्त नियुक्त करें, एक रिपोर्ट प्राप्त करें, और एक अंतिम आदेश जारी करें।

लंबित वाद ताकि वाद को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाए।

20.दूसरी ओर, एक विभाजन सूट में प्रारंभिक फरमान

केवल मुकदमे के एक हिस्से का निर्णय करें और इसलिए इसके लिए एक आवेदन

अंतिम डिक्री पारित करना केवल एक लंबित मुकदमे में एक आवेदन है,

आगे की प्रगति की तलाश में। विभाजन सूट में, एक हो सकता है

प्रारंभिक डिक्री के बाद एक अंतिम डिक्री, या एक हो सकता है

डिक्री जो प्रारंभिक डिक्री और अंतिम का एक संयोजन है

डिक्री या केवल एक ही डिक्री हो सकती है जिसमें कुछ और आगे हो सकते हैं।

न्यायालय द्वारा उठाए जाने वाले कदम। वास्तव में, कई अनुप्रयोगों के लिए

विभाजन मुकदमे में अंतिम डिक्री की अनुमति है। एक विभाजन में एक फरमान

मुकदमा सभी सह-मालिकों के लाभ के लिए है और इसलिए, यह है कभी-कभी कहा जाता है कि वास्तव में कोई निर्णय नहीं है-एक विभाजन में देनदार

आदेश "।

(जोर दिया गया)

94. लक्ष्मी नारायण गुइन एंड ओआरएस में। वी. निरंजन मोदक, (1985)

सी 270, यह निर्धारित किया गया था कि विचाराधीनता के दौरान कानून में परिवर्तन

ओ. पी. एल. को इस प्रकार ध्यान में रखा जाना चाहिएः

" 9. कि अपील के लंबित रहने के दौरान कानून में परिवर्तन इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और यह विनीता शर्मा बनाम के अधिकारों को नियंत्रित करेगा।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

पक्षकारों को इस न्यायालय द्वारा राम सरूप बनाम में निर्धारित किया गया था। मुंशी,

ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 553 जिसका अनुसरण इस न्यायालय ने मुला बनाम में किया था।

गोधू, (1969) 2 एस. सी. सी. 653। हम यह बता सकते हैं कि दयावती में

वी. इंद्रजीत, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1423 इस न्यायालय ने कहाः

" यदि नया कानून भाषा में बोलता है, जो स्पष्ट रूप से या

स्पष्ट इरादा, यहां तक कि लंबित मामलों को भी लेते हुए, विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपील न्यायालय को इस प्रकार व्यक्त किए गए इरादे को ध्यान में रखना चाहिए, और अपील न्यायालय ऐसे कानून को प्रभावी बना सकता है। प्रथम दृष्टांत न्यायालय के निर्णय के बाद भी।

अमरजीत में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया जा सकता है।

कौर बनाम। प्रीतम सिंह, (1974) 2 एस. सी. सी. 363 जहाँ प्रभाव था अपील के लंबित रहने के दौरान कानून में परिवर्तन के लिए दिया गया,

क्रिस्टनामा के रूप में बहुत पहले तैयार किए गए प्रस्ताव पर भरोसा करना

चरियार वी। मंगम्मल, आई. एल. आर. (1902) 26 मैड 91 (एफ. बी.)

न्यायमूर्ति भाष्यम अयंगर ने कहा कि किसी अपील की सुनवाई, इस देश के प्रक्रियात्मक कानून के तहत, मुकदमे की पुनः सुनवाई की प्रकृति में थी। अमरजीत कौर, (1974) 2 एस. सी. सी. 363 में इस न्यायालय ने निर्दिष्ट किया

लच्मेश्वर प्रसाद शुकुल बनाम। केसर लाल

चौधरी, ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 5 जिसमें संघीय अदालत ने फैसला सुनाया था।

कि एक बार अदालत द्वारा पारित डिक्री के खिलाफ अपील की गई थी

मामले के खिलाफ फिर से विचाराधीन हो गया और उसके बाद

अपीलीय न्यायालय ने पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया, सिवाय इसके कि कुछ उद्देश्यों के लिए, उदाहरण के लिए, निष्पादन, डिक्री को माना गया था।

अंतिम के रूप में और नीचे के न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र बनाए रखा।

95. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, कलकत्ता बनाम। अभिजीत टी कंपनी प्रा.

& ओआरएस। , ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2957, के दौरान कानून में परिवर्तन के संबंध में

कार्यवाहियों की स्थायीता, यह देखा गयाः

उसी के लिए। (जी. पी. सिंह को देखिएः क़ानूनों की व्याख्या, 7 वीं संस्करण। , पी। 406) . यदि, जब कोई मुकदमा लंबित है, 1993 के अधिनियम की तरह एक कानून पारित किया जाता है कि सिविल कोर्ट मुकदमे का फैसला नहीं करेगा, तो सिविल कोर्ट है कानून का न्यायिक नोटिस लेने और यह अभिनिर्धारित करने के लिए बाध्य है कि मुकदमा

उसकी रिमांड के बाद भी-उसका निपटारा नहीं किया जा सकता है।

96. गुरुपद खंडप्पा मगदुम (ऊपर) में, का प्रश्न

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 का पहला संशोधन [2020] 10 एस. सी. आर. आया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सह-आंशिक संपत्ति में विधवा के हित के निर्धारण के संबंध में विचार के लिए। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक विधवा का हिस्सा

सह-आंशिक संपत्ति का निर्धारण उस हिस्से को जोड़कर किया जाना चाहिए जिसमें

वह अपने पति के जीवनकाल के दौरान एक काल्पनिक विभाजन की हकदार है और वह हिस्सा जो उसने अपने पति की मृत्यु पर उसके हित में प्राप्त किया होगा। पहला कदम सह-आंशिक संपत्ति में मृतक के हिस्से का पता लगाना है जिसे अंततः तय किया जाएगा और यह माना जाएगा कि

संपत्ति में वह हिस्सा होना जो मृतक को आवंटित किया जाना चाहिए था। इसलिए यह मान लेना आवश्यक है कि वास्तव में मृतक और उसके सह-भागीदारों के बीच उनकी मृत्यु से ठीक पहले एक विभाजन हुआ था। यह धारणा उत्तराधिकारियों के अंतिम हिस्से के निर्धारण की पूरी प्रक्रिया में व्याप्त होनी चाहिए। इन सभी

परिणाम को एक तार्किक अंत तक ले जाना चाहिए। यह राय दी गई थीः

" 13. एक की संपत्ति में उत्तराधिकारियों के हिस्से का पता लगाने के लिए

मृत सह-भागीदार के लिए चीजों की प्रकृति में और पहले कदम के रूप में, सह-आंशिक संपत्ति में मृतक के हिस्से का पता लगाना आवश्यक है। क्योंकि, अकेले ऐसा करने से कोई भी ऐसा कर सकता है

दावेदार के हिस्से की सीमा निर्धारित करें। धारा 6 का स्पष्टीकरण 1 सरल समीचीन, निस्संदेह काल्पनिक का सहारा लेता है, कि एक हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार का हित होगा

माना जाता है कि "संपत्ति में वह हिस्सा जो उसे आवंटित किया जाता यदि उस संपत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ होता। इसलिए यह मान लेना आवश्यक है कि वास्तव में मृतक और उसके सह-भागीदारों के बीच उनकी मृत्यु से ठीक पहले एक विभाजन हुआ था। यह धारणा, एक बार की गई, अपरिवर्तनीय है। दूसरे शब्दों में,

सह-आंशिक संपत्ति में मृतक के हिस्से का पता लगाने के उद्देश्य से एक बार धारणा की गई है, कोई भी उस धारणा पर वापस नहीं जा सकता है और इसके संदर्भ के बिना उत्तराधिकारियों के हिस्से का पता नहीं लगा सकता है। यह धारणा कि कानून के अनुसार विभाजन वास्तव में हुआ था, सभी चरणों में उत्तराधिकारियों के अंतिम हिस्से का पता लगाने की पूरी प्रक्रिया में व्याप्त होनी चाहिए। के हिस्से का पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए प्रारंभिक चरण में धारणा बनाना मृत और फिर उत्तराधिकारियों के हिस्से की मात्रा की गणना के लिए इसे

अनदेखा करना वास्तव में किसी की कल्पना को चौंका देने के लिए है। वास्तविक विभाजन से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामों को तार्किक रूप से निर्धारित करना होगा, जिसका अर्थ है कि उत्तराधिकारियों के हिस्से का निर्धारण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वे विनीता शर्मा v से अलग हो गए थे।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

एक-दूसरे को और मृतक के जीवनकाल के दौरान हुए विभाजन में एक हिस्सा प्राप्त किया था। इस हिस्से का आवंटन केवल किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक प्रक्रियात्मक कदम नहीं है। इसे एक ठोस वास्तविकता के रूप में माना और स्वीकार किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे याद नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक वास्तविक विभाजन में एक सह-भागीदार को आवंटित हिस्से को आम तौर पर याद नहीं किया जा सकता है। इस पद का अपरिहार्य परिणाम यह है कि उत्तराधिकारी को उस ब्याज में अपना हिस्सा मिलेगा जो

मृतक के पास अपनी मृत्यु के समय सह-आंशिक संपत्ति थी, उस हिस्से के अलावा जो उसे प्राप्त हुआ था या जिसे काल्पनिक विभाजन में प्राप्त माना जाना चाहिए।

उपरोक्त मामले में शामिल एकमात्र प्रश्न धारा 6 के स्पष्टीकरण और विधवा के निर्णय के संबंध में था।

शेयर करें। उस मामले में, सवाल किसी कानूनी प्रावधान या अन्यथा द्वारा सह-पक्षीय निकाय में उतार-चढ़ाव का नहीं था। सब कुछ स्थिर रहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृतक के हिस्से का हिसाब उसके अनुसार किया जाना चाहिए। विभाजन की वैधानिक कल्पना बनाई गई। हालांकि, कानूनी प्रावधान द्वारा या अन्यथा सह-भागीदारों के निकाय के परिवर्तन के मामले में, जब तक कि वास्तविक विभाजन को अंतिम रूप से तैयार नहीं किया जाता है, तब तक अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए क्योंकि वे अंतिम डिक्री के समय मौजूद हैं। यह केवल मृतक सह-भागीदार का हिस्सा है, और उसके उत्तराधिकारियों का पता धारा 6 के स्पष्टीकरण के तहत लगाया जाता है, न कि अन्य सह-भागीदारों का, जो बदलते रहते हैं।

जन्म और मृत्यु के साथ।

97. अनार देवी और ओआरएस में। वी. परमेश्वरी देवी और अन्य (ऊपर), गुरुपद (ऊपर) में निर्णय पर विचार किया गया था, और यह माना गया था कि

जब कोई सह-भागीदार अधिनियम की अनुसूची की प्रथम श्रेणी में निर्दिष्ट किसी महिला रिश्तेदार या ऐसी महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करने वाले पुरुष रिश्तेदार को छोड़कर मर जाता है, तो उसका अविभाजित हित उत्तरजीविता द्वारा नहीं, बल्कि निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा उसके उत्तराधिकारी को इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता हैः

" 8. विद्वान लेखक के अनुसार, पृष्ठ 253 पर, देने के उद्देश्य से मृतक सह-भागीदार का अविभाजित ब्याज जैसा कि पहले ही बताया गया है, परंतुक में निर्धारित नियम के प्रभाव का पता उसकी मृत्यु की तारीख के रूप में एक

काल्पनिक विभाजन के आधार पर लगाया जाना है। उस हिस्से का निर्धारण उन व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर होना चाहिए जो इसके हकदार होते।

यदि वास्तव में उनकी मृत्यु से ठीक पहले कोई विभाजन हुआ था और ऐसे व्यक्ति को संयुक्त परिवार के कानून और [2020] 10 एस. सी. आर. के अनुसार पता लगाना होगा, तो सह-आंशिक संपत्ति में एक हिस्से के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विभाजन। इसलिए, सह-भागीदार की मृत्यु के समय लागू विषय पर हिंदू कानून के नियमों को नियंत्रित करना चाहिए। उन व्यक्तियों के निर्धारण का प्रश्न जो काल्पनिक विभाजन पर हिस्से के हकदार होते।

11. इस प्रकार हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 6 के अनुसार जब किसी सह-भागीदार की मृत्यु हो जाती है तो उसमें निर्दिष्ट किसी महिला रिश्तेदार को छोड़ दिया जाता है।

अधिनियम की अनुसूची का प्रथम वर्ग या उस वर्ग में निर्दिष्ट पुरुष रिश्तेदार जो ऐसी महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करता है, मिताक्षर सह-पक्षीय संपत्ति में उसका अविभाजित हित जीवित सह-भागीदार पर, उत्तरजीविता द्वारा नहीं, बल्कि निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा उसके उत्तराधिकारियों पर हस्तांतरित होगा। अधिनियम की धारा 6 का स्पष्टीकरण 1 एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करता है जिसके तहत मृतक सह-भागीदार के अविभाजित हित का पता लगाया जा सकता है और अर्थात ब्याज हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार का हिस्सा उस संपत्ति का हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया गया होता यदि उसकी मृत्यु से ठीक पहले संपत्ति का विभाजन हुआ होता, चाहे वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं। इसका मतलब है कि किसी मृत सह-भागीदार के अविभाजित हित का पता लगाने के उद्देश्यों के लिए, उसकी मृत्यु से तुरंत पहले एक काल्पनिक विभाजन माना जाना चाहिए और यह उत्तराधिकार द्वारा उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जाएगा जिसमें स्पष्ट रूप से जीवित सह-भागीदार शामिल होगा, जो अविभाजित हित के हस्तांतरण के अलावा होगा।

उत्तराधिकार द्वारा मृतक का, सह-आंशिक संपत्ति में अपने अविभाजित हित का दावा करने का भी हकदार होगा जो उसे काल्पनिक विभाजन में मिल सकता था।

अनार देवी (ऊपर) में, एक द्वारा अधिकार के विस्तार का प्रश्न

सह-भागीदार के हिस्से में कानूनी प्रावधान या अन्यथा परिवर्तन शामिल नहीं था। निर्णय वैधानिक कल्पना द्वारा बनाए गए विभाजन के कारण को स्थापित करने में मदद नहीं कर सकता है। वैधानिक कल्पना धारा 6 के परंतुक में प्रदान की गई अनिवार्यता में मृतक सह-भागीदार के हिस्से की सीमा के संबंध में है। को-पारसेनरी या एच. यू. एफ, जैसा भी मामला हो, वैधानिक कल्पना से समाप्त नहीं होता है। सांविधिक कल्पना द्वारा सह-भागीदारी में व्यवधान उत्पन्न होता है, यह उपरोक्त निर्णय में निर्धारित प्रस्ताव नहीं है।

98. पुट्टरंगम्मा और ओआरएस में। वी. एम. एस. रंगम्मा और अन्य। , ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 1018, इस न्यायालय ने हिंदू कानून के सिद्धांत पर विचार किया, एक निश्चित, स्पष्ट और एकतरफा घोषणा द्वारा स्थिति में अलगाव इस प्रकार हैः

" (4) यह अब हिंदू कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक संयुक्त हिंदू परिवार का एक सदस्य विनीता शर्मा बनाम द्वारा स्थिति में अपने अलगाव को ला सकता है।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

परिवार से खुद को अलग करने और कई में अपने हिस्से का आनंद लेने के अपने इरादे की निश्चित, स्पष्ट और एकतरफा घोषणा। सभी के बीच एक समझौते की आवश्यकता नहीं है

संयुक्त स्थिति के व्यवधान के लिए सह-भागीदार। यह महत्वहीन है। ऐसे मामले में क्या अन्य सह-भागीदार अलगाव के लिए अपनी सहमति देते हैं या नहीं। इस सिद्धांत का न्यायिक आधार रहा है

हिंदू कानून के प्रारंभिक लेखकों द्वारा व्याख्या की गई। विज्ञानेश्वर की टिप्पणी का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स "

[और इस प्रकार यद्यपि माँ का मासिक धर्म चल रहा है (उसने बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं खोई है) और पिता को लगाव है और वह विभाजन नहीं चाहता है, फिर भी बेटे की इच्छा (या इच्छा) से दादा की संपत्ति का विभाजन होता है। सरस्वती विलास, प्लेसिटम 28 में कहा गया हैः

लेकिन नए ज्ञान नहीं है-लेकिन भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नए ज्ञान और नए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए।

[इससे यह ज्ञात होता है कि बिना किसी भाषण (या स्पष्टीकरण) के, केवल किसी संकल्प (या संकल्प) के माध्यम से भी, विभाजन किया जाता है, केवल एक नियुक्त बेटी का गठन बिना भाषण के केवल इरादे से किया जाता है। मित्र मिश्र का वीरमित्रोदय (Ch. 11. पीएल। 23) निम्नलिखित प्रभाव हैः

स्कुनव्ये चुपू एक-च्यायो जीवद विश्वभागः एक सच च्याविप भावत जीव-च्वे यो-व्वप्तब्यते पू.-तकू नया।

[यहाँ भी पिता के जीवनकाल के दौरान या उनकी मृत्यु के बाद विभाजन और देश के विभाजन के बीच कोई अंतर नहीं है।

पुत्रों की इच्छा या किसी एकल (सह-भागीदार) की इच्छा (या इच्छा पर) से भी हो सकती है।

नीलकण्ठभट्ट के व्यवाहार मयूखा भी कहते हैंः

न्यूनतम समय के साथ-साथ न्यूनतम समय के साथ-साथ न्यूनतम समय के साथ-साथ न्यूनतम समय के साथ-साथ न्यूनतम समय के साथ-साथ न्यूनतम समय के साथ-साथ न्यूनतम समय के साथ-साथ न्यूनतम

समय के साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ–साथ न्यूनतम समय के साथ–साथ–साथ–साथ–साथ–साथ–साथ–साथ–साथ–साथ–साथ–साथ–साथ–साथ–साथ बुद्धि विश्व–च्वे यो–वप्तब्यमानमेव विश्वभागः।

[किसी भी सामान्य (संयुक्त परिवार) संपत्ति के अभाव में भी,

अलगाव वास्तव में केवल इस घोषणा के परिणामस्वरूप होता है कि 'मैं [2020] 10 एस. सी. आर. हूँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तुम से अलग 'क्योंकि अलगाव मन की एक विशेष स्थिति (या स्थिति) है और घोषणा केवल इस मानसिक स्थिति (या स्थिति) की अभिव्यक्ति है। " (च. IV, एस. III–I)। "बुद्धिविसेश" (मन की विशेष स्थिति या स्थिति) पर जोर दिया जाता है जो मन में एक अलगाव पैदा करने में निर्णायक कारक है।

स्थिति और घोषणा को केवल "अभ्यंजिका" या अभिव्यक्ति कहा जाता है जो परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकती है। सूरज नारायण बनाम। इकबाल नारायण, (1913) आई. एल. आर. 35 सभी 80 न्यायिक समिति ने कानूनी स्थिति के बारे में निम्नलिखित स्पष्ट बयान दिया: " एक सदस्य द्वारा खुद को अलग करने और कई में अपने हिस्से का आनंद लेने के इरादे का एक निश्चित और स्पष्ट संकेत अलगाव के बराबर हो सकता है। लेकिन उस प्रभाव के लिए इरादा होना चाहिए

बाद के एक मामले में–गिरिजा बाई बनाम। सदाशिव धुंडीराज, आई. एल. आर. 42 कैल 1031, न्यायिक समिति ने हिंदू कानून के प्रासंगिक ग्रंथों की जांच की और हिंदू कानून में मौजूद उस स्पष्ट अंतर का उल्लेख किया जो अलग करने वाले सदस्य की स्थिति में विच्छेद और अलग करने वाले सदस्य की स्थिति में वास्तविक विभाजन के बीच मौजूद है। तब तक संयुक्त रूप से धारित संपत्ति के विशिष्ट शेयर, और निम्नलिखित कानून निर्धारित किए गए:

" एक व्यक्तिगत निर्णय का विषय है, किसी एक सदस्य की ओर से संयुक्त परिवार से खुद को अलग करने और संयुक्त स्थिति से उत्पन्न दायित्वों के अधीन हुए बिना दूसरों से अलग अपने अब तक के अनिर्धारित या अनिर्दिष्ट हिस्से का आनंद लेने की इच्छा; जबकि दूसरा उसके निर्णय का स्वाभाविक परिणाम है, उसके हिस्से का विभाजन और पृथक्करण जो या तो पक्षों के बीच निजी समझौते से, या उसके विफल होने पर, न्यायालय के हस्तक्षेप से किया जा सकता है। एक बार निर्णय को स्पष्ट रूप से व्यक्त और स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया गया है

अपने सह–भागीदारों के लिए, उस हिस्से को प्राप्त करने और उस पर कब्जा करने का उनका अधिकार निर्विवाद है, जिसके लिए उनके पास एक शीर्षक है; न तो सह–भागीदार इस पर सवाल उठा सकते हैं और न ही अदालत यह पता लगाने के लिए उनकी अंतरात्मा की जांच कर सकती है कि

यह पता लगाने के लिए कि क्या उनके अलग होने के कारण अच्छी तरह से स्थापित थे या विनीता शर्मा बनाम।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

पर्याप्त; न्यायालय को केवल अपने अधिकार को प्रभावी बनाना है

उसका हिस्सा दूसरों से अलग आवंटित किया गया। सैयद कासम बनाम। जोरावर सिंह, आई. एल. आर. 50 कैल 84, विस्काउंट गुफा,

न्यायिक समिति का निर्णय देते हुए कहा गया हैः

" यह तय कानून है कि संयुक्त हिंदू परिवार के मामले में

मिताक्षर के कानून के अधीन, संपत्ति का विच्छेद है

में से एक की ओर से एक स्पष्ट घोषणा द्वारा प्रभावित

अपने हिस्से को अलग से रखने के अपने इरादे के संयुक्त धारक, यहां तक कि

हालांकि कोई वास्तविक विभाजन नहीं होता है; और

विभाजन के लिए एक मुकदमा एक को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त माना गया है डिक्री से पहले भी ब्याज में विच्छेद "।

(जोर दिया गया)

99. एक बार जब सह–सदस्य का संविधान जन्म या मृत्यु से बदल जाता है,

वास्तविक विभाजन के समय शेयरों पर काम करना होगा। शेयरों को बदले हुए परिदृश्य में निर्धारित करना होगा। स्थिति का विच्छेद वैधानिक प्रावधान को प्रभावी बनाने और बाद की घटना से परिवर्तन करने के रास्ते में नहीं आ सकता है। विभाजन की वैधानिक कल्पना वास्तविक विभाजन से बहुत कम है, यह संयुक्त परिवार में व्यवधान नहीं लाती है या सह–विभाजन कानून का एक तय प्रस्ताव है। ऊपर वर्णित कारणों से, हमारी यह भी राय है कि केवल मुकदमा दायर करके स्थिति को अलग करने से विभाजन नहीं होता है और अंतिम डिक्री की तारीख तक, कानून में परिवर्तन और बाद की घटना के कारण होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखा जा सकता है।

100. कानूनी कल्पना के प्रभाव के रूप में, इस पर निर्भरता रखी गई थी

आयकर आयुक्त, दिल्ली बनाम। एस. तेजा सिंह, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 352, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि कानूनी दायरे को समझने में कल्पना, उन सभी तथ्यों को मान लेना उचित और आवश्यक भी होगा जिन पर केवल कल्पना ही काम कर सकती है। उपरोक्त प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन कल्पना का उद्देश्य सीमित है ताकि मृतक की मृत्यु के समय उसके हिस्से की सीमा का पता लगाया जा सके, और वास्तविक विभाजन को प्रभावित न किया जा सके यदि यह सीमा से नहीं किया गया है।

101. जब 1956 के अधिनियम की धारा 6 में संशोधन नहीं किया गया हो

यह लागू हो गया और मृतक सह–भागीदार के हिस्से का पता लगाने की आवश्यकता थी, मृतक की मृत्यु से तुरंत पहले उसके जीवनकाल में एक मानित विभाजन माना गया था। काल्पनिक विभाजन की ऐसी अवधारणा का उपयोग धारा 6 के स्पष्टीकरण को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था।

काल्पनिक विभाजन की कल्पना एक उपरोक्त विशिष्ट उद्देश्य के लिए थी। यह वास्तविक विभाजन लाने के लिए नहीं था। न ही इसका कोई प्रभाव पड़ा। ब्याज का पृथक्करण और न ही जीवित सह–भागीदारों या परिवार के अन्य सदस्यों, यदि कोई हो, के हित का सीमांकन किया गया है, जो इसमें हिस्सेदारी के हकदार हैं।

त्रावणकोर–कोच्चि और अन्य। वी. शनमुघा विलास काजू फैक्टरी और ओआरएस। , (1954) एस. सी. आर. 53; बंगाल इम्युनिटी कं. लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य। , ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 661; और संपत्ति शुल्क नियंत्रक बनाम। श्रीमती. एस. हरीश चंद्र, (1987) 167 आईटीआर 230। कानून में बनाई गई एक कानूनी कल्पना को उस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जिसके लिए इसे बनाया गया है, इस प्रकार मंचेरी–पुथुसेरी अहमद (ऊपर) में आयोजित किया गया थाः

" 8. XXX सबसे पहले यह खंड एक कानूनी कल्पना बनाता है। इसलिए, धारा के व्यक्त शब्दों को उनका पूरा अर्थ दिया जाना चाहिए और यह पता लगाने के लिए कि क्या क़ानून के इस स्पष्ट प्रावधान द्वारा विचारित कानूनी कल्पना मामले के तथ्यों में उत्पन्न हुई है या नहीं। कानूनी कल्पनाएँ बनाने वाले प्रावधानों के निर्माण का नियम अच्छी तरह से तय किया गया है। एक कानूनी कल्पना बनाने वाले प्रावधान की व्याख्या करते हुए न्यायालय को यह पता लगाना है कि किस लिए उद्देश्य कल्पना का निर्माण किया जाता है, और इसका पता लगाने के बाद, न्यायालय को उन सभी तथ्यों और परिणामों को मान लेना है जो कल्पना को प्रभाव देने के लिए आकस्मिक या अपरिहार्य परिणाम हैं। लेकिन कल्पना को इस तरह से समझने में इसे उस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया है, या उस खंड की भाषा से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जिसके द्वारा इसे बनाया गया है। इसे दूसरे आयात करके भी नहीं बढ़ाया जा सकता है।

काल्पनिक। x XX "

102. यह स्पष्ट है कि बेटे के साथ विभाजन की स्थिति में एक विधवा का समान हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार पुराने समय के तहत वंचित नहीं था।

धारा 6. असंशोधित धारा 6 में यह प्रावधान किया गया है कि सह–भागीदार का ब्याज

परंतुक के तहत अनिवार्यता होने पर वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा निपटाया जा सकता है। 1956 से पहले के पुराने कानून के तहत हिंदू मिताक्षर परिवार की संपत्ति के सह–भागीदार द्वारा बनाई गई योजना पूरी तरह से अमान्य थी। 1956 के अधिनियम की धारा 30 ने मिताक्षर सह–पक्ष में एक पुरुष हिंदू को एक वसीयतनामा द्वारा सह–पक्षीय संपत्ति में अपने हित का निपटान करने की क्षमता प्रदान की।

विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

103. ग्यार्सी बाई बनाम। धनसुख लाल, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1055, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सभी सह–भागीदारों के शेयरों का निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि

मृतक सह–भागीदार के हिस्से का निर्धारण करें, विभाजन को ग्रहण किया जाना चाहिए और आवंटन का प्रश्न आने पर प्रभावी किया जाना चाहिए, लेकिन इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में यह नहीं कहा कि काल्पनिक और काल्पनिक विभाजन ने संयुक्त परिवार या सह–भागीदार को समाप्त कर दिया।

104. यदि सह–भागीदारी जारी रहती है, और बाद में बीच में

जीवित सह–भागीदार विभाजन होता है, यह आवश्यक होगा

मृतक सह–भागीदार के हिस्से की सीमा का पता लगाएं। इसे उस संपत्ति के संदर्भ में तैयार किया जाना चाहिए जो मृतक सह–भागीदार की मृत्यु के समय उपलब्ध थी, जिसका हिस्सा परंतुक के अनुसार हस्तांतरित किया गया था और निर्वसीयत उत्तराधिकार के मामले में धारा 6 के लिए स्पष्टीकरण ।।

105. हरि चंद रोच बनाम। हेम चंद और ओआरएस। , (2010) 14 एस. सी. सी. 294, एक विधवा को अपने पति की संपत्ति विरासत में मिली और उसके पास एक संपत्ति में अविभाजित ब्याज। बाद की पारिवारिक व्यवस्था

इसमें प्रवेश किया गया था जिससे उसने अपने हिस्से को दूसरी संपत्ति में बदल दिया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि उसका हिस्सा निश्चित था, ब्याज अविभाजित बना रहा, और एक और पारिवारिक व्यवस्था थी जिसका प्रभाव उस संपत्ति पर उसे अधिकार देने पर होगा, जो उसे बाद की पारिवारिक व्यवस्था में दी गई थी। यह स्पष्ट है कि एक अविभाजित ब्याज के तहत, जैसा कि धारा 6 के तहत प्रदान किया गया है, शेयर निश्चित हैं, लेकिन संपत्ति में ब्याज अविभाजित जारी रह सकता है। 106. तत्काल मामले में, सवाल अलग है। जिसे धारा 6 के तहत कानून द्वारा विभाजन के रूप में मान्यता दी गई है, तदनुसार,

अधिकारों पर काम किया जाना है। इस न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित विभिन्न निर्णयों में लगातार कहा कि जब अधिकार बाद में प्रदान किए जाते हैं, तो प्रारंभिक डिक्री में संशोधन किया जा सकता है, और कानून का लाभ प्रदान किया जाना है। इसलिए, हमें धारा 6 के परंतुक के वैधानिक कल्पना के प्रभाव को अस्वीकार करने में कोई

संकोच नहीं है, जैसा कि प्रकाश v में चर्चा की गई है। फुलावती (ऊपर) और दानम्मा (ऊपर)। यदि एक बेटी संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख को जीवित है, तो वह एक लड़की बन जाती है।

संशोधन अधिनियम की तारीख से प्रभावी सह–भागीदार, चाहे समय से पहले जन्म तिथि कुछ भी हो।

रेफरी में। धारा 6 (5)

107. धारा 6 (5) के स्पष्टीकरण में प्रावधान है कि इन उद्देश्यों के लिए

धारा 6क 'विभाजन' क अर्थ अछि कोनो पंजीकृत विभाजन विलेखसँ प्रभावित या कोनो न्यायालयक डिक्रीसँ प्रभावित। यह उल्लेख करना उचित है कि [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य सभा के समक्ष 20.12.2004 पर पेश किए गए मूल संशोधन विधेयक में स्पष्टीकरण को जगह नहीं मिली। बाद में इसे जोड़ा गया। प्रारंभिक टिप्पणी में, यह उल्लेख किया गया था कि विभाजन को उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, कोई भी मनमाना व्याख्या छोड़ दी जानी चाहिए, और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, विभाजन को एक पंजीकृत सार्वजनिक दस्तावेज द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए या अदालत के आदेश से प्रभावित होना चाहिए। एक मामले में विभाजन मौखिक है, इसे दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। प्रारंभ में, मौखिक विभाजन को भी मान्यता देने का प्रस्ताव किया गया था, यदि समकालीन दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। इरादे.

संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा बेटियों को प्रदान किए गए सह–भागीदार के अधिकारों को विफल करने के लिए किसी भी नकली या फर्जी लेनदेन से बचना था। इस संबंध में, भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा जारी मंत्रिमंडल के लिए नोट में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:

" प्रस्तावित नई धारा 6 की उप–धारा 5 के संबंध में, समिति ने पैराग्राफ के माध्यम से सिफारिश की है कि "विभाजन" शब्द को उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, कोई भी मनमाना व्याख्या छोड़ दी जानी चाहिए। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए विभाजन होना चाहिए

पंजीकृत न्यायालय के एक आदेश द्वारा प्रभावी किए गए हैं। मामले में

जहाँ मौखिक विभाजन को पहचाना जाता है, उचित द्वारा समर्थित किया जाए

दस्तावेजी साक्ष्य। इसे स्वीकार करने का प्रस्ताव है।

विधेयक में सिफारिश करें और उपयुक्त परिवर्तन करें।

अपने उद्देश्यों को देखते हुए प्रकृति में अनिवार्य नहीं है। हालांकि, इस तरह की किसी भी पारिवारिक व्यवस्था या मौखिक विभाजन पर भरोसा करने वाले किसी भी सह–भागीदार को उचित दस्तावेजी साक्ष्य का नेतृत्व करके इसे

साबित करना होगा। 109. 'विभाजन' के संबंध में 29.7.2005 पर किए गए कैबिनेट नोट को नीचे उद्धृत किया गया हैः

" 5.2 इस संबंध में यह ध्यान दिया जा सकता है कि आंध्र राज्यों द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में किए गए संशोधन

प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु और केरल

संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1975

इसके विपरीत प्रावधानों वाले किसी भी बाद के केंद्रीय अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है क्योंकि केंद्रीय विधान के सिद्धांत के संचालन के आधार पर राज्य अधिनियमों पर प्रबल होगा संविधान के अनुच्छेद 254 में तिरस्कार का उल्लेख किया गया है।

असंख्य निपटाया लेन-देन और विभाजन जिन्होंने विनीता शर्मा v लिया है।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

अब तक का स्थान भी प्रस्तावित कार्रवाई से परेशान हो जाएगा। इसके अलावा, अधिकांश हिंदू आबादी से नाराज़गी हो सकती है। इन परिस्थितियों में, यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम विवाहित और अविवाहित बेटियों के बीच के अंतर को दूर कर सकते हैं और साथ ही स्पष्ट रूप से यह निर्धारित कर सकते हैं कि अलगाव या 20 दिसंबर, 2004 से पहले किसी भी समय की गई संपत्ति का निपटान, यानी जिस तारीख को हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2004 को राज्यसभा में पेश किया गया था, प्रभावित या अमान्य नहीं होगा। प्रस्तावित धारा 6 की उप-धारा (5) में भी परिणामी परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है।

110. 2004 के मूल विधेयक में प्रस्तावित धारा 6 (5)

इस प्रकारः

" (5) इस धारा में निहित कुछ भी विभाजन पर लागू नहीं होगा, जो हिंदू धर्म के प्रारंभ से पहले किया गया है।

उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2004 "।

111. न्यायमित्र श्री आर. वेंकटरमानी ने तर्क दिया कि धारा 6 का प्रावधान स्पष्ट और स्पष्ट है। 20.12.2004 से पहले किए गए विभाजन सहित सभी प्रवृत्तियों, अलगावों, वसीयती बयानों को फिर से नहीं खोला जाएगा। सह-आंशिक संपत्ति का विभाजन हो सकता है, और उन्होंने इस तरह के विभाजन के अनुसरण में भी कार्य किया होगा। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जहां पक्षों ने किसी विभाजन पर सफल होने के लिए संबंधित शेयरों या पात्रता के आधार पर पारिवारिक निपटान या संपत्तियों के विभाजन में प्रवेश किया होगा। इनमें से कई मामलों में, राजस्व प्रविष्टियों में एक साधारण परिवर्तन को स्थिति के विच्छेद के लिए पर्याप्त माना गया होगा। संसद का इरादा ऐसे सभी मामलों को परेशान करने, लेनदेन को पूरा करने और उन्हें एक नए आदेश के लिए खोलने का नहीं था।

उत्तराधिकार। केवल किसी भी कानून के तहत किसी भी दायित्व से बचने के लिए किया गया विभाजन, उदाहरण के लिए, कराधान या भूमि सीमा कानून से संबंधित कानून, के उद्देश्यों और योजना को समझने के लिए प्रासंगिक उदाहरण नहीं हैं। धारा 6. इसलिए, धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 6 की उप-धारा 5 के परंतुक को ऐसा अर्थ दिया जाना आवश्यक है और

धारा 6 की भविष्य और भविष्य की योजना में प्रासंगिकता को कम न करने के लिए। पिछले मामलों को इस उद्देश्य के लिए फिर से नहीं खोला जाएगा। उन्होंने शशिका बाई (सुप्रा) पर भरोसा किया है।

112. न्यायमित्र के रूप में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आई. डी. 1 ने बताया कि धारा 6 (5) के तहत, जैसा कि विधेयक में प्रस्तावित है, उल्लेख किया गया है कि संशोधित धारा 6 में निहित कुछ भी [2020] 10 एस. सी. आर. लागू नहीं होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी विभाजन के लिए, जो संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले प्रभावी हो गया हो। समिति द्वारा निम्नलिखित विचार-विमर्श किया गयाः

" समिति द्वारा विचार-विमर्श

35. विधेयक पर अपने विचार-विमर्श के दौरान, समिति ने 'विभाजन' की अवधारणा पर विचार किया जैसा कि उपरोक्त उप-धारा में संदर्भित है।

जब सचिव (विधायी विभाग) से मौखिक माध्यमों से किए गए विभाजन की वैधता के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। सचिव

निम्नलिखित रूप में वर्णित हैः

" (विधेयक के) उपखंड (5) में कहा गया है कि इस धारा में निहित कुछ भी विभाजन पर लागू नहीं होगा, जो अधिनियम के प्रारंभ से पहले प्रभावी हो गया है। इसलिए, लोगों के पास पंजीकृत विभाजन को प्रभावित करने या अदालत में जाने और इसे पंजीकृत कराने का मौका नहीं हो सकता है।

36. इसके अलावा, कानूनी सचिव ने निम्नानुसार कहाः

" ..... वर्तमान कानूनी स्थिति के तहत, यह आवश्यक नहीं है कि एक विभाजन पंजीकृत किया जाना चाहिए। इसकी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। वहाँ

समिति द्वारा सामान्य अवलोकन 37. समिति ने सिफारिश की है कि 'विभाजन' शब्द होना चाहिए।

किसी भी मनमाने तरीके के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हुए ठीक से परिभाषित किया जाए

व्याख्या। विभाजन, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए न्यायालय की डिक्री द्वारा पंजीकृत या प्रभावित किया जाना चाहिए था। ऐसे मामलों में, जहां मौखिक विभाजन को पहचाना जाता है, इसका समर्थन किया जाना चाहिए

उचित साक्ष्य समर्थन द्वारा।

उपरोक्त के अधीन, विधेयक का खंड 2 अपनाया जाता है।

113. श्री वी. वी. एस. राव ने तर्क दिया कि सह-भागीदार की स्थिति

बेटियों को दिया गया सम्मान मौखिक रूप से किए गए विभाजन को प्रभावित नहीं कर सकता है, और संसदीय समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद धारा 6 के अंत में स्पष्टीकरण जोड़ा गया था। विभाजन मौखिक रूप से किया जा सकता है और बाद में स्मृति उद्देश्यों के लिए ज्ञापन बनाया जा सकता है। इस तरह की विभाजन ज्ञापन वाले दस्तावेज़ को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। पक्ष अपने अधिकारों का निपटारा कर सकते हैं और इस तरह के विभाजन के आधार पर बाद के लेनदेन में प्रवेश कर सकते हैं। यह उन पूर्ण संपत्ति लेनदेनों को अस्थिर करने के लिए नहीं है जो पहले ही हो चुके थे। स्पष्टीकरण विनीता शर्मा बनाम होना चाहिए।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

सह-पक्षीय संपत्ति के संबंध में सभी दस्तावेजों या मौखिक विभाजन को अमान्य करने के रूप में नहीं समझा जाएगा। यदि ऐसे दस्तावेज़ की वास्तविकता पर सवाल उठाया जाता है, तो इसे न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित करना होगा। लेन-देन की बचत वास्तविक अतीत की रक्षा करेगी।

लेन-देन और परिवार व्यवस्था में अशांति को रोकें। इसी तरह

प्रस्ताव

भारत के विधि आयोग द्वारा बनाया गया था।

114. विद्वान वकील, श्री श्रीधर पोटाराजू ने तर्क दिया कि उपेक्षा करना

धारा 6 के परंतुक के तहत विभाजन की वैधानिक कल्पना, जो प्रावधान करता है 1956 में निगमित किया गया था और 2005 तक जारी रहा, वारंट नहीं है।

115. विद्वान वकील सुश्री अनघा एस. देसाई ने तर्क दिया कि

विभाजन विलेख की अनुपस्थिति में भी, विभाजन सीमा द्वारा प्रभावित हो सकता है, और यदि यह ठीक से साबित हो जाता है, तो बेटियाँ सह-आंशिक संपत्ति के इन संपन्न लेनदेन को नहीं खोलेंगी।

116. संशोधित धारा 6 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि

बेटियाँ सह–भागीदार बनने पर हिस्सेदारी प्राप्त करने के अपने अधिकारों से वंचित नहीं हैं और मौखिक विभाजन के तुच्छ बचाव की स्थापना करके सह–आंशिक संपत्ति के विभाजन का दावा करती हैं और/या

विभाजन का अपंजीकृत ज्ञापन। अदालत को ध्यान रखना होगा संभावना है कि मौखिक विभाजन की याचिका धोखाधड़ी से या मिलीभगत से, या विभाजन के अपंजीकृत ज्ञापन के आधार पर स्थापित की जा सकती है जो किसी भी समय भी बनाई जा सकती है। ऐसा विभाजन धारा 6 (5) के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है।

117. काले v में विचार किया गया है कि पारिवारिक निपटान कैसे प्रभावित होता है।

समेकन उप निदेशक, (1976) 3 एस. सी. सी. 119, इस प्रकारः

" 10. दूसरे शब्दों में बाध्यकारी प्रभाव और की अनिवार्यताओं को रखने के लिए

एक ठोस रूप में एक पारिवारिक समझौता, मामला हो सकता है

निम्नलिखित प्रस्तावों के रूप में घटायाः

" (1) पारिवारिक समझौता एक प्रामाणिक समझौता होना चाहिए ताकि

पारिवारिक विवादों और प्रतिद्वंद्वी दावों को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से हल करें।

विभिन्न सदस्यों के बीच संपत्तियों का विभाजन या आवंटन

परिवार का;

(2) उक्त समझौता स्वैच्छिक होना चाहिए और नहीं होना चाहिए।

धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से प्रेरित होना;

(3) पारिवारिक व्यवस्था मौखिक भी हो सकती है जिसमें

मामला कोई पंजीकरण आवश्यक नहीं है; [2020] 10 एस. सी. आर.

(4) यह अच्छी तरह से तय है कि पंजीकरण आवश्यक होगा

केवल तभी जब पारिवारिक व्यवस्था की शर्तों को लिखित रूप में कम कर दिया जाए। यहाँ भी, एक दस्तावेज़ के बीच एक अंतर किया जाना चाहिए जिसमें एक पारिवारिक व्यवस्था की शर्तें और पाठ शामिल हैं।

दस्तावेज़ के तहत और परिवार की व्यवस्था के बाद तैयार किया गया केवल एक ज्ञापन या तो रिकॉर्ड के उद्देश्य से या आवश्यक परिवर्तन करने के लिए न्यायालय की जानकारी के लिए पहले ही किया जा चुका था। ऐसे मामले

में ज्ञापन स्वयं करता है अचल संपत्तियों में किसी भी अधिकार का सृजन या उन्मूलन नहीं करना और इसलिए यह पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (2) की शरारत के दायरे में नहीं आता है और इसलिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य नहीं है।

(5) जो सदस्य पारिवारिक व्यवस्था के पक्षकार हो सकते हैं, उनके पास कुछ पूर्ववर्ती स्वामित्व, दावा या ब्याज होना चाहिए। यहां तक कि संपत्ति में एक संभावित दावा जिसे समझौते के पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है। भले ही समझौते के एक पक्ष का कोई अधिकार न हो, लेकिन व्यवस्था के तहत दूसरा पक्ष

ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अपने सभी दावों या खिताबों को छोड़ देता है और उसे एकमात्र मालिक के रूप में स्वीकार करता है, फिर पूर्ववर्ती अधिकार को माना जाना चाहिए और पारिवारिक व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा और अदालतों को इसे मंजूरी देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। (6) भले ही वास्तविक या संभावित विवाद, जिनमें कानूनी दावे शामिल नहीं हो सकते हैं, एक प्रामाणिक परिवार द्वारा निपटाए जाते हैं।

ऐसी व्यवस्था जो निष्पक्ष और न्यायसंगत हो, पारिवारिक व्यवस्था अंतिम है और समझौते के लिए पक्षों पर बाध्यकारी है। ”

15. टेक बहादुर भुजिल बनाम। देवी सिंह भुजिल, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 292,295, इस न्यायालय द्वारा यह इंगित किया गया था कि एक पारिवारिक व्यवस्था मौखिक रूप से भी की जा सकती है और पंजीकरण की आवश्यकता केवल तभी होगी जब इसे लिखित रूप में कम किया जाए। यह भी माना गया कि एक दस्तावेज जो एक ज्ञापन से अधिक नहीं था, जिसके लिए सहमति व्यक्त की गई थी, उसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की थी:

" पारिवारिक व्यवस्था मौखिक रूप से की जा सकती है। इसकी शर्तों को लिखित रूप में एक ज्ञापन के रूप में दर्ज किया जा सकता है

दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। ज्ञापन को एक दस्तावेज के रूप में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है जिस पर पक्षों के भविष्य के शीर्षक की स्थापना की जाए। यह आमतौर पर तैयार किया जाता है।

एक रिकॉर्ड के रूप में जिस पर सहमति हुई थी ताकि कोई विनीता शर्मा v न हो।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

भविष्य में इसके बारे में अस्पष्ट धारणाएँ। यह तभी होता है जब पार्टियां कम करती हैं।

उस का उपयोग करने के उद्देश्य से लिखित रूप में पारिवारिक व्यवस्था

उन्होंने जो व्यवस्था की थी उसके प्रमाण के रूप में लिखना और, जहाँ

व्यवस्था दस्तावेज़ द्वारा इस तरह से लाई जाती है, कि दस्तावेज़ के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी क्योंकि यह तब होगा कि

भविष्य के लिए घोषणा करने वाला स्वामित्व का दस्तावेज़ कि किन संपत्तियों में क्या अधिकार हैं

दलों के पास है।

9999

(जोर दिया गया)

यह तय किया गया कानून है कि परिवार की व्यवस्था की जा सकती है

परिवार में सामंजस्य बना रहता है।

118. श्रीपद गजानन सुथानकर पर रिलायंस रखा गया है।

ताराम काशीनाथ सुथानकर, (1974) 2 एस. सी. सी. 156, किस प्रभाव में

विधवा द्वारा विकल्प और विभाजन और अन्य अलगाव पर इसका प्रभाव

गोद लेने से पहले विचार किया गया था। , निम्नलिखित टिप्पणियाँ थीं

:

" 11. इसके बाद दो महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। किसमें से एक–तिहाई हिस्सा?

जो उस समय के अधीन था क्या महादेव द्वारा उपहार दिया जाना चाहिए?

परिस्थितियों में काम करने में उसकी अनन्य संपत्ति को नजरअंदाज कर दिया जाए

और न्यायाधीशों ने दोनों के बीच एक उचित संतुलन बनाया है, एनिमेटेड यथार्थवाद की भावना से, समानता करने और बचने की इच्छा से प्रेरित

निहित अधिकारों और संपन्न लेन–देनों को अस्थिर करना, ऐसा न हो कि एक कानूनी

कल्पना को जीवन के वास्तविक तथ्यों पर आक्रमण करके एक काल्पनिक कहानी बनना चाहिए। अस्थिरता की साधनता। कानून और व्यवस्था न्यायशास्त्र हैं

जुड़वाँ और इस दृष्टिकोण ने न्यायिक रूप से सूचित किया है हिंदू कानून की इस शाखा में घोषणाएँ।

18. हम पूर्ववर्तियों की यात्रा के अंत तक पहुँचते हैं, जैसे कि अनदेखा करते हैं

सामने आने वाले प्रस्ताव इस प्रकार हैं: ((i) विधवा को गोद नहीं लिया जा सकता है। संयुक्त परिवार के पूर्ववर्ती विभाजन और

गोद लिया हुआ बेटा एक हिस्से का दावा कर सकता है जैसे कि वह पैदा हुआ हो और जीवित हो।

जब दत्तक पिता ने अंतिम सांस ली; (ii) फिर भी, विभाजन का तथ्य बाद में अपनाने से मिटा नहीं जाता है; (iii) कोई भी

गोद लेने के लिए गोद लिए गए बेटे द्वारा चुनौती के लिए प्रतिरक्षा है; (iv) इस संदर्भ में वैध अलगाव का मतलब जरूरी नहीं कि एक परिवार के लिए हो।

आवश्यकता लेकिन अलगाव [2020] 10 एस. सी. आर. के अनुसार सक्षम रूप से किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून; (v) एक विधवा की अलगाव की शक्ति सीमित है और यदि–और

केवल अगर

हिंदू कानून द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाएगा

अलगाव एक बाद में गोद लिए गए बेटे को बांधता है। तो भी अलगाव द्वारा

एक अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता या एक सह–भागीदार द्वारा स्थानांतरण

बनारस स्कूल द्वारा शासित; (vi) एक बार वैध रूप से विभाजित होने के बाद,

मिताक्षरा हिंदू परिवार के एक सदस्य का हिस्सा जिसमें उसका

स्वयं के मुद्दे का जन्म से कोई अधिकार नहीं है जिसे वह अपने स्थान पर स्थानांतरित कर सकता है।

वसीयत और ऐसे हस्तांतरण, चाहे वे वसीयत, उपहार या बिक्री द्वारा हों, गोद लिए गए व्यक्ति को बाध्य करते हैं।

बेटा जो बाद में घटनास्थल पर आता है। बेशक, एक की स्थिति

ऐसे हिस्सेदार द्वारा अमान्य या अमान्य हस्तांतरण एक अलग पर खड़ा हो सकता है

आधार पर लेकिन हमें यहां इसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

(जोर दिया गया)

119. चिंतामणि अम्मल बनाम। नंदगोपाल गौंडर, (2007) 4

एस. सी. सी. 163, यह देखा गया कि विभाजन की याचिका की पुष्टि करने की आवश्यकता थी क्योंकि कानून के तहत, संयुक्तता के बारे में एक धारणा है। यहां तक कि सह–भागीदारों द्वारा अलग कब्जा, अपने आप में, विभाजन की धारणा का कारण नहीं बन सकता है।

120. रुखमाबाई बनाम। लक्ष्मीनारायण, ए. आई. आर 1960 एस. सी. 335 और

मुदिगौड़ा गौडप्पा शंख और अन्य। वी. रामचंद्र रेवगौड़ा शंख (मृत) अपने एल. आर. द्वारा। & एन. आर. , ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 1076 में यह देखा गया कि प्रथम दृष्टया विभाजन के इरादे को व्यक्त करने वाला एक दस्तावेज सामने आता है। स्थिति में विभाजन के बारे में, हालांकि, यह साबित करने के लिए खुला है कि दस्तावेज़ एक नकली या नाममात्र था और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस पर कार्रवाई करने और उसे निष्पादित करने का इरादा नहीं था। दस्तावेज़ में दिए गए बयान में संपत्ति के साथ संबंध निर्धारित करने वाला कारक है। प्रतिस्थापित धारा 6 (5) की वैधानिक आवश्यकता सह-भागीदार के अधिकार की बेटी को अन्यायपूर्ण रूप से वंचित करने से इंकार करने के लिए सख्त है।

121. कलवा देवदत्तम बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 880,

यह निर्धारित किया गया था कि जब एक कथित याचिका एक दिखावा साबित होती है, तो प्रभाव यह होगा कि परिवार को संयुक्त माना जाता है।

122. इससे पहले, एक मौखिक विभाजन की अनुमति थी, और उसी समय

समय के साथ, सबूत का भार उस व्यक्ति पर बना रहा जिसने दावा किया कि एक विभाजन था। यह भी तय किया गया कानून है कि सेसर ऑफ कॉमनलिटी विभाजन का निर्णायक प्रमाण नहीं है, केवल इस कारण से कि सदस्य सुविधा के लिए भोजन और निवास में अलग हैं, और सेवा के कारण या अन्यथा अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग निवास नहीं है। कई अधिनियम, हालांकि विभाजन का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं, विनीता शर्मा बनाम।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

विभिन्न अन्य तथ्यों के साथ मिलकर उस निष्कर्ष पर पहुँचें। जैसे कि भागों का अलग कब्जा, संयुक्त संपत्ति की आय का विभाजन, भूमि पंजीकरण अभिलेखों के राजस्व में संयुक्त संपत्ति में शेयरों की परिभाषा, पारस्परिक लेनदेन, जैसा कि भगवान v में देखा गया है। मोहन सिंह, ए. आई. आर. 1925 पी. सी. 132, और दिगंबर पाटिल बनाम। देवराम, ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 1728।

123. एक सामान्य धारणा है कि प्रत्येक हिंदू परिवार को संयुक्त माना जाता है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। यह तब भी खुला है जब एक सह-भागीदार अलग हो गया हो, गैर-अलग सदस्यों के लिए संयुक्त रहने और संयुक्त परिवार के सदस्यों के रूप में आनंद लेने के लिए खुला है। कोई स्पष्ट समझौता नहीं है संयुक्त रहने की आवश्यकता है। एक सह-भागीदार के उनसे अलग होने के बाद उनका पारिवारिक व्यवसाय कैसे चलता था, इससे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। क्या विभाजन की डिक्री द्वारा एक संयुक्त परिवार के सभी अन्य सदस्यों से एक सह-भागीदार का अलगाव था, इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए अकेले डिक्री को देखा जाना चाहिए जो पलानी अम्मल (सुप्रा) और गिरिजानंदिनी देवी और अन्य में निर्धारित किया गया था। वी. बिजेंद्र नारायण चौधरी, आकाशवाणी 1967 एससी 1124। पलानी अम्मल (ऊपर) में, यह आयोजित किया गया थाः

..... अब यह भी संदेह से परे है कि इस तरह के संयुक्त परिवार का कोई सदस्य संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों से खुद को अलग कर सकता है।

परिवार और अलग होने पर संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने हिस्से का पता लगाने और उसके लिए विभाजन करने का हकदार है, और यह कि शेष सह-भागीदार, आपस में किसी विशेष समझौते के बिना, सह-भागीदार बने रह सकते हैं और एक संयुक्त परिवार के सदस्यों के रूप में आनंद ले सकते हैं जो पारिवारिक संपत्ति के इस तरह के विभाजन के बाद बचा हुआ है। कि शेष सदस्य संयुक्त बने रहे, यदि विवादित हैं, तो उनके तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है

उनसे अलग हो गए। यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि एक संयुक्त हिंदू परिवार अलग हो जाता है, तो परिवार या उसका कोई भी सदस्य एक संयुक्त हिंदू परिवार के रूप में फिर से जुड़ने के लिए सहमत हो सकता है, लेकिन इस तरह का पुनर्मिलन स्पष्ट कारणों से है, जो कई मामलों में लागू होगा। मिताक्षर, बहुत दुर्लभ घटना है, और जब ऐसा होता है तो इसे सख्ती से साबित किया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी अन्य विवादित तथ्य साबित होता है।

124. हरि बक्श बनाम। बाबू लाल, ए. आई. आर. 1924 पी. सी. 126, यह निर्धारित किया गया था कि यदि दो सह-भागीदार भाई हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि दोनों भाइयों के परिवार के बीच अलगाव हो। दोनों भाइयों का परिवार संयुक्त बना रह सकता है।

125. स्थिति का विच्छेद मुकदमा दायर करने की तारीख से हो सकता है; हालाँकि, उसके परिणामों को तैयार करने के लिए एक डिक्री आवश्यक है, और अंतिम डिक्री पारित होने तक निश्चित शेयर आवंटित करने के लिए मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे मामले हैं जिनमें विभाजन को धोखाधड़ी या गलती आदि के आधार पर या कुछ अन्य अनुमेय आधारों पर फिर से खोला जा सकता है। उचित मामलों में, इसे नाबालिग के कहने पर भी फिर से खोला जा सकता है।

126. सह-भागीदार के रूप में बेटियों के अधिकारों का संरक्षण है

1956 के अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 6 में परिकल्पित विभाजन को मान्यता देता है जो किसी अदालत के डिक्री द्वारा लाया गया हो या किसी पंजीकृत दस्तावेज द्वारा प्रभावित किया गया हो। 20.12.2004 सहेजे जाने से पहले इस तरह से प्रभावित विभाजन।

127. व्याख्या में विभाजन की एक विशेष परिभाषा बनाई गई है। प्रावधानों का उद्देश्य खतरे में डालना नहीं है

बेटी का हित और बेटी को सह-भागीदार के रूप में उसके अधिकार से वंचित करने और प्रावधानों से आने वाले लाभ को रद्द करने से रोकने के लिए अन्यायपूर्ण तरीके से रक्षा में स्थापित नकली या तुच्छ लेनदेन का ध्यान रखना।

प्रतिस्थापन के रूप में। धारा 6 (5) में बनाए गए सांविधिक प्रावधान विभाजन के रूप में पूरे रंग को बदल देते हैं। हालाँकि, पहले प्रचलित कानून के तहत, एक मौखिक विभाजन को मान्यता दी गई थी। धारा 6 के प्रावधानों के परिवर्तन को देखते हुए, विधायिका का इरादा स्पष्ट है और मौखिक विभाजन की ऐसी याचिका को आसानी से

स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। धारा 6 (5) के प्रावधानों की व्याख्या मौखिक विभाजन के प्रस्तावक पर प्रमाण का भारी बोझ डालने के लिए की जानी चाहिए, इससे पहले कि इसे स्वीकार किया जाए जैसे कि भागों का अलग कब्जा, आय का विनियोग, और राजस्व रिकॉर्ड में परिणामी प्रविष्टि और अन्य समकालीन जनता द्वारा निश्चित रूप से समर्थित किया जाए। साक्ष्य में स्वीकार्य दस्तावेजों को सभी सुरक्षा उपायों का प्रयोग करते हुए सबसे अनिच्छा से स्वीकार किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 6 का उद्देश्य केवल उन वास्तविक विभाजनों को स्वीकार करना है जो प्रचलित कानून के तहत हुए हो सकते हैं, और जिन्हें झूठे बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया है और केवल मौखिक रूप से दिए गए बयान को पूरी तरह से खारिज किया जाना है। संशोधित प्रावधानों से होने वाले लाभ को शून्य करने के लिए झूठे या तुच्छ बचाव को रोकने, स्थापित करने के उद्देश्य को पूरी तरह से प्रभावी बनाना होगा। अन्यथा, बेटी को सह–भागीदार के रूप में उसके अधिकारों से वंचित करना बहुत आसान हो जाएगा। जब इस तरह का बचाव किया जाता है, तो न्यायालय को इसे स्वीकार करने में बहुत सावधानी बरतनी होती है, और केवल तभी जब बहुत ठोस, त्रुटिहीन, और

समर्थन में सार्वजनिक दस्तावेजों के रूप में समकालीन दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं, इस तरह की याचिका पर विचार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। हम दोहराते हैं कि मौखिक विभाजन या विभाजन के ज्ञापन की याचिका, विनीता शर्मा बनाम।

राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

बिना किसी समकालीन सार्वजनिक दस्तावेज़ के बिना किसी भी समय अपंजीकृत दस्तावेज़ का निर्माण किया जा सकता है, जिसे हर कीमत पर अस्वीकार करने की आवश्यकता होती है। हम असाधारण रूप से अच्छे मामलों के लिए ऐसा कहते हैं जहां विभाजन निर्णायक रूप से साबित होता है और हम अदालतों को आगाह करते हैं कि निष्कर्ष लैंगिक न्याय के प्रावधानों और सबूत के बहुत भारी बोझ की कठोरता को देखते हुए संभावनाओं की प्रधानता पर आधारित नहीं है जो इरादे को पूरा करते हैं।

धारा 6 (5) का स्पष्टीकरण। यह याद रखना होगा कि अदालतें संशोधन अधिनियम द्वारा बनाए गए लाभकारी प्रावधानों के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकती हैं। एक पंजीकृत के पूर्व निष्पादन के रूप में हमारे द्वारा निकाले गए अपवाद विभाजन के लिए दस्तावेज़ आवश्यक नहीं था, और पारिवारिक प्रतिष्ठा के लिए शायद ही कभी न्यायालय से संपर्क किया जाता था। इसे एक अंतिम उपाय के रूप में संपर्क किया गया था जब पक्ष अपने पारिवारिक विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने में सक्षम नहीं थे। हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि 1956 से पहले भी, धारा 6 (5) के तहत परिकल्पित अन्य तरीकों से विभाजन हुआ था।

128. धारा 6 (5) 'न्यायालय की डिक्री द्वारा प्रभावित विभाजन' के स्पष्टीकरण में उपयोग की गई अभिव्यक्ति का अर्थ होगा –

अंतिम डिक्री पारित करके वास्तविक विभाजन, केवल तभी यह कहा जा सकता है कि अदालत की डिक्री विभाजन को प्रभावित करती है। एक प्रारंभिक डिक्री हिस्से की घोषणा करती है लेकिन वास्तविक विभाजन को प्रभावित नहीं करती है, जो एक अंतिम डिक्री के पारित होने से प्रभावित होता है; इस प्रकार, वैधानिक प्रावधानों को पूर्ण प्रभाव दिया जाना है, क्या विभाजन वास्तव में अधिनियम के इरादे के अनुसार किया जाता है, यह

अदालत द्वारा पता लगाया जाना है। भले ही विभाजन एक पंजीकृत दस्तावेज़ द्वारा समर्थित है, यह साबित करना आवश्यक है कि इसे प्रभावी किया गया था और उस पर कार्रवाई की गई थी और है

अन्यथा बनावटी या अमान्य या किसी न्यायालय की अंतिम डिक्री द्वारा निष्पादित नहीं। यदि विभाजन, वास्तव में, अंततः पूरी तरह से तैयार किया गया था जैसे कि इसे उसी तरीके से किया गया होगा जैसे कि किसी अदालत के डिक्री से प्रभावित होता है, तो इसे मान्यता दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत विधिवत पंजीकृत विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया विभाजन, विभाजन की पूर्ण घटना को भी संदर्भित करता है, जो न केवल अलग होने का इरादा है, बल्कि एक बेटी को अधिकार प्रदान करने वाली धारा 6 (5) के विशेष प्रावधानों से निपटने के दौरान ध्यान में रखा जाना चाहिए। विभाजन के प्रमाण के संबंध में एक स्पष्ट विधायी विचलन है जो पहले प्रचलित था; इस प्रकार, न्यायालय सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में लंबे समय तक निरंतर साक्ष्य के आधार पर असाधारण मामलों में विभाजन के अन्य तरीके को मान्यता दे सकता है, न कि केवल छिटपुट प्रविष्टियां, तो ही यह धारा 6 (5) के प्रावधानों और इसके स्पष्टीकरण की भावना के अनुरूप नहीं होगा।

129. परिणामस्वरूप, हम संदर्भ का उत्तर इस प्रकार देते हैं:

(i) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की प्रतिस्थापित धारा 6 में निहित प्रावधान पैदा हुई बेटी को सह-भागीदार का दर्जा प्रदान करते हैं।

(iii) चूंकि सह-सहभागी का अधिकार जन्म से है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि पिता सह-सहभागी को 09.09.2005 के अनुसार रहना चाहिए। ((iv) मूल रूप से अधिनियमित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के प्रावधान द्वारा बनाए गए विभाजन की वैधानिक कल्पना से ऐसा नहीं हुआ।

सह-विभाजन के वास्तविक विभाजन या व्यवधान के बारे में। यह कथा केवल मृतक सह-भागीदार के हिस्से का पता लगाने के उद्देश्य से थी जब वह 1956 के अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट वर्ग-। की महिला उत्तराधिकारी या ऐसी महिला के पुरुष रिश्तेदार से बच गया था। प्रतिस्थापित धारा 6 के प्रावधानों को पूर्ण रूप से प्रभावी किए जाने की आवश्यकता है। इसके बावजूद कि एक प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है, बेटियों को अंतिम डिक्री या अपील के लिए कार्यवाही लंबित रहने तक एक सोनिन के बराबर सह-भाग में दिया जाना है।

(v) 1956 के अधिनियम की धारा 6 (5) के स्पष्टीकरण के प्रावधानों की कठोरता को देखते हुए, मौखिक विभाजन की याचिका को विभाजन के विलेख द्वारा प्रभावित विभाजन के वैधानिक मान्यता प्राप्त तरीके के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत विधिवत पंजीकृत या अदालत के डिक्री द्वारा प्रभावी। हालांकि, असाधारण मामलों में जहां मौखिक विभाजन की याचिका सार्वजनिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित है और विभाजन अंततः उसी तरीके से प्रकट किया जाता है जैसे कि यह अदालत के डिक्री से प्रभावित हुआ था, इसे

स्वीकार किया जा सकता है। केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन की याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसे पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है।

130. हम समझते हैं कि इस सवाल पर मुकदमे/अपील लंबित हैं।

विभिन्न उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष। परस्पर विरोधी निर्णयों के कारण उत्पन्न कानूनी उलझन के कारण मामलों में पहले ही देरी हो चुकी है। धारा 6 द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार से बेटियों को वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हम अनुरोध करते हैं कि लंबित मामलों पर, जहां तक संभव हो, छह महीने के भीतर निर्णय लिया जाए।

उपरोक्त चर्चा और उत्तर को ध्यान में रखते हुए, हम प्रकाश v में व्यक्त किए गए विपरीत विचारों को खारिज करते हैं।

फुलावती और विनीता शर्मा बनाम। राकेश शर्मा [अरुण मिश्रा, जे.]

मंगम्मल वी. टी. बी. राजू और अन्य। दानम्मा ए @सुमन सुरपुर और अन्न में व्यक्त की गई राय। वी. अमर को आंशिक रूप से इस हद तक खारिज कर दिया गया है कि यह इस निर्णय के विपरीत है। गुण–दोष पर निर्णय के लिए मामलों को उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए। अंकित ज्ञान